हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 सितम्बर, 2004

खण्ड–3, अंक– 1

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

बुधवार, 29 सितम्बर, 2004

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(1) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1) 8
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1) 26
घोषणाएं—	(1) 41
(क) उपाध्यक्ष द्वारा—	(1) 41
(i) चेयरपर्सन के नामों की सूची	(1) 41
(ii) याचिका समिति	(1) 41
(ख) अध्यक्ष द्वारा	(1) 42
(i) सदस्यों के त्यागपत्र	(1) 42
(ग) सचिव द्वारा	(1) 42
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य	(1) 43
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	(1) 43
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट	(1) 45
वाक आउट	(1) 50

मूल्य : 109

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट (पुनरारम्भ)	(1)51
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(1)56
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(1)56
सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुन: रखे जाने वाले कागज पत्र	(1)56
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य (पुनरारम्भ)	(1)59
विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	(1)59
(i) श्री जय प्रकाश बरवाला, भूतपूर्व एम०ए ल०ए० (अब सांसद) के विरुद्ध	(1)59
(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध	(1)60
(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मबीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम०एल०एज० के विरुद्ध	(1)61
(iv) डा० रघुबीर सिंह कादियान, एम०एल०ए० के विरुद्ध	(1)62
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य (पुनरारम्भ)	(1)63
विधान कार्य—	(1)78
1. दि पंजाब शूगरकेन (रैगुलेशन ऑफ परचेज एंड सप्लाई) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2004	(1)78
2. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2004	(1)80
3. दि कुरुक्षेत्र शराईन बिल, 2004	(1)83
4. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2004	(1)85
5. दि हरियाणा पंचायती राज (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2004	(1)88
व्यैक्तिक स्पष्टीकरण	(1)94
डा० रघुबीर सिंह कादियान, एम०एल०ए० द्वारा	(1)94
दि हरियाणा पंचायती राज (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2004 (पुनरारम्भ)	(1)95
वाक आउट	(1)105
दि हरियाणा पंचायती राज (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2004 (पुनरारम्भ)	(1)105
6. दि पंजाब शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2004	(1)108
7. दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2004	(1)109
8. दि हरियाणा रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन्डैबटैडनैस (अमैंडमैंट) बिल, 2004	(1)111

Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 29 सितम्बर, 2004

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में बाद दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सारे सदन के सम्मानित सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच में कुछ महान विभूतियां इस संसार को छोड़ कर चली गई हैं जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। कई राजनेता, कई समाजसेवी, कई स्वतंत्रता सेनानी तथा कई देशभक्त आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं आपके माध्यम से उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए इस सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

डॉ० राजा रमन्ना, एक प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक एवं भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री

यह सदन प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक एवं भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ0 राजा रमन्ना के 24 सितम्बर, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म कर्नाटक के तुमकुर में 28 जनवरी, 1925 को हुआ। उन्होंने ताम्बरम के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बी.एस.सी. (ऑनर्स) तथा लंदन के किंग्ज कॉलेज से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे भारत के परमाणु शस्त्र कार्यक्रम के शिल्पी थे। पोखरन में मई, 1974 में किये गये भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में उनकी मुख्य भूमिका थी। डॉ० रमन्ना ने अपने लम्बे एवं सम्माननीय जीवन के दौरान कई महत्त्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। वे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष; रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक; नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज़ के निदेशक; परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन; रक्षा अनुसंधान विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव तथा केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। वे अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऐजन्सी, वियना के महानिदेशक की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के चेयरमैन भी रहे। वे वर्ष 1990 में केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे। वे वर्ष 1990 में राज्य सभा के लिये चुने गये तथा वर्ष 1997 में राज्य सभा के लिये मनोनीत हुए।

विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रतिभा के पोषण के उद्देश्य से उन्होंने बैंगलोर में नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज़ की स्थापना की। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण जैसे अनेक विशिष्ट पुरस्कारों से अलंकृत किया गया।

उनके निधन से देश एक प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक एवं उत्कृष्ट प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

सरदार जागीर सिंह दर्द, भूतपूर्व सांसद तथा संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन भूतपूर्व सांसद तथा संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सरदार जागीर सिंह दर्द के 2 सितम्बर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 16 सितम्बर, 1926 को हुआ। वे वर्ष 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा और वर्ष 1967 तथा 1968 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1994 में राज्य सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान लिये कार्य किया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौधरी लाजपत राय, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी लाजपत राय के 7 सितम्बर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1 जून, 1901 को हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वे कई बार जेल गये। वे वर्ष 1952 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिये संघर्ष किया।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार कुलतार सिंह, स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्य मंत्री सरदार कुलतार सिंह के 5 सितम्बर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 21 अगस्त, 1918 को हुआ। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने बड़े भाई सरदार भगत सिंह के उच्च आदर्शों के लिये समर्पित किया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वे कई वर्षों तक जेल में रहे। वे वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा 1976-77 के दौरान राज्य मंत्री रहे।

उनके निधन से देश स्वतंत्रता के एक सच्चे उपासक एवं अनुभवी प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश के आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार है :

1. श्री धर्म भानू, गांव खानपुर कलां, जिला सोनीपत।
2. श्री शेर सिंह, गांव अमानी, जिला फतेहाबाद।
3. श्री पृथ्वी सिंह, गांव भादूआन, जिला फतेहाबाद।
4. श्री नानटाराम, गांव काकड़ौली हुकमी, जिला भिवानी।
5. श्री अभी लाल, गांव दाढ़ीबाना, जिला भिवानी।
6. श्री मूरा सिंह, गांव चांगरोड़, जिला भिवानी।
7. श्री भगवान सिंह, गांव चन्देनी, जिला भिवानी।
8. श्री नानकराम, गांव जाहिदपुर, जिला रेवाड़ी।
9. श्री रघोचंद, गांव ढाणी बुखारी, जिला हिसार।
10. श्री जसवंत राय, बहादुरगढ़, जिला झज्जर।
11. डॉ० कृष्ण प्रकाश, घरौन्डा, जिला करनाल।
12. श्री बिशन सिंह, गांव बाखली, जिला कुरुक्षेत्र।
13. श्री रामलाल, गांव शाहपुर जिला करनाल।
14. श्री खेमीराम, गांव फुलवाड़ी, जिला फरीदाबाद।
15. श्री रोशन लाल, रेवाड़ी।
16. श्री गोपी चन्द, गांव मसानी, जिला रेवाड़ी।
17. श्री किरोड़ीमल, गांव कासनी, जिला भिवानी।

यह सदन इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. उप निरीक्षक सत्यप्रकाश, गांव जीवड़ा, जिला रेवाड़ी।
2. सूबेदार सुरेन्द्र सिंह, गांव चंदेनी, जिला भिवानी।
3. नायब सूबेदार धर्मवीर, गांव बरखी, जिला भिवानी।
4. हवलदार सत्यवीर सिंह, गांव सुंडाना, जिला रोहतक।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

5. हवलदार धर्मवीर सिंह, गांव ढाणी लक्ष्मण, जिला भिवानी।
6. लॉस नायक राजबीर सिंह, गांव गढ़ी छाज्जू, जिला पानीपत।
7. सिपाही दयानंद, गांव मोकलवास, जिला गुड़गांव।
8. सिपाही राजकुमार, गांव बास पदमका, जिला गुड़गांव।
9. सिपाही रमेश कुमार, गांव लीलाहेड़ी, जिला झज्जर।
10. सिपाही दिनेश कुमार, गांव आर्यनगर, जिला भिवानी।
11. सिपाही जसबीर सिंह, गांव फोगाट, जिला भिवानी।
12. सिपाही कृष्ण कुमार, गांव रामकली, जिला जींद।
13. सिपाही दीपक कुमार, गांव जसीया, जिला रोहतक।
14. सिपाही अनिल, गांव गुमड़, जिला सोनीपत।
15. सिपाही बांदबीर, गांव महराणा, जिला झज्जर।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

धेमाजी बम विस्फोट दुर्घटना

यह सदन 15 अगस्त, 2004 को असम के धेमाजी कस्बे में स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल पर हुए बम विस्फोट में मारे गए मासूमों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन ऐसी जघन्य घटना की घोर निंदा करता है तथा दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कुंभकोणम आग दुर्घटना

यह सदन 16 जुलाई, 2004 को तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर के एक विद्यालय में हुए भीषण अग्नि काण्ड में मारे गए मासूम बच्चों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सामान्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री सतबीर सिंह कादियान के ससुर, **श्री हरिराम ;**

मुख्य संसदीय सचिव श्री रामपाल माजरा की ताई, **श्रीमती सुखदेवी** तथा

हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बंता राम की भाभी, **श्रीमती ज्ञानो देवी** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा यदि कोई ऐसा व्यक्ति रह गया हो जो इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य के परिवार से जुड़ा हुआ हो या कोई और ऐसा स्वतन्त्रता सेनानी या शहीद रह गया हो तो उसका नाम भी इसमें जोड़ दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और आज के सत्र के बीच में जो महान साधी यह संसार छोड़कर चले गये हैं उनका उल्लेख परिपाटी के अनुसार सदन में होता है। इस हरियाणा की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था कि आत्मा अमर है लेकिन कर्म प्रधान है। जो अच्छे कार्य करता है उसे अच्छे फल मिलते हैं और जो बुरे कार्य करता है उसका परिणाम बुरा ही होता है। मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इन शोक प्रस्तावों में सबसे पहले प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक एवं भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री डा० राजा रमन्ना का नाम आता है। उनके 24 सितम्बर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म कर्नाटक के तुमकुर में 28 जनवरी, 1925 को हुआ। उन्होंने तम्बरम के मद्रास क्रिश्चियन कालेज से बी.एस.सी. (आनर्स) तथा लंदन के किंग्ज कालेज से डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की । वे भारत के परमाणु शस्त्र कार्यक्रम के शिल्पी थे। पोखरन में मई, 1974 में किये गये भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में उनकी मुख्य भूमिका थी। डा. रमन्ना ने अपने लम्बे एवं सम्माननीय जीवन दौरान कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। वे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक, नेशनल इंस्टीच्यूट आफ एडवांस स्टडीज के निदेशक, परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन, रक्षा अनुसंधान विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव तथा केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। वे अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऐजन्सी, वियना के महानिदेशक की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के चेयरमैन भी रहे। वे वर्ष 1990 में केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे। वे वर्ष 1990 में राज्यसभा के लिए चुने गए तथा वर्ष 1997 में राज्य सभा के लिए मनोनीत हुए।

विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रतिभा के पोषण के उद्देश्य से उन्होंने बैंगलोर में नैशनल इंस्टीच्यूट आफ एडवांस स्टडीज की स्थापना की। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर आवार्ड, पद्मश्री, पद्मभूषण तथा पद्मविभूषण जैसे अनेक विशिष्ट पुरस्कारों से अलंकृत किया गया।

उनके निधन से देश एक प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक एवं उत्कृष्ट प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अत: मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व सांसद तथा संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सरदार जागीर सिंह दर्द के 2 सितम्बर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। अत: मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी लाजपत राय के 7 सितम्बर, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अत: मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी तरफ से स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्य मंत्री सरदार कुलतार सिंह के 5 सितम्बर, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनके निधन से देश स्वतंत्रता के एक सच्चे उपासक एवं अनुभवी प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अत: मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से उन श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नाम पढ़े हैं उनमें एक नाम पं० रोशन लाल का रह गया है, अत: मेरा अनुरोध है कि इन शोक प्रस्तावों में पं० रोशन लाल का नाम भी शामिल कर लिया जाये।

अत: मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपुर्ण नमन करता हूं जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिये अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन वीर सैनिकों के नाम हैं- उप निरीक्षक सत्यप्रकश, गांव जीवड़ा, जिला रिवाड़ी सूबेदार सुरेन्द्र सिंह, गांव चंदेनी, जिला भिवानी, नायब सूबेदार धर्मवीर, गांव चरखी, जिला भिवानी, हवलदार सत्यवीर सिंह, गांव खुंडाला, जिला रोहतक, हवलदार धर्मवीर सिंह, गांव ढाणी लक्ष्मण, जिला भिवानी, लॉंस नायक राजबीर सिंह, गांव गढ़ी छाज्जू, जिला पानीपत, सिपाही दयानन्द, गांव मोकलवास, जिला गुड़गांव, सिपाही राजकुमार, गांव बास पदमका, जिला गुड़गांव, सिपाही रमेश कुमार, गांव लीलाहेड़ी, जिला झज्जर, सिपाही दिनेश कुमार, गांव आर्यनगर, जिला भिवानी, सिपाही जसबीर सिंह, गांव फोगाट, जिला भिवानी, सिपाही कृष्ण कुमार, गांव रामकली, जिला जीन्द, सिपाही दीपक कुमार गांव, जसीया, जिला रोहतक, सिपाही अनिल गांव, गुमड़, जिला सोनीपत और सिपाही चांदवीर, गांव महराणा, जिला झज्जर।

मै इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता हूं। अत: मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से 15 अगस्त, 2004 को असम के धेमाजी कस्बे में स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल पर हुए बम विस्फोट में मारे गए मासूमों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं ऐसी जघन्य घटना की घोर निन्दा करता हूं तथा दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं 16 जुलाई, 2004 को तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर के एक विद्यालय में हुए भीषण अग्नि काण्ड में मारे गए मासूम बच्चों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । मैं अपनी ओर से व अपनी पार्टी की ओर से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से व अपनी पार्टी की ओर से हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री सतबीर सिंह कादियान के ससुर श्री हरिराम, मुख्य संसदीय सचिव श्री रामपाल माजरा की ताई, श्रीमती सुखदेवी तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बंता राम की भाभी श्रीमती ज्ञानो देवी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव हाउस में रखे हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किए हैं, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में इस संसार से हमारे बीच में से बहुत सी महान विभूतियां चली गई हैं।

सबसे पहले मैं डा० राजा रमन्ना के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वह एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक व केन्द्र में मन्त्री थे। उनके योगदान व कार्य को भारत की जनता सदैव याद करेगी। उनके निधन से देश को विशेषकर विज्ञान के क्षेत्र में जो कमी हुई है उससे पूरे देशवासियों को दुख है।

सरदार जागीर सिंह दर्द, भूतपूर्व संसद सदस्य व संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य थे। उनके निधन से देश व खासकर उत्तरी भारत ने एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है।

चौधरी लाजपत राय भी संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य थे। उनके निधन पर हमें गहरा दुख है। उनका सामाजिक क्षेत्र में बहुत योगदान था। उनके निधन से देश ने एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है।

सरदार कुलदीप सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। उनके निधन से एक और स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच से चले गये जिसका हम सबको गहरा दुख है।

इसके अतिरिक्त जिन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने शोक प्रस्ताव में लिये हैं उन सबके निधन पर मुझे गहरा दुख है। कोई भी देश स्वतंत्रता सेनानियों के दिए बलिदान को कभी भूल नहीं सकता और आज हम इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दी गई कुर्बानियों के कारण आजाद हैं। इसके अलावा मुझे उन सभी वीर सैनिकों के शहीद होने पर बहुत दुख है जिन सभी के नाम इस हाउस में आये हैं। इन्हीं शहीदों की कुर्बानियों से ही आज हम सभी सुरक्षित हैं। किसी भी समाज के कल्याण के लिए शहीदों की कुर्बानियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।

[श्री अध्यक्ष]

धेमाजी बस विस्फोट व कुंभकोणम अग्नि काण्ड ने देश की जनता को हिलाकर रख दिया । इन दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के प्रति यह सदन गहरा दुख प्रकट करता है।

सदन में कुछ अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों श्री हरि राम, श्रीमती सुखदेवी जी व श्रीमती ज्ञानो देवी जी के निधन के भी शोक प्रस्ताव आये हैं। उनमें से कुछ के मैं निजी सम्पर्क में रहा हूं। हमें उन सभी के निधन पर गहरा दुख है।

मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और उन शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूं।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Depleting of Ground Water Level

***1818. Capt. Ajay Singh :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the State Government is aware of the fact that ground water level is depleting in the State; if so, the steps taken or proposed to be taken to raise the water level in the State ?

कृषि मंत्री (सरदार जगविन्दर सिंह सन्धू) : जी हां, श्री मान जी। जो कदम पहले ही लिए जा चुके तथा प्रस्तावित हैं उनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भूमिगत जल स्तर की कमी को रोकने तथा जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए तथा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य जल संसाधन परिषद् का गठन किया है। उस के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबन्धित विभाग इसके सदस्य हैं जिन द्वारा जल का सदुपयोग करने हेतू कार्ययोजनायें बनाई जा रही हैं।
2. फसल विविधीकरण के अन्तर्गत अधिक पानी वाली फसलों को कम पानी वाली फसलों से बदलने हेतू कार्यक्रम बनाया है।
3. भूमिगत जल स्तर की कमी वाले क्षेत्र में उसको ऊपर उठाने के लिए वर्षा जल भण्डारण की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

4. सूक्ष्म स्तरीय सिंचाई पर ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा में जल के सदुपयोग हेतु 82000 फव्वारा संयत्र, 2000 टपका सिंचाई संयन्त्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा 90750 मीटर भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जा चुकी हैं।

5. राज्य में गिरते हुए जल स्तर को ऊपर लाने के लिए सिंचाई विभाग ने विभिन्न कदम उठाए हैं।

6. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु सभी भवनों जिनकी छत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से अधिक है, के लिए छतों से वर्षा के पानी को एकत्रित करके भू-जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए संरचनाएं बनाना अनिवार्य कर दिया है।

7. पानी का सदुपयोग करने के लिए जनता को शिक्षित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश में 12 जिलों का वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है। अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव में वाटर लैवल 300 फीट से 700 फीट तक नीचे चला गया है। मंत्री जी आपने अपने जवाब में दिखावा है कि इरिगेशन डिपार्टमैंट ने ग्राउन्ड लैवल को ऊपर लाने के लिए कई स्टैप्स उठाए हैं। इस बारे में मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने क्या स्टैप्स लिए हैं। मंत्री जी, यह भी बताएं कि क्या वाटर मैनेजमैंट के तहत वाटर हारवैस्टिंग के लिए कार्यवाही की गई है, सरकार ने वाटर रि-चार्ज करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ? इसके अलावा मंत्री जी ने अपनी रिप्लाई में यह भी कहा है कि हुडा ने सभी सरकारी बिल्डिंगज़, जिनकी छत का एरिया 100 वर्ग मीटर से अधिक है, उनके लिए रेनवाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य कर दिया है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि गवर्नमैंट की बिल्डिंगज़ जो ज्यादा जगह घेरती हैं तो क्या उन पर भी यह लागू होता है। अध्यक्ष महोदय, बरसात के दिनों में जो पानी आता है वह सड़कें तोड़ता है, उसके बारे में भी सरकार कोई प्रोग्राम बनाए जिससे बरसात का पानी जमीन में चला जाए और वाटर लैवल ऊपर आ जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं भी यह बताना चाहूंगा कि टाऊन्ज़ में तालाबों पर जो एन्क्रोचमैंट हो रही है जिसकी वजह से वाटर लैवल बहुत नीचे जा रहा है इसके बारे में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे एरिये में ऐसी बहुत दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, दोहान पचीसी का एक ऐसा एरिया है जहां के लोगों ने वाटर लैवल की वजह से पिछले वर्ष चुनावों का बहिष्कार किया था। क्या सरकार इस बारे में इरिगेशन के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से कोई ऐसा काम करने जा रही है जिसकी वजह से वाटर लैवल ऊपर लाया जा सके।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य जल संसाधन परिषद् का गठन किया है। राज्य जल संसाधन परिषद् के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी सम्बन्धित विभाग सदस्य हैं, जिनके द्वारा जल का सदुपयोग करने हेतु कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। जैसे फसलों में डायवर्सीफिकेशन करके जो हमारा जीरी का एरिया था उसको बढ़ने न देना था। स्प्रिंक्लर सैट्स की वजह से या भूमिगत पाईपलाईन बिछाने की वजह से पानी का कम से कम उपयोग हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय कैप्टन साहब ने 100 वर्ग मीटर से अधिक वाली बात पूछी है तो इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह सरकारी

[सरदार जसविन्द्र सिंह संधू]

बिल्डिंग्ज में भी लागू होती हैं। इसके अलावा इन्होंने यह भी जानना चाहा है कि भू-जल को ऊपर लाने के लिए सरकार क्या कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि मुख्य ड्रेनेज से भू-जल रि-चार्ज के लिए 13 हम्पस पहले ही बनाए जा चुके हैं। हमने टेल्ज पर भी ये हम्पस बनाने का प्रस्ताव रखा है । जिनका विवरण इस प्रकार है— अजिम्मा डाइवर्जन ड्रेन से 6.76 किलोमीटर पर रैगुलेटर का हम्पस लगा दिया है, इसके अलावा एक हम्पस जिला फरीदाबाद में भी है। गोंची मुख्य ड्रेन से आर०डी० 43,300 फुट पर रैगुलेटर कम हम्पस जिला गुड़गांव में लगाया गया है, इन्द्री ड्रेन के आर०डी० 31,200 फुट पर जिला करनाल में लगाया गया है। निर्सिंग ड्रेन की 400 फुट पर यह सिस्टम बनाया गया है। नयनारा ड्रेन की आर०डी० 40,000 पर जिला सोनीपत में भी यह हम्पस लगा दिया है, इसके साथ ही नयनाश ड्रेन की आर०डी० 6,000 फुट पर जिला सोनीपत में भी यह बना दिया गया है। स्पीकर सर, ये 13 स्कीमें हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की अध्यक्षता में इस प्रदेश के जितने भी जोहड़ थे उनकी सभी की खुदवाई करवाई है जो कि पिछले समय की सरकारों के समय से सिल्ट से भर गए थे। पिछली सरकारों ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया था। हमारी सरकार ने कोई एक भी ऐसा जोहड़ नहीं छोड़ा है जिसमें ज्यादा नीचे तक खुदवाई करवाकर सफाई न करवाई हो। अध्यक्ष महोदय, हमने काफी एरिया बागवानी के लिए बनवाया है। इसने लोगों को दलहन की, तीलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिऐ कहा है हमने उनको कहा है कि जीरी को ज्यादा बढ़ावा न दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक तो यह जानना चाहता हूं कि शहरों में जो पुराने तालाब थे जिनको अब भर दिया गया है तो क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गयी है ? खास तौर से मेरे एरिया में एक इसी तरह का तालाब था। लोगों ने उसको भर दिया था तो इस तरह के तालाबों को प्रोटक्शन देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मंत्री महोदय ने क्रॉप डायवर्सीफिकेशन प्रोग्राम के बारे में बताते हुए कहा कि जो फसलें ज्यादा पानी लेती है जैसे पैडी की फसल है तो इनका एरिया कम करने के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पानी की बचत हो सके। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहूंगा कि किसान इस तरह की फसल कम बोयें इसके लिए क्या उनको कोई इंसैंटिव देने का विचार क्रॉप डायवर्सीफिकेशन प्रोग्राम के तहत है या नहीं ? क्या सरकार द्वारा इस तरह का इंसैंटिव देने की कोई कार्यवाही की गयी है या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो ड्रिप इरीगेशन है इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि ड्रिप इरीगेशन को बढ़ावा देने के लिए कितने केसिज में किसानों को सबसिडी दी गयी है ताकि किसानों द्वारा मिनिमम पानी इस्तेमाल किया जा सके ?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब ने क्रॉप डायवर्सीफिकेशन प्रोग्राम के तहत किसानों को मुआवजा देने के बारे में जानना चाहा है मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस तरह का मुआवजा किसानों को देना राज्य सरकार के स्तर पर संभव नहीं है। यह मुआवजा तो केन्द्र सरकार ही दे सकती है इसलिए हमने केन्द्र सरकार को लिखकर भेजा है कि वह इस मामले में हमारी मदद करें ताकि क्रॉप डायवर्सीफिकेशन लाने में हम किसानों की मदद कर सकें। जहां तक इन्होंने ड्रिप इरिगेशन के तहत स्प्रिंकलर सैट्स पर सबसिडी देने की बात पूछी है मैं इनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में इस तरह के 82 हजार सैट्स लगाये गये हैं। अनुसूचित जाति के किसानों और महिलाओं को इन पर 33 परसैंट की सबसिडी और जनरल कैटेगरी के किसानों को 25 परसैंट सबसिडी सरकार द्वारा दी जा रही है।

श्री अनिल विज : स्पीकर साहब, आज जो पानी का स्तर नीचे गिरने की बात कही जा रही है तो पानी का स्तर नीचे गिरने का एक मुख्य कारण यह है कि जो ट्यूबवैल आधारित सिंचाई हरियाणा में हमें करनी पड़ रही है उससे पानी का स्तर नीचे जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पीछे एक आंकड़ा इस बारे में प्रकाशित हुआ था जिसमें बताया गया था कि हरियाणा प्रदेश में लगभग एक लाख के करीब विभिन्न स्थानों पर ट्यूबवैल लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इन ट्यूबवैल्ज की निर्भरता कम करने का एक ही रास्ता है कि हम नहरी पानी प्रदेश में लगाएं लेकिन कैप्टन अजय सिंह की पार्टी एस०वाई०एल० कैनाल का पानी हरियाणा में लाने ही नहीं देती है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह तो सर्वविदित है कि इनकी पार्टी इस कैनाल का पानी हरियाणा में नहीं लाने देती। यह किसी न किसी प्रकार इस मामले में रोड़े या अड़चन लगाए जा रही है। (विघ्न)

श्री रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, कादियान साहब, आप बैठिए। (विघ्न) कादियान साहब, आप बैठें।

श्री रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, * * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठें। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, * * * *

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, कादियान साहब, अब आप बैठें। विज साहब, आप कंटीन्यू करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है । मैंने तो यही कहा है कि एस०वाई०एल० कैनाल का पानी इनकी पार्टी हरियाणा में लाने नहीं दे रही है। मैंने कोई गलत बात नहीं की है। यह चिन्ता ठीक ही व्यक्त की गयी है कि हरियाणा प्रदेश में पानी का स्तर गिरता जा रहा है और इस गिरते हुए स्तर को दूर करने का एक मात्र उपाय जो है वह केवल यही है कि नहरों के माध्यम से प्रदेश में पानी लाकर सिंचाई करवायी जाएं। एस०वाई०एल० कैनाल का जो फैसला हमारे हक में आया है उसका पानी इनकी पार्टी हमारे प्रदेश में लाने ही नहीं दे रही है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या किसी और साधन से नहरी पानी प्रदेश में लाने पर विचार किया जा सकता है ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के सम्मानित सदस्य श्री अनिल विज का जो प्रश्न था उसको अगर गहराई से देखा जाए तो यह बहुत अहम प्रश्न है। कांग्रेसी दोस्तों ने शायद इसको कटाक्ष के रूप में लिया है। गहराई से अगर आप इसको देखें। तो उनकी सोच और मंशा आपकी ओर कटाक्ष करने की नहीं थी बल्कि हरियाणा प्रदेश की जो परिस्थिति है उसके दृष्टिगत सीमित साधनों का सदुपयोग करके इस कृषि प्रधान प्रदेश के किसान को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इस ओर थी। हमारे पास कोई ऐसे नेचुरल जल प्रपात नहीं हैं, कोई ऐसे पहाड़ नहीं हैं जहां सर्दियों में बर्फ गिरे और गर्मियों में वह बर्फ पिघलकर हमारे प्रदेश की भूमि की सिंचाई कर सके। प्राप्त सीमित साधनों में या तो भाखड़ा नहर का पानी मिलता है या यमुना का पानी मिलता है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल साहब, आप बैठ जाइए। मुख्यमंत्री महोदय प्रश्न का रिप्लाई दे रहे हैं इसलिए आप कार्यवाही में विघ्न मत डालिये। आप बैठ जाइए और पेशंस रखिए। कर्ण सिंह दलाल की कोई बात रिकार्ड नहीं की जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सम्मानित सदस्य के द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं और कुछ ऐसे सदस्य दुर्भाग्य से इस सदन में आ गए जिनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दे दिया कि उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) जगजीत सिंह जी, आप भी उसी श्रेणी में हैं और इसीलिए इस सम्मानित सदन का समय-समय पर ये समय बर्बाद करते हैं अनर्गल और मिथ्या बातें कह कर के। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये टाइम वेस्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों भी तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये इनकी सोच का विषय नहीं है। कर्ण सिंह दलाल एक सरकार में मंत्री थे और उससे पहले बड़े ही बलंगबांग दावे किया करते थे कि सत्ता में आने के बाद हम आगरा कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। साढ़े तीन साल तक ये ट्रेजरी बैंचिज में रहे और मंत्री रहे लेकिन इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोले, मैं उन्हीं तथ्यों को उजागर करना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इन्हें सुनिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं तथ्यों को उजागर करने जा रहा हूं। इनको इस बात की पीड़ा नहीं होनी चाहिए जो अनिल विज ने बात कही है। अगर हरियाणा प्रदेश में एस०वाई०एल० नहर समय पर बन जाती तो उससे कितनी भूमि की सिंचाई होती, कितनी भूमि रि-चार्ज होती । मैं विपक्षी बैंचों पर बैठे हुए कांग्रेसी दोस्तों को याद कराना चाहूंगा कि ..... (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाइए otherwise, I will have to take some action. (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को थोड़ा ऑर्डर में ले आएं। मैं सम्मानित सदस्यों को कहना चाहूंगा कि अपने पद की गरिमा को कायम रखें। (शोर एवं व्यवधान) कप्तान साहब, आपकी हैसियत मैंने नहीं बिगाड़ी है, इन्होंने बिगाड़ी है। इन्हें पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यह रिकार्ड पर आधारित मामला है। अपोजीशन बैंचिज पर बैठे हुए कांग्रेसियों ने इसको बिगाड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद..... (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिए। * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, आप बैठ जाएं, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कैप्टन साहब, मेरा अधिकार है आप जानते नहीं मैं जानकारी दे सकता हूं। मेरा अधिकार है, आप इंटरवीन न करें। हम इस मामले पर रोशनी डाल सकते हैं। इस मामले में सदन को जानकारी हासिल करानी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूर में नहीं जाना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद जब पंजाब सरकार ने उस नहर का निर्माण नहीं किया तो हमने सभी विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई थी लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने उस मीटिंग का बॉयकाट किया था। अध्यक्ष महोदय, दूसरी मर्तबा जब सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जून, 2004 को ..... (शोर)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठ जाइये मामला रि-चार्ज पानी से ही होता है आप बैठ जायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * *

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, * * * * *

श्री अध्यक्ष : कोई रिकार्ड न किया जाये। आप बैठ जाइये।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : कोई रिकार्ड न किया जाये। आप बैठ जाइये चौधरी भजन लाल जी, आप बैठ जायें आपको बोलने की इजाजत किसने दी है ?

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय,मेरी आप से प्रार्थना है कि अभी हाउस स्टार्ट ही हुआ है परन्तु हाउस की कार्यवाही ठीक तरह से नहीं चल रही है। कितना पैसा हाउस की कार्यवाही पर खर्च होता है परन्तु विपक्ष के सदस्य सीरियस नहीं हैं। आप इनको सीरियस बनायें। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अकेले ये ही नहीं है सुनने के लिए सब को ज्ञान की आवश्यकता है सब को जानकारी चाहिये, सारे हाउस को जानकारी चाहिये, सभी लोगों को जानकारी चाहिए और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में देंगे वह जानकारी सारे स्टेट में जायेगी।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, बैठ जायें, इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं जवाब ही नहीं दे रहा हूं बल्कि इस बात से आगाह भी कर रहा हूं कि जब पंजाब की सरकार ने इस नहर का निर्माण नहीं किया और केन्द्र में आपकी सरकार थी आप केन्द्र की सरकार को मजबूर करके उस कानून को निरस्त करा सकते थे। अध्यक्ष महोदय, फिर 4 जून, 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने जब नये सिरे से इस नहर के निर्माण लिए केन्द्र की सरकार को निर्देश दिए उसी समय सदन का हमने अधिवेशन बुलाकर जब सर्वसम्मत रेजोलूशन मूव किया था उसी वक्त कांग्रेस के सदस्य सदन से वाक आउट करके चले गये थे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Dr. Raghubir Singh Kadian : Speaker Sir, under Rule 57 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I demand half-an-hour discussion on this topic. (interruption)

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न किया जाए। आप बैठ जाइये। आप मेरे चैम्बर में आ जाना मैं आपको रिकार्ड दिखा दूंगा, यह रिकार्ड तो सदा के लिए रहेगा बस अब आप अपने किए हुए पर पछताइये और बैठ जाईये।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : कोई रिकार्ड न किया जाये। आप बैठ जाइये । हाफ एन आवर होने जा रहा है, 25 मिनट हो गये हैं। आप क्वैश्चन आवर की इंटरप्शन को रोक दीजिए, अपने आप ठीक हो जायेगा। आप बैठ जायें। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको तकलीफ बड़ी होती है लेकिन ये असलियत को जानने की कोशिश करें। मुद्दा एस०वाई०एल०, नहर का और रैली दिल्ली में करने जा रहे हैं जेल भरने की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, त्याग-पत्र के लिए आपको टेलीफोन करते हैं चौधरी भजन लाल जी कि हम इस्तीफा देंगे। अध्यक्ष महोदय, आप अपना बहुमूल्य समय खर्च करके दफ्तर में बैठे हो और ये इस्तीफा देने भी नहीं आए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठें, यह मामला चौधरी भजन लाल जी का और मेरा है। मुझे भजन लाल जी ने टेलीफोन किया था कि स्पीकर साहब आप कहां हैं, मैंने कहा कि मैं दिल्ली में हूं। भाई जसविन्द्र जी और अभय जी भी मेरे साथ थे। इन्होंने कहा हम 26-27 एम०एल०एज० इस्तीफा देना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं पैन में स्याही भरकर अभी चण्डीगढ़ चलता हूं आप कल 11 बजे मेरे दफ्तर में आ जाना मैं बाट देखता रहा लेकिन कोई नहीं आया। भजन लाल जी, आप बताएं, मैंने आपकी बात को माना या नहीं माना, आपने टेलीफोन किया था नहीं किया ?

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है वह सही है। अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आपने मान लिया कि ठीक है तो अब आप बैठिए। (विघ्न) भजन लाल जी की अब कोई बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान) मैं भजन लाल जी के कहने से चण्डीगढ़ आ गया था, मुझे कांग्रेस पार्टी के प्रैजीडैंट ने कहा था और उनके कहने से मैं चण्डीगढ़ दफ्तर में आ गया । (शोर एवं व्यवधान) मैं स्पीकर किसका हुआ, ये आप देख लो। मुझे भजन लाल ने फोन किया और मैं तुरन्त आ गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वे कहने लगे कि हम इस झूठे के भरोसे फस गए। इन्होंने ये बेचारे 6 शहीद करवा दिए, वे बैंच आज खाली पड़े हैं। आपने तो कुछ करना ही नहीं था ये 6 बेचारे गरीब मरवा दिए। आपने अपनी आदत ठीक परवाई, इन पर तो असर नहीं हुआ, ये तो समझते थे लेकिन ये पंडी फंस गए और मार गए। अध्यक्ष महोदय, इनको एस०वाई०एल० कैनाल की पीड़ा है। लेकिन मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा कि ये इस मामले में सीरियस नहीं है।

श्री कर्म सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठें। कर्ण सिंह दलाल की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : सर, यह मामला क्वैश्चन आवर के बाद ले लिया जाए तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आप बैठिए, पानी का मामला बहुत ही अहम मामला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, नहर तो निश्चित रूप से बनेगी। एस०वाई०एल० कैनाल हरियाणा की जीवन रेखा है इसलिए यह तो बनेगी। लेकिन आप लोगों की वजह से इसके बनने में देरी हो गई। यदि आपकी सोच ठीक होती तो यह बहुत पहले बन सकती थी। (शोर एवं व्यवधान) आप अपराधियों की श्रेणी में हैं। हरियाणा की जनता आपको माफ नहीं करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल और कैप्टन साहब आप बैठिए, आप सुनने की हिम्मत रखें, मैं आपको वार्न करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजनलाल जी, आप अपनी हैसियत में रहोगे तो टिकोगे, थोड़ा सा कंट्रोल में रहो और सदन की गरिमा का ध्यान रखो। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मैं आपको भी वार्न करता हूं कि आप सदन का समय बरबाद न करें, कादियान साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए। आप बैठ जाएं otherwise I shall take some action. (शोर एवं व्यवधान).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी बीमार आदमी हैं इसलिए मैं इनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहूंगा। ये एस०वाई०एल० कैनाल की बात तो छोड़ें यह बात इनके बस की नहीं है, इन्होंने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। दादूपुर नलवी नहर स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के मुख्यमंत्री काल में शुरू की गई थी लेकिन बाद में चौधरी भजनलाल जी की सरकार आ गई और इन्होंने उस नहर का काम कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। कहां गई वो नहर ? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : तो किसने रखा था ?

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, प्लीज आप बैठें। आप पहले पूरी बात तो सुन लें।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने उस नहर की फाईल को ठन्डे बस्ते में रख दिया था। अब हमारी सरकार ने नये सिरे से उस नहर को बनाने का निर्णय लिया है और अक्तूबर के महीने में उस पर काम शुरू करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद पांच सालों के अर्से में 117 नये माइनर और डिस्ट्रिब्यूट्रियां निकाली हैं। हम पानी की एक-एक बूंद को इस्तेमाल करने के पक्षधर हैं। हमने उन नहरों में पानी चलाने का काम किया है जो भाखड़ा सिस्टम से सैहराब होती थीं। हम तो बरसात के दिनों में यमुना नदी का पानी खराब न जाये उसके इस्तेमाल करने के लिए एक नई नहर बनाना चाहते हैं और उससे अहीरवाल क्षेत्र की सिंचाई करने के पक्षधर हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कभी कभार जाने अनजाने में ऐसे लोग शक्ता में आ जाते हैं जिनके सामने प्रदेश का हित कुछ नहीं है। इन लोगों ने प्रदेश को पूर्ण रूप से बरबाद कर दिया है। ये लोग अपराधियों की श्रेणी में शुमार हैं कभी भी हरियाणा की जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार की सोच यह है कि हम एक-एक पानी की बूंद का इस्तेमाल करेंगे। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी प्लीज आप बैठें। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

तारांकित प्रश्न संख्या 1824

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भागीराम जी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Construction of Community Lavatory for Women

***1825. @Abhay Singh Chautala**
Smt. Vidya Beniwal } : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Community Lavatories for women are being constructed in the State, if so the criteria fixed for the purpose together with expenditure to be incurred on the construction of a such lavatories ; and

(b) the total number of the lavatories as referred to in part (a) above has been constructed so far in the State ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) :

(क) जी हां, श्रीमान जी। इस उद्देश्य के लिए यह मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं कि ग्राम पंचायत 250 से 300 वर्ग गज जमीन बिना मूल्य के उपलब्ध करवाएगी तथा भविष्य में परिसर की सफाई तथा रखरखाव की जिम्मेदारी लेगी। एक परिसर की अनुमानित कीमत 1,50,00 रूपए है, जिसमें 20 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायत वहन करेगी।

(ख) राज्य में अब तक 19 महिला परिसरों का निर्माण किया जा चुका है और 57 निर्माणधीन हैं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

@ Put by Shri Abhey Singh Chautala.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन ग्राम पंचायतों के पास साधन नहीं हैं और सुलभ शौचालय बनवाने के लिए 20 प्रतिशत हिस्से के पैसे देने के लिए नहीं हैं जिसका कि जिक्र मंत्री जी ने किया है तो क्या उन गांवों में भी शौचालय बनाने के लिये कोई प्रावधान सरकार की तरफ से रखा गया है ताकि वहां भी किसी प्रकार की कठिनाई और दिक्कत न हो ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी ने जो प्रश्न किया है उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा बन्धन के दिन 30 अगस्त, 2004 को प्रत्येक गांव में सुलभ शौचालय बनाने की स्कीम का शुभारम्भ किया है। इस स्कीम के तहत राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य अधिकारों से पैसा लेकर प्रावधान करेगी कि जहां पर पंचायत के पास 20 प्रतिशत पैसा देने के लिए नहीं हैं वहां पर भी सरकार इस प्रकार के शौचालय बनायेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि यह निर्णय सरकार ने बहुत सोच समझकर लिया है। पहले प्रदेश में सुलभ शौचालयों के नाम पर इस प्रकार के शौचालय बनाये गये थे कि जिनमें यदि कोई महिला एक दफा शौच के लिए चली जाये तो दोबारा उसमें कोई नहीं जाता था क्योंकि उनमें साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी लेकिन अब नौजूदा सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस प्रकार के शौचालय हर गांव में बनायेंगे और खुल्ले में बनायेंगे। उनमें 6-6 फिट की दीवारें चारों तरफ बनायेंगे और उसके अंदर 12 शौचालय होंगे जिनके दरवाजें भी लगायेंगे। इसके अलावा एक महिला भी तनख्वाह पर रखेंगे जो इनकी साफ-सफाई करेगी और पानी भरेगी। जिन गांवों के पास 20 प्रतिशत पैसा देने के लिए नहीं है वहां भी हम ये शौचालय बनवायेंगे चाहे हमें किसी और मद में कटौती करनी पड़े। हम महिलाओं को पूरी सुविधाएं देंगे और उन्हें सम्मानजनक तरीके से जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करेंगे।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो स्कीम कम्यूनिटी लैबोट्री की बनायी है यह गांव तक ही सीमित रहेगी या कस्बों में भी इसका प्रावधान रखा जायेगा ? मेरे क्षेत्र के अन्दर 3-4 मौहल्लों के अन्दर इतनी भारी किल्लत है कि वहां पर महिलाओं के लिए लैटरिंग की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे कस्बों में सरकार कोई गौर फरमा रही है ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के हर हिस्से में बड़े बड़े शहर हैं और वहां पर सिवरेज सिस्टम है, सैल्फ शौचालय हैं। वहां पर कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं है। जहां पर इस प्रकार की कठिनाई दर पेश आएगी वहां पर हम एक गांव में केवल एक शौचालय ही नहीं बनाएंगे बल्कि अगर कहीं की ज्यादा आबादी है तो वहां पर अगर कई शौचालय बनाने पड़ेंगे तो वह भी सरकार बनाएगी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इस सवाल पर सप्लीमेन्ट्री करने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा और जानना चाहूंगा कि सरकार ने स्टेट के अन्दर यह बहुत अच्छी स्कीम लागू की है। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फरीदाबाद जो हमारा म्यूनिसिप्ल कारपोरेशन है वह हरियाणा में

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

अकेला कारपोरेशन है। वहां कई लाख आदमी फ्लोटिंग पापूलेशन के आते हैं। वहां पर बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ी हैं, रेलवे लाईन है व पार्क आदि हैं। वहां पर आज हालत यह है कि मलमूत्र की बड़ी भारी दुर्गन्ध आती है। वहां पर हुडा की तरफ से सैक्टर 12 में बहुत अच्छा पार्क डिवैल्प किया है। इस पार्क के चारों तरफ बहुत गन्दगी है। चाहें तो आप किसी सीनियर अधिकारी को भेज कर इस बारे में पता करवा सकते हैं। इस पार्क के चारों तरफ कई हजार आदमी जो लेबर के रूप में गरीब आदमी है यहां टायलेट के लिए बैठ जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर कोई ऐसी सुविधा करेंगे जिससे उस पार्क की सुन्दरता बनी रहे चाहे इसके लिए आपको सिवरेज डालना पड़े या लैबोट्री सिस्टम लागू करना पड़े ? (विघ्न) मेरा निवेदन यह है कि इसको गम्भीरता से लें नहीं तो वहां पर बीमारी फैलेगी। हुडा का 12 सैक्टर का वहां का पार्क सारे हरियाणा में सबसे अच्छा पार्क है। उस पार्क में चौधरी देवीलाल जी का स्टैच्यू भी लगा हुआ है। वहां पर 8-10 हजार आदमी रोजना सैर के लिए आते हैं। उसके चारों तरफ कई हजार लोग ओपन में लैटरिंग व टायलेट करते हैं। वहां पर भारी बदबू आती है जिस कारण आप वहां से निकल नहीं सकते । मेरा निवेदन है कि क्या सरकार इस तरफ कुछ ध्यान देने का कष्ट करेगी ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है। सरकार की तरफ से पहले से राय है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की सुविधा दी जाये। यह तो आम लोगों की सोच है कि कौन कहां पर लघु शंका और दीर्घ के लिए बैठ जाए। हमने इसके लिए कुछ अच्छे साथियों का चयन किया था कि आप उन लोगों को समझाइए। जब उनको थोड़ा बहुत एजूकेटिड किया तो वे उधर चले गए। स्थितियां बदलती रहती हैं। इसमें लोगों की इन्वोल्मेंट करना जरूरी है। इनको बड़ा तुजर्बा है, सब कुछ सीखा और बाद में सारा मलियामेट कर दिया । (हंसी)

Increase in the Power Generation

***1828. @Dr. Malik Chand Ghambir**
Sh. Balbir Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken to increase the power generation in the state, if so, the detail thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : सरकार ने हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन द्वारा संचालित अपने उत्पादन केन्द्रों की दर्शमान क्षमता को बेहतर उपयोग करके तथा नये विद्युत उत्पादन प्लाटों को स्थापित तथा चालू करके उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करते हुए राज्य में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिये उच्चतम प्राथमिकता दी है।

हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन अगस्त, 1998 में अस्तित्व में आया। 1998-99 से 2003-2004 तक राज्य में बिजली के उत्पादन में लगभग 85% वृद्धि हुई। उत्पादन केन्द्रों का प्लान्ट लोड फैक्टर भी 1998-99 के दौरान 49.24% से बढ़कर 2003-2004 के दौरान 74.91% हो गया।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

@ Put by Shri Malik Chand Ghambir

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप अपनी सीट पर बैठें (शोर एवं व्यवधान) इसमें व्यवस्था की कोई बात नहीं है, इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कादियान साहब, जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। कैप्टन साहब,आप इनको इनकी सीट पर बिठाएं। (शोर एवं व्यवधान) डाक्टर साहब, आप बैठें आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जो रिटन रिप्लाई इनको दिया गया है वह इनको पढ़ना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर इन्हें इस बात का पता नहीं है तो यह इस बारे में दूसरों से पूछ सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माजरा साहब, आप अपना रिप्लाई जारी रखें (विघ्न) !

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन,पानीपत की 210 मेगावाट की छटी इकाई को 31-3-2001 को चालू किया गया ! पश्चिमी यमुना नहर पर बिजली परियोजना के चरण-2 के अन्तर्गत दो इकाइयां, प्रत्येक 7.2 मैगावाट क्षमता की, क्रमश: 16-4-2004 तथा 12-5-2004 को चालू की गई। ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत की 110 मेगावाट यूनिट-2 जो कि 21-1-99 से बन्द पड़ी थी, को मार्च, 2003 के दौरान पुन: चालू किया गया। ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत में 250-250 मैगावाट क्षमता की दो इकाईयां 7 एवं 8 का निर्माण पूर्ण होने की अग्रिम अवस्था में है। ये दोनों इकाईयां दिसम्बर, 2004 तक रिकार्ड समय में चालू होने सम्भावित हैं। इकाई 7 पहले ही 28-9-2004 को चालू की जा चुकी है। इस प्रकार मार्च, 2001 से दिसम्बर, 2004 के बीच में राज्य में 834 मैगावाट की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं में 1999 से 2004 तक राज्य के हिस्से में 515.20 मैगावाट बिजली उपलब्धि में वृद्धि हुई।

राज्य सरकार ने 500 मैगावाट से 600 मैगावाट के बीच की क्षमता के यमुनानगर थर्मल प्रोजैक्ट चरण-2 को स्थापित करने की भी स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना का निर्माण कार्य अति शीघ्र शुरू किया जायेगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सी०पी०एस० महोदय ने अभी आउस को अवगत करवाया है कि ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत के 250-250 मैगावाट के सातवें और आठवें यूनिट्स तैयार हो गए हैं। 25 सितम्बर, 2004 को चौधरी देवी लाल जी के जन्म दिवस पर कल 28-9-2004 को 7वें यूनिट को सिंक्रानाईज़ कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे यह जानना चाहूंगा कि 7वें यूनिट कब तक 250 मैगावाट का उत्पादन दे देगी तथा 8वीं यूनिट कब तक सिंक्रानाईज़ होकर फुल लोड पर आ जाएगी ? अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि यदि किसी थर्मल पावर स्टेशन का लोड फैक्टर 1000 मैगावाट या उससे ज्यादा हो जाता है तो भारत के मानचित्र पर वह सुपर थर्मल पावर प्लांट के तौर पर आ जाता है। क्या माननीय सी०पी०एस० महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ?

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एक शुभ सूचना से अवगत करवाना चाहूंगा। लाऊ देवी लाल थर्मल पावर प्लांट की 7वीं यूनिट 250 मैगावाट की है और कल सुबह 7 बज कर 20 मिनट पर इसको चालू कर दिया गया है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटिड को यह प्रोजैक्ट इस शर्त के तहत सौंपा गया था कि 36 महीने में वे इसको तैयार करके देंगे। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार को यह श्रेय जाता है और खासतौर से भारत हैवी इलैक्ट्रिक्लज लिमिटिड बधाई की पात्र है कि जो काम 36 महीने से पहले नहीं हो सकता था उन्होंने उस काम को 30 महीने में मुकम्मल करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को राहत प्रदान की है। 31 दिसम्बर तक 250 मैगावाट की आठवीं यूनिट भी तैयार हो जाएगी। जब दोनों यूनिट्स इस साल के अन्त तक तैयार हो जाएंगी तो हरियाणा प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि यमुना नगर पावर प्लांट की शुरुआत चौधरी देवी लाल जी के मुख्य मन्त्रित्वकाल में की गई थी और चौधरी भजन लाल जी के मुख्य मन्त्री बनने के बाद इस प्रोजैक्ट को कोल्ड स्टोरेज में लगा दिया गया था। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उस वक्त के केन्द्र के प्रधान मन्त्री श्री पी०वी० नरसिम्हा राव जी ने फरीदाबाद से यमुना नगर थर्मल पावर प्लांट की रिमोट कण्ट्रोल 15.00 बजे के द्वारा आधारशिला रखी थी। (विघ्न) वह कब रखी थी, आपको पता है। (विघ्न) वह कब की रखी हुई थी। (विघ्न) रिमोट कंट्रोल द्वारा रखी हुई आधारशिला का जो हश्र होना था, वह आपके सामने है। अब कल शाम को हमने नए सिरे से उसके बीच में ग्लोबल टैण्डर काल करके उसको नए सिरे से फाईनल कर दिया है। अब उसको हम 600 मैगावाट का बनाने जा रहे हैं। हमने 3.495 के हिसाब से यानि कि आजतक जितने भी थर्मल प्लांट के ठेके दिए गए हैं हमने उन सबसे कम रेट पर ठेका दिया है और जिनको ठेका दिया है उनसे भी शर्त रखी है कि 30 महीने के अन्दर-अन्दर वे हमें 600 मैगावाट बिजली पैदा करके देंगे। आप इसी से अन्दाजा लगाएं कि सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है। आज हरियाणा में सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, चाहे वह नहर की हो या चाहे बिजली की हो। चाहे वह दादूपुर नलवी से हो चाहे एस०वाई०एल० नहर की हो। हम किसानों के उत्पादन को अच्छे दामों पर खरीदते हैं। आपको इस सरकार को ही यह श्रेय देना चाहिए कि हम बाजार में बाजरा 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। हमने पैडी भी कल से खरीदनी शुरू कर दी है। आपको इस बात से और ज्यादा खुशी होगी कि जो गरीब आदमी मोटा अनाज इस्तेमाल करता है। (विघ्न) मैं आपको बताना चाहूंगा कि मक्की है, बाजरा है और ज्वार है, उसके आटे पर 10 प्रतिशत टैक्स लगा हुआ था, वह टैक्स भी हमने माफ कर दिया है ताकि गरीब आदमी को सस्ते दाम पर अनाज मिल सके। हमारी एक सोच है कि किस तरह से गरीब आदमी को फायदा दिया जा सके। मौजूदा सरकार ने आज ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर एक निर्णय लिया है। हमारी पार्टी प्रो-पूअर, प्रो-पिज़ैन्टरी और प्रो-फार्मर है। हम चाहते हैं कि कृषि प्रधान प्रदेश का जो कृषक है वह सम्पन्न हो, समृद्ध हो और खुशहाल हो। हम तो आपके पिछले कांटे चुनने में लगे हुए हैं और इस सबके बावजूद भी हम लोगों को राहत प्रदान कर रहे हैं। (विघ्न)

Introducing of Slab System

***1831. Sh Lila Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the rate of electricity charges is higher in the following villages of district Kaithal :—

(i) Barot; (ii) Teek; (iii) Geong; (iv) Shergarh; (v) Devigarh; (vi) Dodhkheri; (vii) Seelakhera, (viii) Patti Chaudhary ; and (ix) Francewala; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce the slab system in these villages ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : नहीं श्रीमान, कृषि बिजली टैरिफ की वर्तमान स्लैब प्रणाली राज्य में मई 1998 से अस्तित्व में रही है। टैरिफ स्लैब को लागू करना एक पटवार सर्कल में बहुलायत नलकूपों की गहराई द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रश्न में उद्धृत गांवों में लागू टैरिफ निम्न प्रकार से है :—

क्र० सं०	गांवों के नाम	टैरिफ स्लैब दरें रूपये/बी०एच०पी०/मास	पटवार सर्कल का नाम
1.	बरोट	63.00	टीक
2.	टीक	63.00	टीक
3.	गियोंग	48.00	गियोंग
4.	शेरगढ़	48.00	पट्टी खोदार
5.	देवीगढ़	48.00	पट्टी खोदार
6.	ड्योढ़ खेड़ी	104.00	सेग्गा
7.	शीलाखेड़ा	104.00	पट्टी चौधरी
8.	पट्टी चौधरी	104.00	पट्टी चौधरी
9.	फ्रान्सवाला	48.00	पट्टी कोथ

नलकूपों के लिए स्लैब प्रणाली की समीक्षा करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन रहा था जिस ने टैरिफ दरों के सरलीकरण के लिए एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात नलकूपों की बिना मीटर श्रेणी के लिए 35/- रुपये प्रति बी०एच०पी० प्रतिमास तथा मीटर श्रेणी के लिए 25 पैसे यूनिट की समान दरें 15 अगस्त 2004 से लागू की जा रही हैं।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश के किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए नलकूपों की बिना मीटर श्रेणी के लिए 35 रुपए प्रति बी०एच०पी० प्रतिमास और जिन्होंने ट्यूबवैल्ज पर मीटर लगाए हुए हैं उनपर 25 पैसे प्रति यूनिट का रेट लगाया गया है। मैं समझता हूं कि इससे हरियाणा प्रदेश के किसान को बहुत राहत मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके लिए हरियाणा सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। (विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष : जिस मैम्बर ने प्रश्न पूछा था उसकी तसल्ली हो गई है। वह सैटीसफाई हो गया है आपको इससे क्या लेना देना है ? (विघ्न) नहीं-नहीं आप बैठ जाएं। (विघ्न) कन्सर्न्ड मैम्बर सैटीसफाई है और उसने सरकार का धन्यवाद कर दिया है तो मेरा इस बारे में किसी और को सप्लीमैंटरी पूछने के लिए कहने की कोई बात नहीं है। (विघ्न) नहीं-नहीं आप बैठ जाएं। आप अपने प्रश्न क्यों नहीं देते हैं ? (विघ्न) आपने प्रश्न नहीं दिया होगा तभी तो लगा नहीं है। अगर दिया होगा तो जरूर लगा होगा। (विघ्न) कैप्टन अजय सिंह यादव से पूछो उनके दो-दो प्रश्न लगे हैं। (विघ्न) आप बैठ जाएं। डा० साहब, आप जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। (विघ्न) आपके प्रश्न रिजैक्ट करने वाले होंगे तो ही तो रिजैक्ट करे होंगे। (विघ्न) रमेश खटक जी, अब आप अपना प्रश्न पूछें। (विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप बैठिए। अब अगला प्रश्न होगा।

Repair of Roads

***1833. Sh. Ramesh Kumar Khatak :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads in Baroda constituency :—

(i) Sapurtkheri-Gangana (ii) Butana-Gangana (iii) Jind Road, Gohana-Jagsi via Bichpari; and (iv) Widening of Julana-Gohana Road ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : हां, श्रीमान जी।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे बड़ोदा हल्के में इशापूरखेड़ी से गंगाणा, बुटाना से गंगाणा, जींद सड़क, गोहाना-जागसी वाया बिधपड़ी को बनाने और जुलाना-गोहाना सड़क को चौड़ा करने की कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी और इन पर कितना खर्चा आएगा ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में ही सड़कों का जो जाल तंत्र है उसे बहुत ही मजबूत, बहुत की अच्छे ढंग से ठीक किया गया है और बड़ोदा हल्का भी उससे अछूता नहीं रह सकता है। मेरे साथी ने जो प्रश्न किया है उसका तो जबाव खैर उनको पता भी है क्योंकि उनके हल्के में बहुत अच्छी सड़कें बनायी गयी हैं। जो इशापूरखेड़ी से गंगाणा की सड़क है वह 4.10 किलोमीटर की है इसकी 28-2-2005 तक रिपेयर कर दी जाएगी और इस पर 17.19 लाख रुपये खर्च होंगे। यह सड़क मार्कैटिंग बोर्ड की है। इसी तरह से बुटाना से गंगाणा की सड़क 5.20 किलोमीटर की है और इस पर 6.58 लाख रुपये खर्च होंगे तथा दिसम्बर, 2004 तक इसकी कारपेटिंग कर दी जाएगी। जींद सड़क,गोहाना-जागसी वाया बिचपड़ी का भी टैंडर फ्लोट कर दिया गया है। इस पर 8 करोड़ 28 लाख 69 हजार रुपया खर्चा होगा। इस सड़क की ऐडमिनिस्ट्रेटिव

ऐप्रूवल मिल गयी है इसलिए इस पर बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह से जुलाना-गोहाना सड़क को चौड़ा करने की बात है यह 37.35 किलोमीटर सड़क है इस पर 5 करोड़ 91 लाख 61 हजार रुपये खर्च होंगे और यह अप्रैल, 2005 तक पूरी कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सड़कों की रिपेयर पर पूरे प्रदेश में 1220 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर 404 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं। आज हरियाणा प्रदेश की सड़के पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा उच्च स्तर की हैं जोकि बड़े ही गर्व की बात है। अगर किसी भाई के पास जहाज हो तो वह इन पर जहाज भी उड़ा सकता है।

चौ० नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली के अंदर से बड़े व्हीकल्ज क्रास नहीं कर सकते । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर कोई सुपर हाई-वे बनाने जा रही है ? मुझे अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिला है कि यह हाई-वे दुनिया का सबसे चौड़ा हाई-वे होगा। अगर सरकार का इस तरह का हाई-वे बनाने का विचार है तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस पर कब से कार्यवाही शुरू होने जा रही है ? (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठ जाएं। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, डा० साहब और कर्ण सिंह तो आपसे अब यह पूछ रहे हैं कि वार्निंग के बाद आपका अगला कदम क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में हम पलवल से लेकर कुंडली तक एक एक्सप्रेस हाई-वे बनाने जा रहे हैं। यह एक्सप्रेस हाई-वे शायद हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी हाई-वे होगी। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, बहुत जल्द हम इस पर काम शुरू करने जा रहे हैं। इस सड़क के बनने के बाद हरियाणा पूर्ण रूप से विकसित प्रदेश की श्रेणी में शुमार हो जाएगा क्योंकि उस सड़क के दोनों तरफ उद्योग-धंधे स्थापित होंगे, व्यापारिक संस्थान स्थापित होंगे और लोगों को आवागमन की ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें होंगी।

Amount Sanctioned/ Released by the H.R.D.F. Board

***1834. Sh. Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) the date on which HRDF Board was constituted and ;

(b) the details of the amount sanctioned/released by the said Board for the developed work in rural areas of the State upto July, 1999 and during the period from August, 1999 to 30th June, 2004 ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : श्री मान जी,

(क) दिनांक 15 जनवरी, 1987 को।

[श्री रामपाल माजरा]

(ख) हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड द्वारा जुलाई 1999 तक 374.84 करोड़ रु० स्वीकृत किए गए तथा 337.43 करोड़ रु० की राशि जारी की गई। अगस्त 1999 से 30 जून 2004 तक बोर्ड द्वारा 817.36 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की गई जिसमें 721.78 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों के लिए जारी की जा चुकी है।

श्री भगवान सहाय रावत : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माजरा साहब ने जो उत्तर दिया है उसमें जो स्पष्ट तुलनात्मक दृष्टि से अवधि और पैसे के खर्च की राशि दर्शाई गई है, उसके लिए धन्यवाद करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जनवरी 1987 से जुलाई 1999 तक 12 वर्ष की अवधि बनती है उस 12 वर्ष की अवधि के लिए 374.84 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई व 337.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा सत्ता संभालने के बाद सिर्फ पांच वर्ष की अवधि में 817.36 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई व 721.78 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, इसे यदि मैं मैथमैटिक्स की दृष्टि से देखता हूं तो इसमें बहुत भारी अंतर पाता हूं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि 15 जनवरी, 1987 को गठित जो ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड है इसके अन्तर्गत किन-किन स्कीम्स में सबसे अधिक यह राशि विकास के लिए खर्च की गई है, इसको क्रमवार माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री राम पाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड द्वारा अपनी मीटिंग में यह तय किया गया है कि विभिन्न स्कीमों के लिए अनुदान राशि दी जाएगी। यह कार्यक्रम विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि यह राशि किन-किन मदों में दी जाती है, मैं बताना चाहूंगा कि गांव की गलियों के निर्माण के लिए यह राशि दी जाती है। गांव की गलियों के निर्माण के लिए अब से पहले यह देखने में आता था कि बहुत बड़े बड़े शहरों जैसे बम्बई, कलकत्ता और चण्डीगढ़ जैसे शहरों में सीमेन्ट की गलियां बनती थी। आज उपाध्यक्ष महोदय, उसकी वजह से और हरियाणा प्रदेश की सरकार के मुखिया श्री चौटाला जी की वजह से गांव के कीचड़ भरे रास्तों में सीमेन्ट की गलियों का निर्माण हो सका है। इसके अतिरिक्त स्कूल जो शिक्षा के मंदिर होते हैं उन स्कूलों के कमरों का, स्कूल की चारदीवारी का निर्माण भी इसकी राशि से किया गया है। इससे पहले उन स्कूलों की हालत ऐसी थी कि उनमें बच्चे बैठ नहीं सकते थे। अब स्कूलों की हालत इस प्रकार की है कि वहां की मनमोहक बिल्डिंग बच्चों को खुद वहां बुलाती है और बच्चे उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं आज एच०आर०डी०एफ० की वजह से स्कूल फाइव स्टार होटलों जैसे हो गए हैं इसके अलावा गंदे पानी की डिस्पोजल के लिए नाला, सामान्य चौपालों के निर्माण के लिए, नयी हरिजन चौपालों के निर्माण व मरम्मत के लिए, बैकवर्ड चौपालों के निर्माण व उनकी मरम्मत के लिए भी इसकी राशि दी जाती है। हरिजन चौपाल कम्पलीशन, बैकवर्ड चौपाल का कम्पलीशन, हरिजन चौपाल की चार दीवारी, बैकवर्ड चौपाल की चार दीवारी चौधरी देवीलाल जी के सपने को साकार करती है। कुछ वर्ग पिछड़े हुए थे। और उनका कोई विकास नहीं था । डिप्टी स्पीकर सर, जो बैकवर्ड वर्ग के लोग हैं उनके आने-जाने के लिए, शादी विवाह के लिए और बारात के लिए चौपाल बनाने और चौपालों को कम्पलीट करने के लिए, उनको सजाने के लिए ग्रामीण विकास निधि से पैसा दिया गया है और मेरे ख्याल से रिकार्ड तोड़

चौपालें इस शासनकाल में गरीबों की बस्तियों में बनाई गई हैं। इसी प्रकार से पंचायत घर, पंचायत घर की चार दीवारी, पंचायत घर का कम्पलीशन और मरम्मत, शमशान घाट-कब्रिस्तान की चार दीवारी, शमशान घाट को जाने वाला रास्ता, शमशान घाट के शैड का निर्माण, हाड्डा रोडी की चार दीवारी, जोहड़ में पानी भरने के लिए खाल, स्कूल की चार दीवारी, स्टाफ रूम, साईंस रूम, रिटैनिंग वाल, ग्रामीण सड़कें, जल वितरण, गऊ घाट, आयुर्वैदिक डिस्पैंसरी, सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले रास्ते, पार्क, कम्यूनिटी सैंटर, नई डिस्पैंसरी, एस०एन०सी० पशु डिस्पैंसरी, एस०एन०सी० की चार दीवारी, एस०एन०सी० की मरम्मत, नया पशु अस्पताल, पशु अस्पताल की चार दीवारी, पशु अस्पताल की मरम्मत, ग्रामीण स्वच्छता व अन्य काम करवाने का काम भी ग्रामीण विकास निधि की राशि से किया है।

श्रीमती अनिता यादव : डिप्टी स्पीकर सर, मैं माननीय सी०पी०एस० महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि डालनवास गांव में कोई हरिजन चौपाल नहीं है और मुढाड्ढा में जो हरिजन चौपाल है उसका अभी तक कोई काम पूरा नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : अनिता जी, आपका प्रश्न एच०आर०डी०एफ० से संबंधित नहीं है।

श्री रामपाल माजरा : डिप्टी स्पीकर सर, इनका यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ये अलग से इस बारे में नोटिस दे दें। फिर भी मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की हुई है कि कोई भी हरिजन चौपाल, कोई भी बैकवर्ड चौपाल, कोई भी स्कूल की बिल्डिंग और चार दीवारी का कम्पलीशन और उसकी बाकी नहीं रहेगी सबका काम कम्पलीट कर दिया जायेगा। अगर ऐसी घोषणा के बाद वहां की चौपाल का एस्टिमेट वगैरह बन गया हो तो ये हमें बता दें वह भी काम कम्पलीट कर दिया जायेगा।

Communication System of Police Department

***1837. Sh. Rambir Singh :** Will the Chief Minister be peleased to state the steps taken or likely to be taken to provide effective communication system in the Police Department; if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : श्रीमान् जी, सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

पुलिस विभाग की मौजूदा संचार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, ध्वनि एवम् डाटा स्थानान्तरण करने के लिये कम्पयूटरकृत संचार प्रणाली जिसे वाईड एरिया नेटवर्क (वैन) का नाम दिया गया है पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के तहत स्थापित की जा रही है। इस योजना के अधीन राज्य पुलिस मुख्यालय पंचकूला, सभी पुलिस मण्डल कार्यालय, जिला मुख्यालय, हरियाणा भवन, नई दिल्ली एवम् हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़ को भारत संचार निगम लिमिटिड से किराये पर ली गई वी०पी०एन० से परस्पर जोड़ा जायेगा।

इसके अतिरिक्त,भारत सरकार एक उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क स्थापित करने जा रही है जिसे पोलनेट के नाम से जाना जायेगा। इस प्रणाली द्वारा देश के सभी राज्यों की राजधानियों, सभी जिला मुख्यालय, सभी पुलिस थानों को परस्पर जोड़ा जायेगा जिसमें हरियाणा राज्य की ध्वनि एवम् डाटा संचार व्यवस्था भी शामिल है।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहता हूं कि जो आजकल संचार प्रणालियां हमारे पुलिस विभाग में देने जा रहे हैं उनको कब तक कम्पलीट कर दिया जायेगा।

श्री रामपाल माजरा : डिप्टी स्पीकर सर, दो तरह की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त-दुरुस्त करने के लिए वाइड एरिया नैटवर्क (WAN) जिसका आधा-आधा खर्चा हरियाणा सरकार और केन्द्र की सरकार वहन करेगी। माननीय सदस्य ने पूछा है कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह नेटवर्क इस वर्ष के अन्त तक सुचारू रूप से कार्य करना आरम्भ कर देगा। पुलिस स्टेशंज, उप-पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस नियंत्रणकक्ष, पुलिस महानिरीक्षक मण्डल कार्यालय और पुलिस मुख्यालय, पंचकूला यानी 400 जगहों को कम्प्यूटर से जोड़ा जा रहा है ये सभी स्थान पूरी तरह कम्प्यूटराईज्ड हो जायेंगे और जहां तक WAN स्कीम की बात है वह इस वर्ष के अन्त तक काम करना शुरू कर देगी। दूसरा स्पीकर सर, गोलनेट उपग्रह से संचालित संचार व्यवस्था पूरे देश में लागू होने जा रही है यह 1150 पुलिस स्टेशनों को जोड़ने की स्कीम है। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश उत्तर भारत में सबसे आगे है। इस बारे में जो इनफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमैन्ट ने देना था उस पर 75 लाख रुपये राज्य सरकार के खर्च होंगे और बाकी का पैसा केन्द्र सरकार देगी और यह स्कीम मार्च 2005 तक सुचारू रूप से काम करना प्रारम्भ कर देगी।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Outstanding Payment of Sugarcane

***1839. Sh. Bishan Lal Saini :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the payment of farmers on account of sugarcane is outstanding against the various cooperative Sugar Mills in the State ; if so, the details thereof ?

मुख्यमन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हरियाणा राज्य में किसी भी सहकारी चीनी मिल की तरफ गन्ने की कोई अदायगी बकाया नहीं है।

20-Point Programme

***1840. Sh. Puran Singh Dabra :** Will the Chief Minister be pleased to state the achievement made by the State Government under 20 Point Programme during the period from April, 2002 to March, 2004.

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट हरियाणा राज्य 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2002-03 (देश में चौथा स्थान)

क्र०	सूत्र का नाम	इकाई	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी के खिलाफ संघर्ष *सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	मजदूरों की संख्या	—	11918000	—
2.	वर्षा पर निर्भर कृषि विकास	परिमाणन सम्भव नहीं			
3.	सिंचाई जल का बेहतर उपयोग	परिमाणन सम्भव नहीं			
4.	उन्नत कृषि अधिक उत्पादन	परिमाणन सम्भव नहीं			
5.	भूमि सुधार *अधिवेशन भूमि का वितरण	एकड	200	18	9
6.	ग्रामीण श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम	परिमाणन सम्भव नहीं			
7.	पीने का साफ पानी *पीने के पानी का वितरण (गांव संख्या)	संख्या	48	753	1569
8.	सभी के लिये स्वास्थ्य *साधुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी०एच०सी०)	संख्या	3	1	33
	*प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी०एच०सी०)	संख्या	2	2	100
	*बाल प्रतिरक्षण (डी०पी०टी०, पोलियो, बी०सी०जी०)	संख्या	545000	539155	99
9.	दो बच्चों का परिवार *एकीकृत बाल विकास सेवा खंड प्रचालन (संख्यी)	संख्या	116	116	100
	*आंगनवाड़ी प्रचालन (संख्यी)	संख्या	13546	13546	100

[श्री ओम प्रकाश धौंदाला]

1	2	3	4	5	6
10.	शिक्षित राष्ट्र	परिमाणन सम्भव नहीं			
11.	अनुसूचित जातियों/ जनजातियों को न्याय				
	*अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	82000	93555	114
12.	महिलाओं को समानता	परिमाणन सम्भव नहीं			
13.	युवा वर्ग के लिये नये अवसर	परिमाणन सम्भव नहीं			
14.	सबके लिये मकान				
	*इन्दिरा आवास योजना	संख्या	9384	9840	105
	*निम्न आय वर्ग को आवास	संख्या	1500	1255	84
15.	तंग बस्तियों का सुधार				
	*गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या) की संख्या	शामिल व्यक्तियों की संख्या	41500	62771	151
16.	वन विस्तार				
	*निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	12500000	28004000	224
	*शामिल क्षेत्र एवं भूमि	हैक्टेयर	10000	20563	206
17.	पर्यावरण की रक्षा	परिमाणन सम्भव नहीं			
18.	उपभोक्ता कल्याण	परिमाणन सम्भव नहीं			
19.	गांव के लिये उर्जा				
	*शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	2200	8115	369
	*उन्नत चूल्हे	संख्या	1000	1254	125
20.	संवेदनशील प्रशासन	परिमाणन सम्भव नहीं			

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट हरियाणा राज्य 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2003-04 (देश में पहला स्थान)

क्र०	सूत्र का नाम	इकाई	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी के खिलाफ संघर्ष				
	*सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	मजदूरों की संख्या	—	6847000	—
2.	वर्षा पर-निर्भर कृषि विकास	परिमाणन सम्भव नहीं			
3.	सिंचाई जल का बेहतर उपयोग	परिमाणन सम्भव नहीं			
4.	उन्नत कृषि अधिक उत्पादन	परिमाणन सम्भव नहीं			
5.	भूमि सुधार				
	*अधिवेशेष भूमि का वितरण	एकड़	80	102	127
6.	ग्रामीण श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम	परिमाणन सम्भव नहीं			
7.	पीने का साफ पानी				
	*पीने के पानी का वितरण (गांव संख्या)	संख्या	—	557	—
8.	सभी के लिये स्वास्थ्य				
	*सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी०एच०सी०)	संख्या	9	0	0
	*प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी०एच०सी०)	संख्या	2	2	100
	*बाल प्रतिरक्षण (डी०पी०टी०, पोलियो, बी०सी०जी०)	संख्या	561364	534327	95
9.	दो बच्चों का परिवार				
	*एकीकृत बाल विकास सेवा खंड प्रचालन (संचयी)	संख्या	116	116	100
	*आंगनवाड़ी प्रचालन (संचयी)	संख्या	13546	13546	100

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

1	2	3	4	5	6
10.	शिक्षित राष्ट्र	परिमाणन सम्भव नहीं			
11.	अनुसूचित जातियों/ जनजातियों को न्याय				
	*अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	82000	82205	100
12.	महिलाओं को समानता	परिमाणन सम्भव नहीं			
13.	युवा वर्ग के लिये नये अवसर	परिमाणन सम्भव नहीं			
14.	सबके लिये मकान				
	*इन्दिरा आवास योजना	संख्या	10626	9286	87
	*निम्न आय वर्ग को आवास	संख्या	500	454	91
15.	लंग बस्तियों का सुधार				
	*गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	शामिल व्यक्तियों की संख्या	31375	43783	140
16.	वन विस्तार				
	*निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	128000000	31726000	113
	*शामिल क्षेत्र एवं वन भूमि	हैक्टयर	25000	18309	73
17.	पर्यावरण की रक्षा	परिमाणन सम्भव नहीं			
18.	उपभोक्ता कल्याण	परिमाणन सम्भव नहीं			
19.	गांव के लिये उर्जा				
	*शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	2200	15101	686
	*उन्नत चूल्हे	संख्या	1500	1433	96
20.	संवेदनशील प्रशासन	परिमाणन सम्भव नहीं			

Crop Insurance Scheme

*1843. **Sh. Padam Singh Dahiya :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the State Government have introduced Crop Insurance Scheme in the State; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (सं० जसविन्द्र सिंह संधू : जी हां, श्रीमान जी। विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

राज्य सरकार ने हरियाणा में फसल बीमा योजना खरीफ 2004 से मक्की, बाजरा, कपास तथा अरहर की फसलों पर लागू कर दी है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा रबी 1999-2000 मौसम से लागू किया गया था तथा यह योजना अब 23 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है परन्तु हरियाणा राज्य द्वारा इस योजना को खरीफ, 2004 मौसम से लागू किया गया है। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत हरियाणा में अधिक जोखिम वाली फसलें ली गयी हैं।

1. इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :—

(i) प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों के कारण किसी भी संसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज देना।

(ii) किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि तरीकों उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग अपने के लिए प्रोत्साहन देना।

(iii) विशेष कर आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना।

2. कवर किये जाने वाले किसान

इस योजना के अन्तर्गत सभी किसानों, जैसे बटाईदार और काश्तकार इत्यादि को कवर किया जायेगा। यह योजना ऋणी किसानों के लिये अनिवार्य है और गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

3. योजना के अन्तर्गत कवर किये जाने वाले जोखिम

(क) प्राकृतिक रूप से आग लगना और बिजली का गिरना।

(ख) तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाईफून, समुद्री तूफान, हरीकेन, टोरनाडो इत्यादि।

(ग) बाढ़, जल-प्लावन एवं भू-स्खलन।

(घ) सूखा, शुष्क अवधि।

(ङ) कीट/रोग इत्यादि।

4. बीमित राशि/प्रारम्भिक पैदावार

बीमित राशि किसानों की इच्छा अनुसार फसल की प्रारम्भिक पैदावार के स्तर के मूल्य तक बढाई जा सकती है। बीमा इकाई में किसी फसल के लिए प्रारम्भिक पैदावार या गारंटीशुदा पैदावार

[स० जसविन्द्र सिंह संधू]

पांच वर्षों की औसत उपज, क्षतिपूर्ति के स्तर से गुणित, के आधार पर संचालक औसत होगी। ऋणी किसानों के लिये बीमित राशि कम से कम दिये गये फसल ऋण के बराबर होगी।

5. योजना का कार्यान्वयन

योजना को क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर व्यापक आपदाओं के लिये प्रत्येक संसूचित फसलों के लिए निश्चित क्षेत्र आधार पर कार्यान्वित किया जायेगा तथा स्थानीय आपदाओं के लिए व्यक्तिगत आधार पर योजना क्रियान्वित की जायेगी। राज्य सरकार ने खण्ड को बीमा इकाई के रूप में लिया है जिसको बाद में ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाया जायेगा।

6. प्रीमियम दरें

राष्ट्रीय स्तर पर खरीफ मौसम में बाजरा एवं तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का 3.5 प्रतिशत तथा अन्य खाद्य फसलों के लिए बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत की प्रीमियम दरें लागू हैं।

हरियाणा राज्य में लागू की गयी प्रीमियम दरों का विवरण निम्नानुसार है :—

सारणी

फसल	मक्का	बाजरा	कपास	अरहर	चना	सरसों
प्रीमियम दर	2.5%	3.5%	4.05%	1.45%	2.0%	2.0%

7. प्रीमियम सबसिडी

योजना के अनुसार छोटे एवं सीमान्त किसानों को प्रीमियम राशि पर 50 प्रतिशत सबसिडी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। क्योंकि देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किये जाने का पांचवां वर्ष है इसलिए इस समय 10 प्रतिशत दर से प्रीमियम राशि पर सबसिडी दी जा रही है।

8. फसल पैदावार के अनुमान

पैदावार का अनुमान फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर लगाया जायेगा। राज्य सरकार फसल पैदादार का अनुमान लगाने के लिए, योजना के अनुसार हर एक अधिसूचित फसल के लिए प्रति अधिसूचित इकाई में 16 फसल कटाई प्रयोग नियोजित तथा आयोजित करेगी। इस फसल पैदावार को वास्तविक पैदावार कहा जायेगा।

9. दावों/मुआवजों को निर्धारित करने की प्रक्रिया

यदि बीमे वाले मौसम में परिभाषित क्षेत्र (फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या के आधार पर) के लिए बीमित फसल की प्रति हेक्टेयर वास्तविक पैदावार विनिर्दिष्ट 'प्रारम्भिक पैदावार' से कम रहती है,तो उस परिभाषित क्षेत्र में उस फसल के उत्पादक सभी किसानों को अपनी पैदावार

में कमी का सामना करता हुआ माना जायेगा। इस प्रकार की आकस्मिकता के लिए यह योजना निम्नलिखित कवरेज प्रदान करेगी :

{ पैदावार में कमी / प्रारम्भिक पैदावार } X किसान की बीमित राशि

(पैदावार में कमी = प्रारम्भिक पैदावार — वास्तविक पैदावार)

10. वित्तीय भागीदारियों का बंटवारा

योजना के क्रियान्वयन पर हुये खर्च, जैसे किसानों को क्षतिपूर्ति, प्रीमियम राजसहायता, संग्रह कोष तथा प्रशासकीय खर्चों आदि का वहन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर किया जायेगा।

11. कार्यान्वयन करने वाला अभिकरण

यह योजना भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के द्वारा सहकारी बैंकों, व्यवसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से लागू की जायेगी।

12. राज्य सरकार ने धान, गेहूं व गन्ने की फसलों को इस योजना में सम्मिलित न करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इन फसलों की औसत पैदावार में किसी वर्ष विशेष में खास कमी नहीं हुई है, जिस कारण हरियाणा के किसानों को इन फसलों के लिये इस योजना से विशेष लाभ नहीं मिलेगा।

13. दावों का निपटान (मुआवजे का भुगतान)

दावों की स्वीकृति व निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा किसानों को बहुत औपचारिकताएं पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार से पैदावार के आंकड़े प्राप्त होते ही दावे तैयार किये जायेंगे, जिनका निपटान भी भारतीय कृषि बीमा कम्पनी, जो विशेष रूप से फसल बीमा के लिये बनाई गई है, द्वारा कर दिया जायेगा। दावों के लिये दावों सम्बन्धी चैकों को दावों के विवरण सहित बीमा कम्पनी द्वारा सम्बंधित नोडल बैंकों को भेज दिया जायेगा। आगे यह बैंक निचले स्तर पर अलग-अलग किसानों के खातों में उनकी राशि जमा करेगें तथा अपने सूचना पट पर लाभार्थीयों का विवरण प्रदर्शित करेगें।

14. खरीफ 2004 में योजना प्रगति

बीमित फसलों के लिए खण्डों का चुनाव बीमित इकाई में उस फसल के अधीन क्षेत्र के आधार पर किया गया है। कपास फसल के लिए 39, मक्का के लिए 8, बाजरा के लिए 81 तथा अरहर के लिए 14 खण्ड लिए गये हैं 1 अगस्त 2004 के अन्त तक कुल 150702 किसानों की फसलों का 130.91 करोड़ रुपये की राशि का बीमा किया गया है।

Opening of Shaheed Udham Singh Polytechnic College, Tohana

***1846. Sh. Nishan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up the Shaheed Udham Singh Memorial Polytechnic College in Tohana, if so, the time by which the construction work of the said College is likely to be started ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्रीमान जी, शहीद उद्यम सिंह राजकीय बहुतकनीकी,टोहाना में खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु समयावधि नहीं दी जा सकती क्योंकि अभी तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम भूमि स्थानान्तरण होनी है।

Cases of Malaria & Dengu Fever

***1845. Sh. Dev Raj Dewan** : Will the Minister of State for Health be pleased to state whether it is a fact that some cases of Malaria and Dengu fever have been reported recently in the State; if so, the steps taken so far or proposed to be taken to control the said disease ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (डा० एम०एल० रंगा) : जी हां, श्रीमान् जी। हरियाणा राज्य में 1 जनवरी 2004 से 23 सितम्बर 2004 के दौरान 6990 मलेरिया के कन्फर्म मामले एवं 5 डेंगू के कन्फर्म मामले पाए गए है।

इन बीमारियों की रोकथाम हेतु बनाये गये एक्शन प्लान को दृढ़ता से लागू किया जा रहा है। इन बीमारियों की रोकथाम हेतु उठाये जा रहे पग बतौर अनुबंध सदन के पटल पर रखे गये हैं।

अनुबन्ध

मलेरिया तथा डेंगू की रोकथाम हेतु उठाये जा रहे पग

मलेरिया

- ज्वर रोगियों की रक्त पट्टिकायें बनाई जाती हैं। रक्त पट्टिकायें बनाते समय ज्वर रोगियों को अनुमानित उपचार हेतु क्लोरोक्वीन की गोलियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। एकत्रित की गई रक्त पट्टिकाओं का निरीक्षण 482 मलेरिया क्लीनिक्स में किया जाता है और जिन रोगियों में मलेरिया के कीटाणु पाये जाते है, उन्हें मूल उपचार भी दिया जाता है।
- राज्य में ग्राम पंचायतों/अध्यापकों/आंगनवाड़ी वर्करों इत्यादि के पास दवाई वितरण केन्द्र खोले गये है,जहां पर ज्वर रोगियों को मुफ्त में क्लोरोक्वीन की गोलियां दी जाती है।
- जिन 49 गांवों में गत वर्ष मलेरिया के केस अधिक मात्रा में पाये गये थे, वहां पर नियमित मैलाथीन कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा है।
- शेष क्षेत्रों में मास जुलाई के उपरान्त जहां कहीं भी मलेरिया का रोगी पाया जाता है, वहां पर उस घर तथा इर्द गिर्द के 50 घरों में मैलाथीन फौगिंग की जा रही है।
- जिन क्षेत्रों में मलेरिया के अधिक केस पाये जा रहे है, वहां पर चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामैडीकल की टीम नियमित तौर पर दौरा कर रही है और फीवर मास सर्वे एवं फौगिंग की जा रही है।
- जनता को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है और मलेरिया रोग तथा इसकी रोकथाम के तरीके भी बताये जा रहे है।

डेंगू

- इस बीमारी तथा इसके फैलाने वाले मच्छरों की निगरानी तेजी से की जा रही है।
- डेंगू ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को जानकारी दी जा रही है कि वह सप्ताह में एक बार अपने घर के सभी पानी से भरे बर्तनों को खाली करें व उन्हें ढक कर रखें। जहां पर यह सम्भव न हो, वहां पर उन्हें पानी में एक चम्मच मिट्टी का तेल पैट्रोल डालने का सुझाव दिया जा रहा है।
- डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की रोकथाम हेतु फौगिंग की जा रही है।
- मास मीडिया कार्य तेजी से किया जा रहा है।

इन रोगों की स्थिति की समीक्षा प्रति दिन राज्य मुख्यालय से लेकर पी०एच०सी० स्तर की जा रही है। इस वर्ष राज्य में अभी तक इन रोगों से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है।

Change in Master Plan

***1817. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state whether the State Government has made any change in the master plan of Gurgaon, Faridabad, Sonipat, Panchkula and other cities of the State, if so, the details thereof ?

नगर तथा ग्राम आयोजना मन्त्री (श्री बीरपाल सिंह) : नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग राज्य के शहरों के म्यूनिसिपल क्षेत्रों के ईर्द-गिर्द घोषित नियंत्रित क्षेत्रों के लिए विकास योजना तैयार करता है। गुड़गांव नियंत्रित क्षेत्र के लिए विकास योजना 2001 में समाप्त हो गई थी और 2021 ई० के परिक्षेप्य वर्ष के लिए नई विकास योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की सलाह से तैयार की जा रही है। इस दौरान सूचना प्राद्योगिकी नीति, आधारभूत संरचना संत्र को अपग्रेड करने तथा पुनर्स्थापना योजनाओं आदि की आवश्यकताओं को देखते हुये कुछ परिवर्तन किये गये/किये जा रहे हैं। फरीदाबाद शहर के लिए विकास योजना, जिसमें कि नियंत्रित क्षेत्र शामिल है, पहले ही परिक्षेप्य वर्ष 2011 के लिये तैयार की जा चुकी है। पिछले लगभग एक दशक के दौरान अंचल विनियमों में कुछ परिवर्तन, समाज के कमजोर वर्ग के पुनर्वास, क्रशर जोन को स्थानांतरित करने, जिला कारागार को स्थापित करने आदि के लिए भूमि उपयोग की आवश्यकता के मद्दे नजर किए गए हैं। सोनीपत और कुण्डली के लिए नई विकास योजना 2003 में, परिक्षेप्य वर्ष 2021 ई० के लिए, प्रकाशित की जा चुकी है। पंचकूला पैराफेरी क्षेत्र की शहरीकरण योजना पहले ही तैयार करके प्रदर्शित की जा चुकी है।

जहां तक हरियाणा के अन्य शहरों की विकास योजना का संबंध है उनमें कुछ परिक्षेप्य वर्ष 2021 ई० के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयार की जा रही है/प्रकाशित कर दी गई है।

Repair of Chaupals

***1826. Dr. Malik Chand Gambhir :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of chaupals of all the categories has been repaired in the State during the period from the year 2000 to date; and

[Dr. Malik Chand Ghambir]

(b) whether there is any chaupals in the State which are yet to be repaired, if so, the number thereof, togetherwith the time by which these remaining chaupals are likely to be repaired ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्री मान जी,

(क) राज्य में वर्ष 2000 से आज तक की अवधि के दौरान सभी श्रेणियों की 9640 चौपालों की मुरम्मत की गई है ; तथा

(ख) हां, राज्य में शेष 1248 चौपालों की मुरम्मत दिसम्बर 2004 तक पूरी होने की संभावना है।

District wise detail of repair of Chaupals from 2000 to till date (27/9/2004)

Rs. in lacs

Sr. No.	Name of District	No. of Chaupals of all Categories		Estimated Cost of	
		Repaired 2000 to till date	Yet to be repaired (upto which date will be Repaired)	Repaired Chaupals	Yet to be Repaired Chaupals
1.	Ambala	387	0	174.03	0.00
2.	Bhiwani	906	104	357.83	81.57
3.	Faridabad	968	71	355.86	36.21
4.	Fatehabad	277	17	132.69	7.84
5.	Gurgaon	415	87	172.99	53.96
6.	Hisar	535	79	314.05	59.00
7.	Jhajjar	460	70	250.31	35.00
8.	Jind	917	115	485.64	164.26
9.	Kaithal	768	25	313.79	14.92
10.	Karnal	592	37	322.22	29.95
11.	Kurukshetra	293	0	111.53	0.00
12.	Mohindergarh	273	0	79.16	0.00
13.	Panchkula	103	58	47.53	14.50
14.	Panipat	339	100	153.86	20.58
15.	Rewari	248	99	77.96	64.56
16.	Rohtak	287	199	124.10	122.69
17.	Sirsa	367	53	106.41	11.90
18.	Sonipat	1058	134	325.42	70.68
19.	Yamunanagar	447	0	68.54	0.00
Total		**9640**	**1248**	**3973.92**	**787.62**

Construction of a New Bye-pass

***1830. Sh. Lila Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new bye-pass from Jind road to Khanori road in Kaithal City; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान् जी, उपरोक्त विवयाधीन मामले में भूमि अभिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रक्रिया जारी की जा चुकी है। भूमि अभिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद डेढ़ वर्ष में कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा।

Widening of Bridge

***1832. Sh. Ramesh Kumar Khatak :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is a very narrow bridge on Kanoree Distributory near Village Rindhana (Sonepat) on Sonepat-Julana-Tohana State Highway ; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government for widening of the said bridge ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हा, श्रीमान् जी,यद्यपि वर्तमान में इस 10.5 फीट चौड़े पुल को चौड़ा करने की कोई योजना नहीं है।

Opening of Kanya Maha Vidhyalaya in Hathin

***1835. Sh. Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Kanya Maha Vidhyalaya in Hathin Constituency ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

Boosting of Morale of Police Force

***1838. Sh. Ranbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Government have made any policy to boost the morale of the Police Force in the State; if so. the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान् जी राज्य सरकार ने पुलिस बल के मनोबल को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न कदम उठाये हैं, जिनका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मचारियों के मनोबल को बढाने के लिये तथा उनके कल्याण हेतू उठाये गये कदमों बारे विवरण निम्नानुसार हैं—

(1) राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुकम्पा अनुदान के सम्बन्ध में एक नीति बनाई गई है जिसके अन्तर्गत 5 लाख रूपये की विशेष अनुकम्पा अनुदान राशि उन मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाती है जोकि उग्रवादियों एवम् असमाजिक तत्वों का मुकाबला करते हुये शहीद हो जाते हैं और मुकाबले के दौरान गंभीर रुप से

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

घायल हो जाने पर जिन कर्मचारियों के बाजू या टांगे बिल्कुल नाकारा हो जायें या रीढ़ की हड्डी में जख्म हो जाये या शरीर का कोई अंग नष्ट हो जाने पर आंशिक रूप से नाकारा हो जाये तो ऐसे कर्मचारियों को 3 लाख रुपये की दर से विशेष अनुकम्पा अनुदान राशि दी जायेगी। यह राशि निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे मृतकों की परिवारों को कर्मचारी के अन्तिम वेतन के बराबर सेवानिवृति की आयु तक पैन्शन दी जायेगी। तत्पश्चात् सामान्य पारिवारिक पैन्शन दी जायेगी।

(2) माह जुलाई, 1999 से अब तक 605 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नीति के अन्तर्गत नौकरी दी जा चुकी है। हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा सहायता नियम 2003 के अन्तर्गत अनुग्रहपूर्वक अनुकम्पा वित्तीय सहायता ढाई लाख रुपये की दर से दी जा रही है जिन्होंने नौकरी के लिये आवेदन नहीं किया है।

(3) दिनांक 7-1-2000 से सभी सिपाहियों तथा मुख्य सिपाहियों जोकि रिजर्व में तैनात हैं, उनको नियमानुसार मकान किराया भत्ता दिया जाता है।

(4) दिनांक 7-1-2000 से सभी सिपाहियों/ मुख्य सिपाहियों तथा अराजपत्रित अधिकारियों का वाहन भत्ता तीन गुणा कर दिया गया है जोकि निम्नानुसार बढाया गया है—

		पुरानी दरें	नई दरें
(1)	सिपाही/प्रधान सिपाही	20/-	60/-
(2)	सहायक उप निरीक्षक	50/-	150/-
(3)	उप निरीक्षक	60/-	180/-
(4)	निरीक्षक	75/-	225/-

(5) वर्दी रख-रखाव भत्ता बढ़ाकर दो गुणा कर दिया गया है जोकि निम्नानुसार बढाया गया है—

		पुरानी दरें	नई दरें
(1)	सिपाही/प्रधान सिपाही	25/-	50/-
(2)	सहायक उप निरीक्षक/उप निरीक्षक	40/-	80/-
(3)	निरीक्षक	60/-	120/-
(4)	उप पुलिस अधीक्षक	80/-	160/-

(6) दिनांक 6/4/2000 से हरियाणा पुलिस के सभी जवानों को मिलने वाली राशन मनी की राशि दो गुणा कर दी गई है जोकि निम्नानुसार है—

		पुरानी दरें	नई दरें
(1)	हरियाणा सशस्त्र पुलिस के सभी जवान (सिपाही से लेकर उप पुलिस अधीक्षक तक)	150/-	350/-
(2)	हरियाणा जिला पुलिस के सभी जवान (सिपाही से लेकर उ०पु०अ० तक)	100/-	250/-

(7) उप पुलिस अधीक्षकों का प्रारम्भिक वर्दी भत्ता 1200/- रुपये से बढाकर 5000/- रुपये कर दिया गया है। सात वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर यह वर्दी भत्ता 1000/- से बढ़ाकर 2000/- रुपये किया गया है।

(8) फरवरी, 2001 से हरियाणा पुलिस के सभी सिपाहियों को 50/- रुपये प्रति माह की दर से कठिनाई भत्ता का भुगतान वेतन के साथ किया जा रहा है।

(9) हरियाणा सरकार ने उनके पत्र क्रमांक 22/8/2002-3 एच०जी०-1 दिनांक 12/6/2003 द्वारा निर्णय लिया है कि उन अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों को सेवानिवृति के पश्चात् दो वर्ष/एक वर्ष की सेवाकाल में वृद्धि की जाएगी, जिन्होंने निम्नलिखित पुलिस पदक प्राप्त किए है—

क्रमांक	पदक का नाम	सेवाकाल में बढोतरी
1.	वीरता के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने पर या विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने पर।	सेवाकाल में दो वर्ष की बढ़ोतरी
2.	वीरता के लिये पुलिस पदक मिलने पर या सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिलने पर।	सेवाकाल में एक वर्ष की बढोतरी

(10) हरियाणा राज्य परिवहन बसों में रियायती बस सुविधा निरीक्षक के पद तक दी जा रही है।

(11) राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन सिपाहियों का सेवाकाल 16 वर्ष हो चुका है उन्हें Exemptee मुख्य सिपाही पद पर पदौन्नति दी जायेगी, सभी Exemptee मुख्य सिपाही जिनका सेवाकाल 30 वर्ष हो चुका है उनको Exemptee सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदौन्नति दी जायेगी तथा 35 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने वाले सभी Exemptee सहायक उन निरीक्षकों को Exemptee उप निरीक्षक के पद पर पदौन्नत कर दिया जायेगा। इस नीति के अन्तर्गत 2 E/SI, 600 E/ASI तथा 4465 UGC/EHC पदौन्नत किये गये हैं।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

(12) हुड्डा (HUDA) ने मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों जो असामाजिक तत्वों का मुकाबला करते हुये शहीद हो गये हैं, के आश्रितों के लिये सैक्टरों में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के प्लाटों में 2 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया गया है जोकि निम्नानुसार है—

(i) मृतक उप पुलिस अधीक्षक और उससे उपर के रैंक के अधिकारियों के आश्रितों के लिये — 10 मरला

(ii) अन्य पदों के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिये — 4 से 8 मरला

(13) पिछले 5 वर्षों के दौरान पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न टाईप के 3838 रिहायशी मकानों का निर्माण किया गया है तथा 3176 मकान निर्णाणाधीन हैं।

(14) कमाण्डों के जवानों की डाईट मनी 10/- रुपये प्रति माह से बढाकर 20/- रुपये प्रति दिन कर दी गई है तथा कमाण्डों में नियुक्त कुक व जलवाहक की डाईट मनी 5/- रुपये से बढाकर 10/- रुपये प्रति दिन की दी गई है।

(15) पुलिस जवानों की भलाई के लिये हरियाणा पुलिस वैलफेयर एण्ड स्पोर्ट्स सोसाईटी का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत पुलिस कर्मचारियों तथा उनके परिवार को विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गई हैं जैसे कि डैथ रिलीफ मनी, डिसएबलिटी ग्रान्ट, रिटायरमैन्ट बैनिफिट बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृतियां और जरूरत पड़ने पर ऋण देना।

Providing of Industrial Security

***1841 Sh. Puran Singh Dabra :** Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or likely to be taken to provide industrial security force in the State, if so, the detail thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्री मान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

राज्य में हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अधिसूचना दिनांक 13-10-2003 द्वारा हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एक्ट 2003 को अधिसूचित राज्य विधान मण्डल द्वारा मन्जूर करने के उपरान्त किया था। उपरोक्त अधिसूचना के उपरान्त सरकार ने हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की पांच वाहिनी स्वीकृत की। इन पांच वाहिनीयों में से एक वाहिनी ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया जिसमें सुपरवाईजरी स्टाफ, सहायक एवं लिपिक समेत वर्तमान साधनों से उपलब्ध करवाया गया है। सहायक उप निरीक्षक, प्रधान सिपाही तथा सिपाही जो जिला पुलिस और सशस्त्र पुलिस वाहिनीयों द्वारा सुरक्षा कार्यों पर भेजे गये थे उन्हें हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की वाहिनीयों में प्रतिनियुक्ति आधार पर तब तक स्थानान्तरित किया गया है जब तक नियमित प्रबन्ध नहीं किये जायें।

इन हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की पांच वाहिनीयों के लिए निम्नलिखित 3450 सिपाहियों का चयन विभिन्न चयन बोर्डों द्वारा किया जा रहा है :—

क्र०स०		पुरुष सिपाही	महिला सिपाही	कुल
1.	सामान्य डियुटी सिपाही	2367	646	3013
2.	सिपाही (ड्राईवर)	250	—	250
3.	सामान्य डियुटी सिपाही (खिलाड़ी)	83	20	103
4.	वायरलैस ओप्रेटर	68	16	84
	कुल	2768	682	3450

भर्ती की प्रक्रिया अम्बाला, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, यमुनानगर, झज्जर, जीन्द, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला एवं जी०आर०पी० अम्बाला में चयन बोर्डों द्वारा चल रही है तथा जो लगभग एक महीने में पूरी हो जायेगी। जवानों की भर्ती एवं प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् ये पांचों वाहिनीयां राज्य के सरकारी या गैर सरकारी विभागों आदि में उनकी मांग एवं उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी।

घोषणएं

(क) उपाध्यक्ष द्वारा-

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

Mr. Deputy Speaker : Now, there are some important announcements.

Hon'ble Members under Rule (1) of th Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly Hon'ble Speaker has nominated the following members to serve on the Panel of Chairperson :-

1. Shri Bhagi Ram, M.L.A.
2. Shri Puran Singh Dabra, M.L.A.
3. Shri Anil Vij, M.L.A.
4. Shri Balbir Pal Shah, M.L.A.

(ii) याचिका समिति

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, under Rule 303 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, Hon'ble speaker has nominated the following members to serve on the Committee on Petitions :—

1. Shri Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker	Ex-officio Chairperson

[Mr. Deputy Speaker]

2. Prof. Ram Bhagat, M.L.A. Member
3. Shri Puran Singh Dabra, M.L.A. Member
4. Shri Jasbir Mallour, M.L.A. Member
5. Shri Jitender Singh Malik, M.L.A. Member

(At this stage, the Hon'ble Speaker occupied the Chair.)

(ख) अध्यक्ष द्वारा-

(i) सदस्यों के त्याग पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 58(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. I have to inform the House that Shri Krishan Pal Gurjar, M.L.A.; Smt. Veena Chhibber, M.L.A.; Shri Kapoor Chand, M.L.A.; Smt. Sarita Narain, M.L.A.; Shri Chander Bhatia, M.L.A. and Shri Kanwar Pal, M.L.A. have resigned their seats in Haryana Legislative Assembly vide their letter dated 18th July, 2004, which were accepted by me on 19th July, 2004.

(ग) सचिव द्वारा-

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने फरवरी, 2004 तथा जून, 2004 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं—

February Session, 2004

The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2004.

June Session, 2004

1. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2004.
2. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2004.
3. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill, 2004.
4. The Restriction of Habitual Offenders (Punjab) Haryana Repeal Bill, 2004.
5. The Punjab Habitual Offenders (Control and Reform) Haryana Repeal Bill, 2004.
6. The East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 2004.

7. The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2004.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a calling attention notice No. 5 from Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A. and 4 other M.L.As. regarding declaration by the Government to apply the slab system for the tubewells in the State. I admit it. Capt. Ajay Singh may read out his notice.

कैप्टन साहब, मैंने आपका यह कालिंग अटैंशन नोटिस एडमिट तो कर लिया है परन्तु इसको बिजनैस एडवाइजरी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद टेक अप किया जाएगा और सभी संबंधित मंत्री इसका जवाब देंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/ स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, मैंने Bungling in the auction of government land in Gurgaon के बारे में एडजर्नमैंट मोशन दिया था, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है . . .

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें, आपने जो एडजर्नमैंट मोशंज दिए हैं मैं उनका जवाब देता हूं। पहला एडजर्नमैंट मोशन श्री कर्ण सिंह दलाल का है regarding decrease the share of water of district Faridabad in Agra Canal that has been disallowed. इनका दूसरा एडजर्नमैंट मोशन है regarding the permission by the Haryana Government to open slaughter house in Gurgaon District that has been disallowed.

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एडजर्नमैंट मोशन क्यों डिसअलाउ की गई है ?

Mr. Speaker : Hear say is no evidence, थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य ने सड़क के बारे में कहा आपको जानकारी है। उसके बारे में आपने कहा कि सुना सुनाया कोई प्रश्न ही नहीं है। आप लिखते ही सुना सुनाया है इसलिए हमने आपका यह मोशन डिसअलाउ कर दिया। (शोर) कैप्टन साहब, आप बैठिये और भी सुन लें क्योंकि आपका काफी मामला है।

Notice of Calling Attention Motion No. 3 regarding degradation of standard of education due to wrong policy of the Government in Haryana, received from Capt. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. has been disallowed. Notice of Calling Attention Motion No. 4 received from Capt. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. regarding acquisition of land in I.M.T. Manesar District Gurgaon, has been disallowed. Notice of Calling Attention Motion No. 5 regarding declaration by the Government to apply slab system for tubewells in the State of Haryana, received from Capt. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. has been admitted for today.

[Mr. Speaker]

Notice of Calling Attention Motion No. 6 regarding implementation of 85th amendment in Constitution of India regarding seniority of SC/ST Government Servants received from Capt. Ajay Singh Yadav and 9 other M.L.As. has been disallowed. Notice of Calling Attention Motion No. 7 regarding setting up of a University in the backward area of South Haryana received from Capt. Ajay Singh Yadav and 8 other M.L.As. has been disallowed.

Notice of Calling Attention Motion No. 8 regarding allotment of plots at Gurgaon by draw of lots by Estate Officer of HUDA, received from Capt. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. has been sent to Government for comments.

Notice of Calling Attention Motion No. 9 regarding acquisition of land of farmers in I.M.T. Manesar District Gurgaon received from Shri Dharam Pal, M.L.A. has been disallowed. Notice of Calling Attention Motion No. 10 regarding spreading of disease and supply of dirty drinking water in the State, received from Capt. Ajay Singh Yadav and 8 other M.L.As. has been disallowed.

Notice of Adjournment Motion No. 1 regarding equitable distribution issue of water for irrigation in Haryana received from Capt. Ajay Singh Yadav and 3 other M.L.As. has been disallowed. Notice of Adjourned Motion No. 2 regarding the law and order situation in the State of Haryana, received from Capt. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. has been disallowed. Notice of Adjournment Motion No. 3 regarding misuse of the Government fund and machinery for celebration of Devi Lal Jayanti at Fatehabad on 25th September, 2004 received from Capt. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. has been disallowed.

Notice of Adjournment Motion No. 4 regarding the issue of irregular supply of power being supplied to the Agriculture and domestic sector received from Capt. Ajay Singh Yadav and 8 other M.L.As. has been disallowed. Notice of Adjournment Motion No. 5 regarding to prepone of election of Panchayati Raj institutions and Local Bodies in Haryana, received from Capt. Ajay Singh Yadav and 9 other M.L.As. has been disallowed. Notice of Adjournment Motion No. 6 regarding the alleged irregularities in auction of Government land received from Capt. Ajay Singh Yadav and 7 other M.L.As. has been disallowed.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मोशन आपने डिसअलाउ किए हैं वे किस बेस पर किए हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपको कारण लिखकर भेज दिए हैं और यदि किसी एक आध का कारण रह गया है तो वह भी आपको भेज दिया जायेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मुझे नहीं मिले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : अब कैप्टन साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाये। कैप्टन साहब, ये Administrative मामले हैं इनमें आप दखल न करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब की कोई बात रिकार्ड नहीं की जाए। (शोर एवं व्यवधान) उदयभान जी, प्लीज आप बैठें। मेरी परमिशन के बगैर खड़े न हों।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक दिन का सैशन है और आप कह रहे हैं कि मेरा एक कालिंग अटेंशन मोशन आपने कंसीडेशन के लिए भेजा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, एक दिन के सैशन में कोई 6-6 एडजर्नमैंट मोशन थोड़ी दिए जाते हैं। आपके दिमाग की तारीफ करनी होगी कि आप एक दिन के सैशन में 6-6 एडजर्नमैंट मोशन देते हो। आप अपनी पार्टी के डिप्टी लीडर हैं, डिप्टी लीडर ऐसा नहीं करते। 6-6 एडजर्नमैंट मोशन का डिसीजन अभी थोड़ा ही हो जायेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब प्लीज आप बैठें। अब आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठें। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble members, now I present the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 10.30 A.M. on Wednesday, the 29th September, 2004 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Wednesday, the 29th September, 2004 at 2.00 P.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day without question being put.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[Mr. Speaker]

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on the 29th September, 2004 be transacted by the Sabha as follows :—

Wednesday, the 29th September, 2004 (2.00 P.M.)

1. Obituary References.
2. Questions Hour.
3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
4. Motion under Rule-15 regarding Non-stop sitting.
5. Motion under Rule-16 regarding adjournment of the Sabha *sine-die*.
6. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
7. Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for the presentation of final reports thereon.
8. Legislative Business."

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

चौ० भजन लाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, यह प्वायंट ऑफ आर्डर का समय नहीं है। आपको बोलने के लिए मौके का पता नहीं है कि किस समय बोलने के लिए खड़ा होना चाहिए। (शोर एवं विघ्न) आप बोलना नहीं चाहते तो बैठ जाएं। आपको बोलने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा और फिर मैं आपको मौका दूंगा।

चौ० भजन लाल : स्पीकर साहब, * * * *

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : इन्होंने जो अनपार्लियामेंटरी शब्द इस्तेमाल किए हैं वे कार्यवाही में से निकलवाए जाएं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी ने जो अनपार्लियामेंटरी शब्द इस्तेमाल किए हैं वे कार्यवाही में से निकाल दिए जाएं। (शोर एवं विघ्न) अब मैंने मोशन मूव कर दिया है। अब आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। आपकी बीफोर टाईम गाड़ी चलती है, ध्यान रखें कि बीफोर टाईम चलने वाली गाड़ी का एक्सीडैंट हो जाता है। (शोर एवं विघ्न)

चौ० भजन लाल : स्पीकर साहब, मुझे प्वायंट आफ आर्डर पर बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, लेकिन मोशन मूव होने के बाद ही आप बोल सकते हैं। सम्पत सिंह जी ने मोशन मूव कर दिया है, इसलिए अब आप बोल सकते हैं। पहले आप समय से पहले बोल रहे थे। आपको यह पता नहीं कि किस समय बोलना चाहिए। आप बोलने का मौका चूक जाते हो। (शोर एवं विघ्न)

चौ० भजन लाल : स्पीकर साहब, * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। आपने कुछ कहना ही नहीं है इसलिए आप बैठ जाएं। (शोर एवं विघ्न) किसी की कोई बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं विघ्न) आप लोग बताएं कि चौधरी भजन लाल जी ने बोलना है या आपके डिप्टी लीडर ने बोलना है ?

चौ० भजन लाल (आदमपुर) : स्पीकर साहब, आप सुनने की कृपा करें। पहले यह सैशन 3 दिन के लिए बुलाया जाना था। इस बारे में मेरी पहली बात तो यह है कि अभी अढाई महीने पहले ही सैशन बुलाया गया था इसलिए इस सैशन को बुलाये जाने की आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने यह सैशन इसलिए बुलाया है कि इनका यह आखिरी सैशन है। आप लोग दुबारा नहीं आ पाओगे। (शोर एवं विघ्न) * * * * * * * (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इनकी यह बात रिकार्ड न करें। भजन लाल जी आप चेयर को सम्बोधित करके बात कहें। पहले आप बताएं कि आप लड़ रहे हैं या बोल रहे हैं। आप मुझे सम्बोधित करके बोलें न कि किसी विधायक की तरफ देख कर बोलें। (शोर एवं विघ्न)

चौ० भजन लाल : आपको मेरी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि मैं उम्र में मुख्यमंत्री जी से भी बड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने जो भी बात कहनी है वह सिर्फ आज की कार्यवाही का एजेंडा जो सदन के सम्मुख रखा गया है यानि जो बी. ए. सी. की रिपोर्ट पेश हुई है उस बारे में कहें।

चौ० भजन लाल : आपने आज एक दिन का सैशन कर दिया जबकि पहले हमें बताया गया था कि 3 दिन तक सैशन चलेगा। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि सैशन का समय आज 3 दिन से कम करके केवल एक ही दिन का कर दिया। मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका बहुत ही खेदजनक है। इस तरह का काम करना इन्हें शोभा नहीं देता। * * * * * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : इनके ये शब्द रिकार्ड न किए जाएं। चौधरी भजन लाल जी आपको क्या हो गया, आप ठीक ढंग से बोलें।

चौ० भजन लाल : मुख्यमंत्री जी द्वारा इस तरह से सैशन बुलाये जाने के बारे में बाहर के लोग क्या महसूस करते होंगे ? अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने आपका क्या रवैया जायेगा ? एक दिन का सैशन बुला लिया और आज ही खत्म कर देंगे तो लोग क्या सोचेंगे और सरकार की और हाउस में बैठे हुए लोगों की क्या इज्जत रहेगी ? अध्यक्ष महोदय, वैसे तो 10 दिन का सैशन बुलवाया जाना चाहिए था लेकिन अगर 10 दिन का सैशन नहीं बुलाना था तो कम से कम सात दिन का सैशन तो जरूर होना चाहिए। आज बुधवार को सैशन बुलवाया गया है और आज बुधवार को ही सैशन खत्म हो जाएगा यह बड़ी ही खेदजनक बात है जो कि शोभा नहीं देती है इसलिए हम डटकर इसका विरोध करते हैं और सरकार से यह कहते हैं कि कम से कम सात दिन का सैशन जरूर बुलवाएं। इनको किस बात का खतरा है, इनको क्या डर है, ये भाग क्यों रहे हैं। (विघ्न) जनता का डर तो है, जनता तो इनको भगा ही देगी इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जाने वाले हैं लेकिन कृपा करके हाउस को एक हफ्ते के लिए बुलाएं ताकि सारे मैम्बर्ज इनके घोटालों के बारे में चर्चा कर सकें (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनके बड़े भारी घोटाले हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बैठिए (विघ्न एवं शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप अपनी सीट पर बैठें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस में सबमिट की गई है और मैं इस पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने आपकी सेवा में सात ऐडजॉर्नमैंट मोशन्ज और छः कॉलिंग अटैंशन मोशन्ज दी हुई हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : क्या सात ऐडजॉर्नमैंट मोशन्ज एक ही दिन में टेकअप करना सम्भव हो सकता है ? (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे बांड इशू का मामला और दूसरे मुद्दे हैं आपने यह बताया है कि वे अण्डर कंसिडेशन हैं लेकिन अगर एक दिन का सैशन होता है तो उन पर डिसकशन कब होगा ? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गुड़गांव में सरकारी भूमि की आक्शन में धांधलिंग की बात है इस पर कब डिसकशन होगी ? आठ बिल्ज हैं और इनमें से चार बिल हमें यहां आ कर मिले हैं। मैंने इस बारे में आपको एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें हमने कहा था कि "As per Rule 129(c) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, it is mandatory that the Bill is to be moved in the Assembly be made available to the Members 5 days before the day on which the motion is made." अध्यक्ष महोदय, आज आपने यहां पर बिल ला कर रख दिये और आप कह रहे हैं कि आज ही इन पर डिस्कशन भी हो जाए। केवल एक ही दिन का सैशन है, आप बताइये कि मैम्बर्ज बिल्ज को कब पढ़ेंगे ? कुछ बिल्ज हमारे पास रात को ही पहुंचे हैं। अध्यक्ष महोदय, आठ बिलों पर डिस्कशन होनी है और सबसे अहम् बिल पंचायती राज बिल है जिसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। एक कुरुक्षेत्र शराईन बिल है उस पर भी हमें अपनी बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : जब यह बिल पेश होगा तो आप जो कहना चाहते हैं वह कह लीजिए, अब आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। 14 तारीख को कैबिनेट मीटिंग थी और 29 तारीख को आपने सैशन बुला लिया। मैम्बर्ज को अपने क्वैश्चन देने के लिए 14 दिन का समय भी नहीं मिला। लेकिन अब आप मैम्बर्ज को ही कह रहे हैं कि उन्होंने क्वैश्चन नहीं दिए। अध्यक्ष महोदय, बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में मैंने रिक्वैस्ट की थी कि कम से कम 10 दिन का टाईम सैशन के लिए रखा जाए लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी तथा मुख्य मन्त्री जी भी कहने लगे कि कोई वर्क नहीं है। इतना सारा वर्क पड़ा है काफी ऐसे मैम्बर्ज हैं जो शायद एक दफा भी नहीं बोले हैं, उनको आप बोलने का मौका दें ताकि वे अपनी बात कह सकें। एक दिन का सैशन आपने रखा है संविधान के मुताबिक तो आप यह एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। स्पीकर साहब, मैंने बी०ए०सी० की मीटिंग में भी कहा था तथा मैं यह कह कर मीटिंग से उठ कर आ गया था कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुननी है तो मैं जा रहा हूं। आपने हमें बिजनैस एडवाईजरी कमेटी का मैम्बर बनाया है लेकिन आप हमारी बात न सुनें तो यह अच्छी बात नहीं है। हमारी जो ऐडजॉर्नमैंट मौशन्ज हैं आप कम से कम उन पर ध्यान दें और एक हफ्ते का सैशन कम से कम हो। आपसे मेरा यह अनुरोध है कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं और इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं हालांकि थोड़े समय के लिए ही आप बैठे हुए हैं आने वाले दिनों में तो आप आने वाले नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि अगर थोड़ी बहुत मर्यादा है तो आप गवर्नमैंट को डायरैक्ट फ्रीजिए कि सैशन की अवधि बढ़ाएं। (विघ्न)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें। सैशन के लिए 14 दिन के नोटिस का समय होता है लेकिन नोटिस के 14 दिन नहीं बनते हैं। सरकार ने अपने फायदे के लिए यह सैशन बुलाया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि अपनी मान मर्यादा के लिए सैशन की अवधि बढ़ाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिन का सैशन तो मखौल बन कर रह गया है। आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सैशन तो बुलाया जाए तीन दिन के लिए और उसे एक दिन में ही समाप्त कर दिया जाए। स्पीकर साहब, सरकार का पांच साल का लेखा-जोखा है, इतने भूमि के घोटाले हैं उन पर सब ने अपनी बात कहनी है। * * * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बिजनस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट पर नहीं बोल रहे हैं इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) अब आप जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है इसलिए आप बैठें। (विघ्न) क्या आप ठीक बात कह रहे हैं आप कभी ठीक बात तो कहते ही नहीं है ? (विघ्न)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) हर बात पर खड़ा होने की आपकी आदत सी हो गई है लेकिन आप फिर भी सब्जैक्ट पर नहीं बोल रहे हैं इसलिए आप बैठें। (विघ्न) ये जो कुछ भी ये बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh

परिवहन मंत्री (श्री अशोक अरोड़ा) : आप तो उनके साथ साजिश में शामिल हो। आप पंजाब सरकार में भी शामिल हो, केन्द्र की सरकार में भी शामिल हो। आप उनके साथ मिलकर साजिश कर रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। जगजीत सिंह जी, आप भी अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) प्रोफैसर साहब, आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं, वित्त मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हैं।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : सर, आप इनको बिठाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राम किशन फौजी जी, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) जगजीत सिंह जी, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) नहीं, नहीं, आप सब बैठ जाएं। आप में से किसी का कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है क्योंकि आप सब बिना इजाजत के बोल रहे हैं। इसलिए आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

वाक-आउट

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से अन्डर रूल 30 पर बोलना चाहता हूं। स्पीकर सर, इक्वीटेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, यह विषय दूर चला गया है। आप बहुत लेट हो गए हो। अब तो टाईम-टेबल का जिक्र है। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जएं, आप तैश में न आएं। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको वार्न करता हूं।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, * * * * ।

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं की जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाएं, आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाएं। मैं आपको वार्न करता हूं। इनका कुछ भी रिकार्ड न किया जाए।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, * * * * ।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं, मैं आपको आखिरी वार्निंग देता हूं। आप लोकतन्त्र का मजाक न उड़ाएं। आप सीमा में रहें। (शोर एवं व्यवधान) इनका कुछ भी रिकार्ड न करें क्योंकि ये सब्जैक्ट पर नहीं बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, * * * * ।

चौ० भजन लाल : स्पीकर सर, * * * * ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आपकी बात हो चुकी है। आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं। आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और न ही हमारी बात मान रहे हैं इसलिए हम सदन से वाकआउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य एवं आजाद सदस्य श्री जय प्रकाश गुप्ता, श्री राजेन्द्र सिंह बिसला, श्री देव राज दीवान, श्री भीम सेन मेहला, श्री दरियाव सिंह , श्री तेजवीर और श्री उदयभान सदन से वाकआउट कर गए।)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट (पुनरारम्भ)

श्री राम किशन फौजी (बवानी खेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बहुत ही कीमती समय है और एस०वाई०एल० का मुद्दा बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आया है और इस सरकार के हक में आया है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सभी सदस्यों से और कांग्रेस के भाईयों से निवेदन है कि ये शोर न मचाएं। मेरे कांग्रेस के भाई सोनिया जी से कहें कि वे हरियाणा में पानी लाएं। अगर ये पानी नहीं ला पाते हैं तो इसके लिए ये दोषी हैं। (शोर एवं व्यवधान) यहां पर पानी के बारे में और दूसरी बातों के बारे में सबसे ज्यादा अनिता जी शोर मचाती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठ जाएं। (विघ्न) अब कैप्टन साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए। कैप्टन साहब, आप फौजी साहब को बोलने दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * *

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी की या किसी दूसरे की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि कांग्रेस के 9 एम०पीज० हैं लेकिन इन में से किसी ने भी एस०वाई०एल० कैनाल के पानी लाने के बारे में एक बार भी दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से बात नहीं की है कि आप हमें इसका पानी दिलवाएं। इनको उनसे कहना चाहिए था कि अगर आप हमें इसका पानी नहीं दिलवाएंगे तो हम इसके विरोध में इस्तीफा दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अगर मौजूदा सरकार चाहती तो आज से तीन साल पहले ही एस०वाई०एल० कैनाल का पानी हरियाणा में आ सकता था लेकिन मौजूदा सरकार चाहती ही नहीं थी। अगर केन्द्र सरकार हमें इसका पानी नहीं दे रही थी तो यह रोड रोक देते, बसें फूंक देते लेकिन मौजूदा सरकार ने इस बारे में आज तक एक कदम भी नहीं उठाया।

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब, आप यह बताएं कि इस मामले में दिल्ली की सरकार का क्या रोल है ?

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सरकार ने तो बिल्कुल तबाह कर दिया है। हरियाणा की जनता ने मौजूदा सरकार को यहां पर और कांग्रेस के 9 एम०पीज० को हरियाणा के हित में बचाने के लिए चुनकर भेजा था न कि उनके हितों पर कुठाराघात करने के लिए। कांग्रेस

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री रामकिशन फौजी]

वालों को 9 एम०पीज० का वहम हो गया है लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि अब इनकी किसी की भी जमानत नहीं बचेगी। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विकास पार्टी नाम की कोई चिड़िया प्रदेश में नहीं रहेगी क्योंकि इनकी सारी पार्टी टूट रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप दोनों लड़ो मत। दोनों के हाल ठीक हो जाएगा। आप चिन्ता न करें। फौजी साहब, कैप्टन साहब ने ठीक ही कहा है। आप दोनों ही नहीं रहेंगे।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, आप भी नहीं रहेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप कौन सी पार्टी में हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी पार्टी में हूं मैं सभी की पार्टी में हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अनिता जी, आप बता दें कि पानी लाने के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब, ये आपकी बात से सहमत हैं क्योंकि इनमें से आपकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है।

वित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, अभी चौधरी भजन लाल जी, कैप्टन साहब, दलाल साहब और दूसरे अन्य साथियों ने ऐतराज उठाया कि एक ही दिन का सैशन है जब कि पहले तीन दिन का कॉल किया गया था और यह सैशन कम से कम दस दिन बारह दिन या पन्द्रह दिन का होना चाहिए। स्पीकर साहब, इन्होंने यह प्रश्न आपके सामने उठाया है। आप हरियाणा विधान सभा की प्रोसीडिंग्ज का रिकार्ड देख लें। पौने पांच साल से किस तरह से इनकी कार्यवाही रही है, योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, वह सबको पता ही है। प्रजातंत्र के अंदर अकेली रूलिंग पार्टी नहीं होती है बल्कि विपक्ष भी होता है। जब अधिवेशन होता है तो जनता भी देखती है कि रूलिंग पार्टी के लोग क्या जवाब देते हैं और अपोजीशन वाले क्या पूछते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठ जाएं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैंने तो कभी किसी को इंट्रप्शन नहीं की। मैं कभी किसी मैम्बर को एड्रैस करके नहीं बोलता और न ही कभी किसी को इंट्रप्ट करता। मैं आपको एड्रैस करके ही बोलता हूं। मैं कहना चाहता था कि सैल्फ कंट्राडिक्टरी बयान इनकी पार्टी के प्रधान ने दिए हैं। भजन लाल जी ने बोलते हुए पहली बात यही कही कि इस सैशन को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, यहीं से इनकी मंशा जाहिर हो जाती है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रजातंत्र के अंदर जहां एक तरफ हाउस का लीडर होता है जिनको हम मुख्यमंत्री कहते हैं और दूसरी तरफ विपक्ष का नेता भी होता है कांस पार्टी अपने आपको नेशनल पार्टी कहती है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : सिर्फ कहती नहीं है असल में नेशनल पार्टी है। * * * *

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं डॉ० घुबीर सिंह कादियान को बताना चाहता हूं कि....

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Dr. Raghubir Singh Kadian : I am addressing to the Speaker not to you.

Prof. Sampat Singh : Sir, out of 550 seats, the Congress has got only 145 seats. So Congress Party is not a national party. रीजनल पार्टी वाले भी 140-145 सीट्स ले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : रघुवीर सिंह कादियान, आप बैठ जाएं, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप यह बात कैसे कह रहे हैं। * * * *

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, आप बैठ जाएं। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। अंग्रेजों की बनाई पार्टी है अंग्रेजों का कब्जा है। आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहली बात मैंने बता दी थी कि नेशनल पार्टी जो मुख्य विपक्ष भी कहलाता है उनके अध्यक्ष ने अपनी बात स्टार्ट करते ही कहा था कि पहली बात तो इस सैशन को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे यह बात इस लिए दोहरानी पड़ रही है कि पहले भजन लाल जी बैठे नहीं थे।

चौ० भजन लाल : सैशन क्यों बुलाना पड़ा क्या आप यह भी बताएंगे ?

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक हैबिट है कि मैं चेयर को ऐड्रस करता हूं। भजन लाल जी मुझे अपनी बात कह लेने दें उसके बाद वे अपनी बात कह दें।

आई०जी० (से०नि०) श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो अंग्रेज का राज वाली बात कही गई थी that has to be expunged.

श्री अध्यक्ष : राज नहीं पार्टी जो कि अंग्रेजों ने बनाई थी। कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधान अंग्रेज थे और अब इटली की हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, मैं इनको बताना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल जी ने भी तो आधी उम्र कांग्रेस पार्टी में बिताई है।

प्रो० सम्पत सिंह : चौधरी देवी लाल जी उस पार्टी के सदस्य रहे हैं जिसके बैनर के नीचे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। उस आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस ने आजादी का जो सुख भोगा उस पार्टी में चौधरी देवी लाल जी नहीं रहे हैं। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई उस वक्त चौधरी देवी लाल जी मैंबर थे, इस बात का हमें फख्र है कि हमारे नेता स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। छोटी सी उम्र में, 14 साल की उम्र में जेल में जाना और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना इस बात को इनको ऐप्रीशिएट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी तब चौधरी देवी लाल जी भी ये लड़ाई लड़ रहे थे। देश के आजाद होने के बाद देश की आजादी के नाम का फायदा उठाकर कांग्रेस ने जिस तरीके से देश का शोषण किया है उस कांग्रेस के चौधरी देवी लाल जी मैंबर नहीं थे।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौ० भजन लाल : चौधरी देवी लाल काफी समय तक कांग्रेस के मैंबर रहे हैं। * * * *

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, हम और आप भी जब विपक्ष में होते थे तब हम अपने सवाल जब हाउस एडजर्न होता था उसके अगले वीक में ही भेज दिया करते थे। इसका मतलब तो यह है कि ये 15 दिन पहले ही सीरियस होते हैं बाकी साल सीरियस नहीं होते केवल मात्र शोर मचाते हैं। हरियाणा विकास पार्टी के सदस्य फौजी साहब ने एक बात कही। हालांकि मैं यहां पर उनकी बात दोहराना नहीं चाहता उन्होंने कहा था कि एस०वाई०एल० नहर के मामले में कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं है कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में कुछ नहीं किया, नाश कर दिया मैं सारी बातें रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने इधर भी इशारा किया कि यह सरकार भी इस मामले में सीरियस होती तो अब तक नहर बन जाती। स्पीकर सर, 24-7-1999 को जिस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने कार्यभार संभाला उसी दिन से एस०वाई०एल० नहर के मामले का जो बस्ता बन्द पड़ा था उसको ढूंढा और उसे खोलने का काम किया और सिर्फ खोलने का ही काम नहीं किया बल्कि बड़े से बड़े वकील को एनगेज किया और कानूनी लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा आया 15-1-2002 को। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है ? उस नतीजे में कहा गया कि एक साल के अन्दर उस नहर को पंजाब सरकार बनायेगी अगर पंजाब सरकार नहीं बनायेगी तो केन्द्र की सरकार बनायेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये आपका कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, इनको बोलने दें ये प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अपने नेता की सिफारिश कर रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। कैप्टन साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

प्रो० सम्पत सिंह : लीगल बैटल लड़ी गई थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को पता था कि पंजाब में इस नहर के मामले में राजनीतिकरण हो रहा है और इस राजनीतिकरण के होते पंजाब में कोई भी पार्टी इस नहर को नहीं बनायेगी चाहे वह पार्टी सुबह-सवेरे उठी हो और उसने अपनी आँखें भी नहीं धोई हों, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अकाली पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता 16.00 बजे पार्टी हो। कोई भी पार्टी हो सभी एक ही बात कहती हैं कि हम हरियाणा की जनता को एक बूंद पानी नहीं देंगे, सारी पार्टियां इस मामले में एक हैं। यह सोचते हुए ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सोचा कि इसका कोई राजनीतिक हल नहीं हो सकता इसका हल तो कानूनी होगा।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

हाईस्ट कोर्ट आफ दि लैंड सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके हम इस केस को जीतकर आए। 15 जनवरी को हम जीते, उसके बाद स्पीकर साहब, आपको पता है कि फरवरी में पंजाब में चुनाव हो चुके थे और वहां सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी और आने के बाद मालूम चला कि नवम्बर तक कोई काम नहीं हुआ। मेरे ये साथी कोई नहीं बोले, कोई चुस्के नहीं, कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, ये पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले नहीं, ये कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जी से मिलते और नहर बनवाते। पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। हमारे मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जानते थे कि पंजाब की सरकार यह नहर नहीं बनवाएगी तो नवम्बर में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह डायरैक्शन लेने के लिए गई कि गवर्नमैंट आफ इंडिया को डायरैक्ट किया जाए और उनको टाइम बाउंड किया जाए कि इस नहर को बनाया जाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को पहले ही मालूम था कि वहां 15 पार्टियां हैं वे नहर नहीं बनवाएंगी। (शोर एवं व्यवधान) मैं फौजी के सवाल का जवाब दे रहा हूं जो उन्होंने बेसिक सवाल उठाया था कि 4 साल तक सरकार क्या करती रही, I am telling about that कि सरकार क्या कर रही है। (शोर एवं व्यवधान) उसके बाद 14 जनवरी, 2003 आई, डे बन था कि गवर्नमैंट आफ इंडिया के पाले में गेंद जानी थी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय पहले ही कोर्ट में चले गए, ये लोग साल बाद धरना देते हैं। 4 जून, 2004 को फैसला आया। वह फैसला अपने आप में एक इतिहास बन गया। जैसे एक नवम्बर, 1966 एक इतिहास है जब चौधरी देवी लाल जी ने हरियाणा बनवाया था वैसे ही 4 जून, 2004 को भी एक इतिहास रचा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि within one month सैन्ट्रल एजैंसी एवार्ड की जाए उसके बाद within 14 days काम को एक्जीक्यूट किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी कोर्ट में without notice of 80 CPC गए। अब ये कह देंगे 80 CPC क्या है ? इन्होंने एक तारीख भी नहीं भुगती, जब तक इनकी सरकार रही, क्या किसी को इन्होंने कोई नोटिस दिया, इन्होंने कोई तारीख नहीं भुगती। केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए ये कोर्ट में गए थे। इनकी कोई याचिका कानूनी तौर पर वहां ठहर नहीं सकी। इन्होंने मात्र यही काम किया कि ये without 80 CPC कोर्ट में गए, कोई इनका नोटिस नहीं था। जो कुछ भी किया आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया, प्रजैंट गवर्नमैंट ने किया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं फौजी के सवाल का जवाब दे रहा हूं।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इस समय तो बी०ए०सी० पर डिस्कशन चल रही है, क्या इस समय यह डिस्कशन आप ठीक मानते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी और फौजी ने यह पूछा था इसलिए यदि उसका जवाब हम नहीं देंगे तो यह हमारे पार्ट पर कोताही होगी।

Mr. Speaker : Question is—

> That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

Mr. Speaker : Question is—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुन: रखे जाने वाले कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will re-lay/lay the papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to Re-lay on the Table of the House—

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 21/H.A. 20/1973/S. 64/2003, dated the 7th Febraary, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 2003, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 32/H.A. 20/1973/S. 64/2003, dated the 11th March, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 2003, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 36/H.A. 20/1973/S. 64/2003, dated the 26th March, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 2003, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 132/H.A. 13/2000/S. 26/2003, dated the 31st October, 2003, regarding the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Rules, 2003, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 135/H.A. 13/2000/S. 11/2003, dated the 13th November, 2003, regarding amendment in the Haryana Government Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 11/H.A. 13/2000/S. 11/2003, dated 27th January, 2003, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 10/H.A. 13/2000/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding exemption/reduction of Tax with effect from 22nd Jaunary, 2004 payable under the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 in exercise of the powers conferred by section 11(1) of the Act *ibid* and all other enabling powers and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 11/H.A. 13/2000/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding the amendment in Haryana Government Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 118/H.A. 13/2000/ S. 11/2000 dated 29th September, 2000, as required under

[Prof. Sampat Singh]

section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 12/H.A. 13/2000/S. 3/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding specification of rates of tax on entry of goods into local area except those specified in schedule-A appended to the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 in exercise of the powers conferred by section 3(1) of the Act *ibid* and all other enabling powers in this behalf and in supersession of Haryana Government Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 9/H.A. 13/2000/S. 3/2003 dated 27th January, 2003, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 45/H.A. 9/1979/S. 8/2004, dated the 29th April, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) second Amendment Rules, 2004, as required under section 8 (3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

Sir, I also beg to lay on the Table of the House—

The Education Department Notification No. S.O. 22/H.A. 12/1999/S. 24/2004, dated the 20th February, 2004, regarding the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2004, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Education Department Notification No. S.O. 67/H.A. 12/1999/S. 24/2004, dated the 11th August, 2004, regarding the Haryana School Education (Second Amendment) Rules, 2004, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 1999-2000, as required under section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Grant Utilization Certificate and Audit Report of Chaudhary Charana Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 2000-2001, as required under section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Annual Report of the Haryana Electricity Regulatory Commission for the year 2002-2003, as required under sub-para (5) of para II of the Schedule appended with the Haryana

Electricity Reform Act, 1998 and section 105(2) of the Electricity Act, 2003.

The Audit Report of the Haryana Labour Welfare Board for the year 2001-2002, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Servive) Act, 1971.

The 4th Annual Report of the Haryana Power Generation Corporation Limited for the year 2000-2001, as required under section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 36th Annual Report of Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 2002-2003, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 31st Annual Report of Haryana Tanneries Limited, Jind for the year 2002-2003, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Report of the Commission of Inquiry headed by Justice J.C. Verma (Retd.) regarding imposition and the subsequent withdrawal of the Prohibition Policy in Haryana alongwith Memorandum of Action Taken Report thereon by the State Government, as required under sub-section (4) of Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a calling attention notice from Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A. and 4 other M.L.As. regarding declaration by the Government to apply the slab system for tubewells in the State. I admit it. Capt. Ajay Singh Yadav may read out his notice.

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कालिंग अटेंशन मोशन को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में टेकअप कर लें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री जय प्रकाश बरवाला, भूतपूर्व एम०एल०ए० (अब सांसद) के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges will present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Puran Singh Dabra, M.L.A. and

[Mr. Speaker]

Shri Padam Singh Dahiya, M.L.A. against Shri Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (Now M.P.) regarding taking of Mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the Ruling of the Chair constantly thus committing the contempt of the House/Breach of Privilege etc. by Shri Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (Now M.P.) on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Seventh Preliminary report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Puran Singh Dabra, M.L.A. and Shri Padam Singh Dahiya, M.L.A. against Shri Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (Now M.P.) regarding taking of Mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the Ruling of the Chair constantly thus committing the contempt of the House/Breach of Privilege etc. by Shri Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (Now M.P.) on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Rajender Singh Bisla, M.L.A. and Shri Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A., for obstructing and making uncalled for remakrs against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. (Now M.P.) in taking Mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002 thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Rajender Singh Bisla, M.L.A. and Shri Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A., for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. (Now M.P.) in taking Mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002 thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मबीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम०एल०एज० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Shri Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to man handle with the watch and ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A. breaking a light box while rushing to the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharamvir Singh, M.L.A. and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. and thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A., Shri Dharamvir Singh, M.L.A., and Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Shri Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to man handle with the watch and ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A. breaking a light box while rushing to the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharamvir Singh, M.L.A. and using unparlaimentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. and thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A., Shri Dharamvir Singh, M.L.A. and Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iv) डा० रघुबीर सिंह कादियान, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, M.L.A. and Shri Jasbir Mallour, M.L.A. against Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing comtempt of the House/Breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, M.L.A. and

Shri Jasbir Mallour, M.L.A. against Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt ofthe House/Breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Member, I have received a Calling attention Notice regarding the declaration by the Government to apply slab system for tubewells in the State of Haryana from Capt. Ajay Singh Yadav and 4 other M.L.As. I admit it. Now, Capt. Ajay Singh Yadav, may read out his notice and the concerned Minister will make a statement thereafter.

Capt. Ajay Singh Yadav : Sir, I want to draw the attention of this August House towards a matter of urgent public importance for discussion in the current Session of Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004.

Recently, the State Government has made an announcement for implementing the slab system for the tubewells based on electricity. According to which the farmers will have to pay for tubewell bill @ Rs. 25 paise per unit or Rs. 35/- per horse power. But unfortunately like the other remaining announcements this announcement has also not been implemented. But even if the said announcement is implemented there is no hope of getting any relief therefrom to the farmers of Rewari, Mahendergarh, Jhajjar, Gurgaon, Bhiwani and Faridabad districts. Firstly, the farmers have to wait for years to get the tubewell connection. Secondly, an amount of Rs. 20,000/- have to be deposited per tubewell connection as a security. Not only this, Rs. 7000/- per pole will also have to be deposited separately after getting the tubewell connection. As the water level has gone down from 300 feet to 700 feet in the above said districts, therefore only submersible pumps can be installed there for which the farmers have to spent more than Rs. One Lac for its installation.

[Capt. Ajay Singh Yadav]

The slab system which is going to be implemented by the State Government is the misdemeanour to provide benefit only to the farmers of a particular area. As the areas of Rewari, Mahendergarh, Jhajjar, Bhiwani and Mewat area etc. are such areas where the water level is very low and the agricultural land is not more fertile. There is no sources of irrigation like canals etc. The farmers can take hardly one crop in a year in these districts. As a result of, the farmers have to depend on the electricity tubewells and they make both ends to meet. The agricultural land is not properly levelled in these districts due to which the farmers have to spent the money on the sprinkler irrigation separately. On the other hand there are such districts where the farmers are taking 3 crops in a year and the water level is also available upto 70-80 feet. Besides it, the farmers are not only dependent on the tubewells because there is also abundant of canal water. In this way, the southern Haryana is facing a shortage of irrigation facilities as compare to the remaining part of Haryana and is backward completely.

Therefore, the announcements which has now been made by State Government for implementing the slab system for the tubewells is a mere announcement and the farmers of the southern Haryana will not get any special relief therefrom. If the Government is really worried about the farmers than the Government should provide some relief by charging the electricity bills of the tubewells @ 15 paise per unit or Rs. 15/- per horse power in the above said districts of southern Haryana.

Therefore, they request the Government to clarify its position by making a statement in this regard on the floor of this House.

वक्तव्य

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, the concessional tariff to the tubewell consumers based on depth of tubewells was introduced w.e.f. 1-5-98 all over State. The tariff rates applicable for metered and un-metered tubewells were as under :

Depth	Tariff	
	Metered category	Un-metered category
Upto 100 ft.	62 P/unit	Rs. 100/BHP per month
101 to 150 ft.	50 P/Unit	Rs. 75/BHP per month
151 to 200 ft.	43 P/Unit	Rs. 60/BHP per month
Above 200 ft.	35 P/Unit	Rs. 54/BHP per month

These rates were further decided to be revised with effect from 1st September, 2001 as follows :

Depth	Tariff	
	Metered category	Un-metered category
Upto 100 ft.	65 P/unit	Rs. 104/BHP per month
101 to 150 ft.	53 P/Unit	Rs. 78/BHP per month
151 to 200 ft.	46 P/Unit	Rs. 63/BHP per month
Above 200 ft.	38 P/Unit	Rs. 48/BHP per month

The above rates were based on Patwar circle as a unit, governed by the majority tubewells falling in a depth zone. However, the concessional agricultural tariff under slab system led to wide spread discontentment among the farmers on because the water table in the State had generally gone down since 1998. Agricultural consumers therefore represented for a re-survey. There was resentment also as different tariff rates were applicable to the neighbouring tubewell consumers falling in different Patwar circles although the depth of such neighbouring tubewells was nearly similar.

Several consumers filed a writ petition before the High Court contesting the tariff policy. The State Government accordingly constituted a High Powered Committee under the Finance Minister Haryana which met several times. It was observed that the slab system of tariff was not relevant as the water level in the State had generally receded and consequently majority of tubewells were having depth of more than 200 ft. Re-surveys of the tubewells for ascertaining their depth was not possible as the survey originally carried out by the Agriculture Department was based on recall method.

Keeping in view the above factors and the recommendations of the High Powered Committee the State Government abolished the slab system of tariff in the State and recommended substitution of the same with a uniform tariff of Rs. 35/BHP/month for flat rate tubewells and 25 P/unit for metered tubewells with effect from 15th August, 2004. These tariff rates are substantially lower than lowest slab under the existing slab system for agricultural tubewell for which the State Government has agreed to provide additional subsidy to the extent of Rs. 138 crores annually. The annual minimum charges have also been lowered to Rs. 200 per annum from Rs. 540 per annum.

The new tariff rates announced are presently under consideration by the Haryana Electricity Regulatory Commission. The commission has been entrusted the function of determination of tariff under legislation and no change in tariff can be made without the approval of the Regulatory Commission.

[Prof. Sampat Singh]

It is incorrect to say that the farmers of Rewari, Mohindergarh, Jhajjar, Gurgaon, Bhiwani and Faridabad will not be benefited as the sub-soil water level in these districts is very low and no other source of irrigation is available. It may be pertinent to point out that an estimated 1,28,073 consumers having tubewells of various depth zones pertaining to above districts as mentioned will be benefited because of the reduction. The total estimated number of tubewells in the State is 3,84,344 thus 1/3rd of total tubewells in the State are in this Zone.

It may also be observed that all the consumers in various depth zones would be benefited with the new tariff policy.

It may further be pointed out that the depth of water table of 70 to 80 ft. in the State as indicated by the Hon'ble Member is no longer applicable for majority of tubewells in the State. The basic purpose of removing the slab system was to eliminate in differential treatment to the consumers and to lower the tariff rates, to a level where all the tubewell consumers in the State are substantially benefited.

It may also be mentioned that from the year 1993-94 to 1999-2000, a total number of 14546 agriculture connections were released whereas from the year 2000-2001 to August, 2004 a total number 45133 agriculture connections have been released.

It would thus be amply clear that the Calling Attention Motion of the Hon'ble Member is misinformed and without merit. The Government has taken unprecedented measures to benefit the agriculturists using tubewells in the State and the same is widely welcomed.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा जैसा कि मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा है कि एक तरफ तो आबियाना माफ कर दिया गया और जहां पर ट्यूबवैल नहीं हैं केवल नहरों पर आधारित सिंचाई व्यवस्था है वहां पर तो इन्होंने बिल्कुल फ्री पानी की घोषणा कर दी वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अपने जबाव में फिगर्ज देते हुए यह भी बताया कि 1,28,073 कंज्यूमर्ज ऐसे हैं जो डैप्थ जोन में हैं। इन्होंने अपने जबाव में यह भी बताया कि 3,84,344 ट्यूबवैल्ज यानी वन थर्ड ट्यूबवैल्ज ऐसे डैप्थ जोन में हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह फिगर्ज तो पांच जिलों की है जबकि हरियाणा में 19 जिले हैं। 19 जिलों के मुकाबले यह केवल पांच जिलों के बारे में बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर पानी 800 या 900 फुट नीचे चला गया है। मुख्यमंत्री जी जो फ्री बिजली और पानी की बात कर रहे थे तो मैं अपने स्पैसिफिक क्वैश्चन के माध्यम से उनसे जानना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में उन इलाकों में जहां पर खारा पानी है या जहां पर पानी बहुत नीचे चला गया है और जो इलाके केवल ट्यूबवैल बेस्ड हैं वहां के लोगों को आप स्पैसिफिक रिलीफ देंगे या नहीं देंगे ? यह मेरा प्रश्न है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिक्र किया पांच जिलों का। चूंकि मेरा वह जबाव अंग्रेजी में दिया जा रहा था और मैं उसको थोड़ा जल्दी भी पढ़ रहा था इसलिए कई बार आदमी की टंग स्लिप भी हो जाती है इसलिए हो सकता है कि ये मेरी बात को समझ न पाए हों। जैसा मैं पहले कह रहा था कि अच्छा होता कि ये उनकी रिकोगनेशन एज ए अपोजीशन लीडर ऑफ दी हाउस कर देते क्योंकि अपोजीशन का लीडर होता तो अच्छी बात होती लेकिन स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब यह था कि इन्होंने खुद कालिंग अटेंशन मोशन दिया है इसलिए इनको पता होना चाहिए कि उसमें भी इन्होंने सिर्फ पांच जिलों का जिक्र किया है। ऐसा करके ये तो खुद ही हरियाणा को भी बांटना चाहते थे जबकि सुबह ये नेशनल पार्टी की बात कर रहे थे। लेकिन इनकी इस तरह की बातें देखकर तो अब इनकी नेशनल पार्टी वाली बात भी नहीं रह गयी हैं। यह तो हरियाणा के अंदर भी रीजन बना रहे हैं लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल से हरियाणा बना है और इस हरियाणा को बनाने में बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी गयी है। लेकिन ये हरियाणा को नोर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जोन्ज में बांटना चाहते हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि सारे का सारा हरियाणा एक यूनिट है। सारे हरियाणा का एक साथ ख्याल करते हुए ही मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनायी और कमेटी बनाने के बाद इस मामले को थोरोली जांच किया गया। मेरे मित्र राजेन्द्र सिंह बिसला जी जो अब कांग्रेस में बैठे हैं, वे भी इस कमेटी की मीटिंग में आते थे, इनके अलावा और भी हमारे साथी आते थे। असैम्बली के आधे के करीब मैम्बर्ज को बुलाया गया था और उनसे इस बारे में पूछा गया था कि आप इस बारे में किस किस्म की बात चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मांग यह थी कि इसके दो स्लैब सिस्टम कर दिए जाने चाहिएं। एक तो 200 फिट की गहराई तक का स्लैब कर दें 200 फुट तक गहराई का जो रेट है वह दूसरा रख दिया और 200 फुट से ज्यादा गहराई का है वह दूसरा रख दिया। उसके अंदर यह मांग थी कि 200 फुट से ज्यादा गहराई के जो ट्यूबवैल हैं वहां नीचे का स्लैब 48 रुपये पर हॉर्स पॉवर वाला और 38 पैसे पर यूनिट वाला है वहां तो उस हिसाब से कर दें और इससे ऊपर वाले का 46 से 63 रुपये पर हॉर्स पॉवर के हिसाब से कर दें यह मांग थी सबकी तरफ से, इसको देखते हुए ये दोनों बातें छोड़ दीं हालांकि वे इससे भी ज्यादा रेट पर राजी थे लेकिन यह सोचकर कि ट्यूबवैल का पानी बहुत नीचे चला गया है और हर एरिया में नीचे गया है। जहां 200 फुट से नीचे था वहां भी और नीचे गया है जहां डेढ़ सौ फुट तक था वहां भी नीचे गया है, जहां सौ फुट तक था वहां भी और नीचे गया है सारी स्टेट में पानी नीचे गया है इसमें कोई दो राय नहीं है और इधर लिटिगेशंस भी आ रहे थे। जगह-जगह लोग कोर्ट्स में जा रहे थे लेकिन सवाल कोर्ट्स में जाने का नहीं था। पब्लिक के अंदर एक किनारे पर जो उसका पटवार सर्कल है उसका खेत आता है उसके ट्यूबवैल का रेट 104 रुपये था और साथ वाले खेत में क्योंकि दूसरा पटवार सर्कल आ जाता है उसका रेट 48 रुपये पर हार्स पावर के हिसाब से था इतनी बड़ी ऐनोमली थी। अध्यक्ष महोदय, आप भी फार्मर हैं आपके सामने भी ये बातें बार-बार आई हैं कि इस तरह से रेट्स अलग-अलग ट्यूबवैल के अलग-अलग आ रहे हैं इसका सिस्टम बनाएं। बड़ी मेहनत करने के बाद कमेटी ने रिपोर्ट दी और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ही फिराखदिली दिखाई उसको सारे हाउस को ऐप्रीशिएट करना चाहिए। बजाय इसके इनको यह नहीं करना चाहिए कि फलां जिल में फायदा नहीं हो रहा है। जो 200 फुट से नीचे गहरा बना है उसका रेट पहले 38 पैसे था उसे 38 पैसे से घटाकर 25 पैसे पर यूनिट कर दिया है सौ पर करेंगे तो It will amount to 37 or 38%. 37 और 38% परसैंट का सीधे बैनिफिट फार्मर को दिया गया है तो भी यह कहना कि रिलीफ नहीं दिया है यह गलत है। बाकायदा रिलीफ दिया गया है और हर कैटेगरी में सबको रिलीफ मिला है

[प्रो० सम्पत सिंह]

जो किसान ट्यूबवैल से खेती करते हैं उनके लिए इससे बढ़िया फैसला कोई हो नहीं सकता। इनको तो इसका वैलकम करना चाहिए और सारे हाउस को यूनैनिमसली वैलकम करना चाहिए कि यह जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है इसको हम सारे के सारे वैलकम करते हैं और दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि इसको लागू नहीं किया है। वह मैंने जवाब में बताया है कि यह 15 अगस्त से लागू माना जाएगा। कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है और इसके लिए 138 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी इसके लिए हमने हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटिरी कमीशन को सरकार की तरफ से लिखकर दे दिया है कि 138 करोड़ रुपया कैश सबसिडी के रूप में स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से उनको देंगे, अब उनका ऑर्डर अवेटिड है एक दिन में हो जाए, दो दिन में हो जाए या तीन दिन में हो जाए। हमारी तरफ से 15 अगस्त के बाद जिस रेट की घोषणा मुख्यमंत्री जी की तरफ से की गई है वह रेट लागू होंगे। यह कंसैशनल रेट्स हैं। They should welcome these concessional rates.

श्री शादी लाल बत्रा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा एक तरफ तो किसानों को राहत देने के लिए स्लैब रेट लाए गए हैं दूसरी तरफ यह नहीं देखा कि अगर तीन एकड़ का किसान है वह 20 हजार रुपये सिक्योरिटी देगा और जितने पोल लगेंगे उनका सात हजार रुपये प्रति पोल के हिसाब से देगा तो क्या किसान इतने चार्जिज देकर ट्यूबवैल के कनैक्शन ले पाएगा, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने बताया है कि 1994 से 1999-2000 तक 14544 कनैक्शन दिए गए थे और इन्होंने 45133 कनैक्शन दिए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि बकाया कितने हैं और कितने फार्मर्स ने एप्लाई कर रखा था जिनको कनैक्शन नहीं मिला और क्या कारण थे। मेरे विचार से उसकी दो वजह थी एक तो पानी की कमी थी, नहरों में पानी आता नहीं था। हमारे एरिया में रोहतक और झज्जर जिले में पानी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती तो नहरों में पानी आता और नहरों में पानी आता तो किसान कुछ इस बारे में सोचता लेकिन पानी न आने के कारण होल्डिंग छोटी हो गई, तीन एकड़ की हो गई, चार एकड़ की हो गई तब उसने ट्यूबवैल लगाना चाहा लेकिन ट्यूबवैल लगवाने के लिए सिक्योरिटी इतनी होगी, पोल के चार्जिज इतने ज्यादा होंगे तो ऐसे में किसान कैसे कनैक्शन ले पाएंगे यह मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जहां तक सिक्योरिटी की बात बत्रा साहब कह रहे हैं कि 20 हजार रुपये सिक्योरिटी है, 30 हजार रुपये सिक्योरिटी है कोई 20 हजार या 30 हजार रुपये सिक्योरिटी नहीं है। 30 रुपये पर बी०एच०पी० सिक्योरिटी है जहां तक कनैक्शन्ज की बात है। कनैक्शन जो बकाया हैं आज करीबन पांच हजार या 5400 कुछ के करीब कनैक्शन बकाया है। सरकार ने चाहा है कि चाहे रिपीटडली काम करना पड़े और ईवेन, प्राईवेट कम्पनी को इसमें इन्वोल्व करें और आउटसोर्स कर ले मैं आज सदन में यह कमिटमैंट करता हूं कि 15 अगस्त तक के जितने कनैक्शन बकाया हैं वे 31 दिसम्बर, 2004 तक दे दिए जायेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सम्पत सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने अपने जवाब में यह माना है कि किसानों को दिक्कत है। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में कई तरह के इलाके हैं एक इलाका तो ऐसा है जहां नहर का पानी जरूरत से ज्यादा उपलब्ध है और एक इलाका ऐसा है कि उसमें नहर का पानी तो दूर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि

क्या यह सरकार इस प्रकार का विचार करेगी कि जिन जिलों में नहर का पानी उपलब्ध नहीं है क्या उन जिलों को बिजली के मामले में कोई रियायत देगी। दूसरी बात स्पीकर सर, इन्होंने अपने रिप्लाई में कहा है कि—

> "The new tariff announced are presently under consideration of the Haryana Electricity Regulatory Commission. The Commission has been entrusted the function of determination of tariff and under legislation no change can be made without the approval of the Regulatory Commission."

स्पीकर सर, विधान सभा ने बिजली के मामले में कानून बनाकर बिजली बोर्ड के स्थान पर लिमिटेड कम्पनी बनाया और इस तरीके से क्या सरकार को उस कम्पनी के मामले में दखल देना चाहिए। जब प्राईवेट कम्पनी बनाई है तो जो सरकार ने बिजली के मामले में घोषणाएं की हैं क्या उस कम्पनी से इस बारे में पूछताछ की है या एक तरफा घोषणा कर दी कि यह काम अण्डर कंसीड्रेशन है क्या कानून में ऐसा प्रावधान है। (शोर) सरकार अपनी घोषणा को मानेगी या अपनी पोलिसी को मानेगी। इस बारे में जवाब मंत्री जी देंगे। दूसरा स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि इन्होंने घोषणा की है कि सारे किसानों का आबियाना माफ करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप क्वैश्चन पूछिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल का आबियाना जो हम यू०पी० की सरकार को देते हैं क्या यह सरकार वह आबियाना देने का काम करेगी क्योंकि यह आबियाना फरीदाबाद और मेवात के किसानों को देना पड़ता है क्या इस बारे में सरकार विचार करेगी। स्पीकर सर, इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप क्वैश्चन पूछिये। सुझाव तो मंत्री जी दे देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम सवाल है जिस तरीके से किसानों की दिक्कत हरियाणा के अन्दर है क्या मंत्री जी इस बारे में सदन की एक कमेटी बनायेंगे जिसमें सभी दलों के सदस्य सम्मिलित हों जो किसानों की समस्या से वाकिफ हों और संबंधित विभाग के साथ बैठकर विचार विमर्श करें और दूसरे प्रदेशों में जाकर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पता करें कि किस प्रकार से किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं। आज देश के अन्दर पंजाब का किसान सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है जबकि हरियाणा का किसान बर्बाद हो रहा है, बेकार हो रहा है, क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें। आप अपने सब्जैक्ट मैटर तक ही लिमिटेड रहें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सुझाव दे रहा हूं कि सदन की कमेटी बनाई जाये और उस कमेटी को एक महीने का समय दे दिया जाये हम उसमें सरकार को सुझाव देंगे * * * *

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें। इनकी कोई बात अब रिकार्ड न करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि मैं सोच रहा था कि मेरे साथी बहुत सीरियस प्रश्न पूछेंगे और हम उसका जवाब देंगे और पब्लिक इंट्रस्ट की बात हम करेंगे लेकिन कोई पब्लिक इंट्रस्ट की बात नहीं आई। जहां तक नहरी पानी की बात ये कर रहे हैं कि नहरी पानी की कमी है तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में नहरी पानी की कमी है और बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां नहरी पानी से इरीगेशन नहीं होती। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एस०वाई०एल० की लीगल लड़ाई लड़ी और वे जीते। अगर केन्द्र सरकार की नीयत साफ होती तो यह नहर तीन महीने में बनकर तैयार हो जाती। लेकिन इनको यह तकलीफ है कि अगर नहर तीन महीने में बन जाती तो इसका श्रेय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मिल जाता। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि एस०वाई०एल० नहर बनने में कमी जिस बात की है वह है सिरसा एक्वाडैट उस नदी के ऊपर जो पुल बनना है उसके दो पिलर्ज इन्होंने बनाकर छाप दिए बाकी बीच का पोर्शन रह रहा है और कुछ नैशनल हाइवे के और 2 रेलवे के पुल रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि आजकल पुल कितने जल्दी बन जाते हैं। स्लैब अलग से बनते हैं और पिलर्ज अलग बनते हैं और लाकर एकदम रख देते हैं। लैटस्ट टैक्नोलोजी में एस०वाई०एल० का काम 3 महीने में हो सकता था। अगर 4 जून के बाद काम शुरु हो जाता तो जून से सितम्बर तक तीन महीने में काम हो जाता और सितम्बर महीने में एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा में आ जाता और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्ज के अनुसार हरियाणा के चप्पे-चप्पे में सिंचाई होती। ये आज पंजाब सरकार की बड़ाई करते हैं, पंजाब सरकार ने क्या किया ? (शोर एवं व्यवधान) कहते हैं सुखबीर सिंह के साथ रिलेशन है। हरियाणा प्रदेश के इंट्रस्ट का जहां तक सवाल है उसमें कोई कम्प्रोमाईज नहीं है और किसी सूरत पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अकाली सरकार, जिसके सामने हमने लड़ाई लड़ी, it is on the record पंजाब में अकाली दल की सरकार थी जब चौधरी देवीलाल जी 30 अप्रैल, 1980 में सुप्रीम कोर्ट में गए, ये हरियाणा के इंट्रस्ट के कार्य हैं सामाजिक रिलेशन अलग बात है जहां तक राजनीतिक सवाल है और हरियाणा के इंट्रस्ट का सवाल है हम बादल के मुख्यमंत्री होते हुए कोर्ट में गए, इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंजाब में बने, हरियाणा में इन के मुख्यमंत्री बने, तब हरियाणा प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया और कोर्ट केस को वापस ले लिया, 1979 का केस अगर रह जाता तो आज 20 साल में नहर बनकर तैयार हो जाती, इसके अपराधी कौन हैं, ये लोग अपराधी हैं, इसी तरीके से हमने अब सुप्रीम कोर्ट में केस जीता है, 15 जनवरी, 2002 को आप रिकार्ड देखें तो उस समय भी पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, उनके सामने भी हम लीगल बैटल जीतकर आए। एक तरफ अकाली दल की सरकार के वकील पैरवी करने के लिए जाते थे और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के वकील जाते थे। हरियाणा सरकार के वकीलों ने जो पैरवी की वह अकाली सरकार के वकीलों के मुंह पर थपेड़ा था। 15 जनवरी, 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दे दिया इसलिए ये कैसे कह सकते हैं कि फलानां दल ढिकणा दल, हमारा किसी दल से कोई वास्ता नहीं, हमें तो पब्लिक इंट्रैस्ट प्यारा है। 4 जून, 2004 को हम सुप्रीम कोर्ट में जीते, अब ये कहेंगे कि मैं बार बार 4 जून का ही जिक्र कर रहा हूं, आज इरीगेशन में पानी की जो दिक्कत है, वह इनके अपराधों की वजह से है क्योंकि इन लोगों को पब्लिक का इंट्रैस्ट प्यारा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप भी वकील हैं और इनकी पार्टी में भी कई लोग वकील हैं, कांस्टीच्यूशन का शिड्यूल 7 जो है उसमें लिस्ट नं० 1 में अनलिस्टेड आइटम हैं, एन्ट्र नं० 56 में इंटर स्टेट वाटर का मामला है, जहां तक यह सैंट्रल लिस्ट में है, इस पर पार्लियामैंट कानून बना सकती है, असैम्बली उस पर कानून नहीं बना सकती। ये पंजाब सरकार की बड़ाई करते हैं जिन्होंने कानून बना दिया। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि ये रिलीफ क्या देंगे ?

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें, आपने पानी की कमी जो बताई है ये उसी को एलोब्रेट कर रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, सैन्ट्रल लिस्ट में होते हुए पंजाब की सरकार ने बिल पास किया और बाद में सैन्टर की सरकार ने गवर्नर पर दबाव डालकर उसको कानून बनाया जबकि कानून नहीं बन सकता था और उसी सरकार की आज ये बड़ाई कर रहे हैं कि पंजाब की सरकार यह कर रही है, वह कर रही है, चाहिए तो यह था कि सैन्टर की सरकार उस कानून को निरस्त करती। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं यही कह रहा था कि जो कानून पंजाब की सरकार ने बनाया था वह असंवैधानिक था। भारत सरकार को चाहिए था कि उसको अनल करते, निरस्त करते और सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिए हुए थे कि within 14 days नहर के कामकाज को टेकओवर करेंगे, पोजैशन में लेंगे लेकिन आप इनकी नीयत देख लीजिये बारहवें दिन यह बिल पास किया गया और 12वें दिन में ही इसको कानून बनाया गया। इससे इनकी इनटैंशन जाहिर होती है। स्पीकर सर, यह जानबूझकर किया गया था। (विघ्न) स्पीकर सर, दूसरा इसको अनल करके सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को राईट दिया था कि (विघ्न) स्पीकर सर, मैं आपकी परमीशन से बोल रहा हूं, प्लीज इन्हें बैठायें। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं पूरा जवाब दूंगा और इनकी तसल्ली कराऊंगा। स्पीकर सर, भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया था उसकी लाईन यह थी कि आप इसको अपने पोजैशन में लेकर नहर पर काम शुरु करेंगे, मौनीटरिंग कमेटी मौनीटरिंग करेगी कि हर दिन कितना काम हुआ है। अगर कोई अड़चन डालेगा चाहे कोई पौलिटिकल पार्टी हो, चाहे सरकार हो या कोई भी ABCD हो, अड़चन डालेंगे तो भारत सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करायेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार CPWD को पंजाब में क्यों नहीं भेजती और यदि पंजाब सरकार अड़चन डालती है तो they can send there CRPF और अगर CRPF से काबू नहीं आते हैं तो they can sent there BSF और BSF से काबू नहीं आते हैं तो they can send there Military. मिलिटरी भी सैंट्रल सिक्योरिटी में ही आती है। Speaker Sir, Central Government can even send Military there to implement the judgment of Supreme court. वे भेज सकते हैं और उसके बावजूद भी यदि वे अपने वहां इन्ट्री नहीं देते हैं तो then Central Government has a right under Article 365 of the Constitution कि अगर भारत सरकार संवैधानिक दायित्व निभाते हुए कोई डायरैक्शन राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार उसको नहीं मानती है तो उस राज्य की सरकार भंग की जा सकती है। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया और वहां नहर का काम भी शुरु नहीं कराया गया। इस तरह से भारत सरकार ने अपराध किया है और हरियाणा की जनता के अधिकारों को सैक्रीफाईस किया है। यदि यह नहर बन जाती तो भाई कर्ण सिंह दलाल को यह प्रश्न उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि पानी की दिक्कत आ रही है। स्पीकर सर, हरियाणा गवर्नमैंट is very much interested, especially the Chief Minister and he is having personal interest in this case. स्पीकर सर, ये कहते हैं कि हाउस की एक कमेटी बन जाती। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हाउस की कमेटी बनी थी (विघ्न) और कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। इससे बड़ा कोई रिलीफ नहीं हो सकता कि दोनों तरफ रिलीफ दिया गया है। एक तरफ ट्यूबवैल ओनर्ज को रिलीफ दिया गया है और दूसरी तरफ नहरी कन्ज्यूमर्स को नहरी पानी मुफ्त देकर रिलीफ दिया गया है। इनको इस बात की तकलीफ क्यों हो

[प्रो० सम्पत सिंह]

रही है। हमारी सरकार ने एक तरफ ट्यूबवैल ओनर्ज को रिलीफ दिया है और दूसरी तरफ नहरी कन्ज्यूमर्स को रिलीफ दिया है। 35 करोड़ रुपये का वहां रिलीफ हैं और 138 करोड़ रुपये का यहां रिलीफ है। स्पीकर सर, जहां तक रैगुलेटरी कमीशन की बात आई है। We are committed और हमने कहा कि 15 अगस्त से यह लागू होगा। पैसे के लिए हमने लिख दिया है रैगुलेटरी कमीशन को कि 138 करोड़ रुपये का जो सालाना खर्चा होगा उसको हरियाणा सरकार वहन करने के लिए तैयार है इसलिए रैगुलेटरी कमीशन को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है। उनको तो पैसे से मतलब होता है कि cross subsidization न हो, किसी और सैक्टर से पैसे लेने की जरूरत न पड़े इसलिए सरकार खुद अपने खजाने से नगद सबसिडी दे रही है। ये लोग तो आंकड़ों में ऐडजस्ट करते थे लेकिन हमारी सरकार तो बाकायदा नगद सबसिडी दे रही है क्योंकि रैगुलेटरी कमीशन हमारी सरकार के हक में बना हुआ है और पूरी तरह से काम कर रहा है तथा इसमें जो रिलीफ दिया गया है उस बारे सभी मिलकर ऐप्रीशियट करें। स्पीकर सर, एक बात मैं कहता हूं कि कैप्टन साहब और दलाल साहब और दूसरे जिन भाईयों ने यह मोशन रखा है they should speak out कि फलाने जिले के हित के लिए ये किया गया है। ये लोग इस तरह का भाषण हरियाणा में हर जगह पर जाकर देंगे लेकिन ये यहां बतायें कि कौन से जिले को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है और कौन से जिले को इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये झूठे ऐलीगेशन क्यों लगाते हैं। यदि इनकी बात सही है तो they should speak out.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, - - -

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठें। आपके नोटिस में ऐसा ही लिखा हुआ है। आप चाहें तो यह आपको पढ़कर सुना देते हैं। मंत्री जी आप इनको नोटिस पढ़कर सुना दें।

Prof. Sampat Singh : In this notice, it is mentioned—

> "The slab system which is going to be implemented by the State Government is the misdemeanour to provide benefit only to the farmers of a particular area."

यह नोटिस तो आपका ही दिया हुआ है। (शोर एवं विघ्न) They should speak out about a particular area. They should speak out.

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी बता देंगे कि पर्टिकुलर एरिया कौन सा है।

प्रो० सम्पत सिंह : इसमें इन्होंने पर्टिकुलर एरिया लिखा है। He should speak out.

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपने इसमें पर्टिकुलर एरिया बताया है। आपके पांच लोगों ने यह प्रस्ताव दिया है। (शोर एवं विघ्न) आप सभी बैठिये। अब मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सदन में कालिंग अटैंशन मोशन आया करती है और सदन में उसका जवाब दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि फ्लोर ऑफ दी हाउस सारी चीजें सही बताई जाती हैं। एक सम्मानित सदस्य ने जिसके साथ कुछ और सदस्य भी हैं उन्होंने सारे हरियाणा प्रदेश को अलग से बांटने का प्रयास किया है बल्कि सरकार के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया है कि सरकार ने किसी पर्टिकुलर एरिया को लाभ देने के लिए यह रियायत

दी है। मैं आपके माध्यम से इस कालिंग अटैंशन मोशन देने वालों से कहना चाहता हूं कि उन्हें खड़े होकर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वह कौन सा एरिया है जिसकी बात ये करते हैं और इनकी दिलचस्पी कौन से एरिया में है।

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी आपने यह कालिंग अटैंशन मोशन दिया है उसको आप एक बार हिन्दी में पढ़ दें। (शोर एवं विघ्न)

श्री धर्मवीर सिंह : मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चलो ठीक है, आपने दिया है तो फिर ठीक है।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जो जवाब दिया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि--(शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी आप जवाब न दें, आप अपना सवाल पूछें।

श्री धर्मवीर सिंह : स्पीकर साहब, जब हरियाणा बना तो दक्षिणी हरियाणा जिसका बार बार वित्त मंत्री जी जिक्र करते हैं---(शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी, दक्षिणी हरियाणा तो कैप्टन साहब कहते हैं। दक्षिणी हरियाणा का कोई जिला आइडैंटीफाई नहीं है कि कौन सा जिला कौन से एरिया में है और क्या है ?

श्री धर्मवीर सिंह : स्पीकर साहब, दक्षिणी हरियाणा में महेन्द्रगढ़, भिवानी, नारनौल और रिवाड़ी का इलाका है। स्पीकर साहब, वहां पर नहरी पानी नहीं है और पीने का पानी भी बहुत कम है। अगर वहां पर 10 हार्सपावर की मोटर लगा कर पानी नीचे से उठाएंगे तो केवल 2 इंच पाईप का ही पानी आ पायेगा यानि केवल 2 इंच पानी की निकासी ही नीचे से हो पाती है।

श्री अध्यक्ष : आप अपना क्वैश्चन पूछें।

श्री धर्मवीर सिंह : मैं क्वैश्चन ही पूछ रहा हूं। चौधरी देवी लाल जी ने भी और पहले वाली सरकारों ने भी स्टेट में 4 स्लैब बनाये थे ताकि उनको पानी निकालने के लिए कुछ रियायत दी जा सके इसलिए वहां पर प्रति हार्सपावर रेट 48 रुपये था। अब वहां पर केवल 13 रुपये का ही बैनिफिट दिया है। एक तरफ तो यह इलाका है और दूसरी तरफ वह इलाका है जहां का आरोप हम लगा रहे हैं। वहां पर जहां पर पहले 104 रुपये का रेट प्रति हार्सपावर का था वहां पर अब उनको 69 रुपये प्रति हार्स पावर का फायदा दिया है। इन जिलों में सिरसा का एरिया, फतेहाबाद का एरिया और नरवाना का एरिया भी शामिल है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनसे मेरा प्रश्न केवल एक ही है। आप इस कालिंग अटैंशन मोशन में देखेंगे कि इन लोगों ने इस मोशन के माध्यम से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की नीयत से दुर्भावना फैलाने का प्रयास किया है। हरियाणा प्रदेश की 2 करोड़ 20 लाख जनता को पूरा संरक्षण प्रदान करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है और हमने इस जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभाया है। सरकार ने बराबर की सुविधा पूरे प्रदेश को दी है। कांग्रेसी बैंचिज की तरफ से जो कालिंग अटैंशन मोशन दी गई है उसमें सरकार पर एक इल्जाम लगाया है कि एक पर्टिकुलर एरिया को लाभ पहुंचान के लिए यह छूट दी गई है। आप यह बताएं कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा ऐसा एरिया है जिसको लाभ दिया गया है।

श्री धर्मवीर सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से दोबारा बताना चाहता हूं कि सरकार ने न केवल बिजली के मामले में दूसरे एरिया को लाभ दिया बल्कि पानी के मामले में भी उस एरिया को विशेष छूट दी है। ऐसे एरिया में 18 करोड़ रुपये से ज्यादा नहरी माल माफ हुआ है। एक तरफ 4 सर्कल ऐसे हैं जहां पर केवल 1 करोड़ 11 लाख रुपये माफ हुए हैं और दूसरी तरफ केवल 3 सर्कल ऐसे हैं जहां पर 18 करोड़ रुपये के ज्यादा का माल माफ हुआ है।

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी, इस कालिंग अटैंशन मोशन में नहर का जिक्र नहीं है। इसमें बिजली के स्लैब रेट की चर्चा है। आप केवल अपनी मोशन पर ही बोलें।

श्री धर्मवीर सिंह : स्पीकर साहब, प्रो० साहब ने खुद माना है कि नहरी पानी कुछ इलाके में ज्यादा है और कुछ में कम है। मैं कहता हूं कि एक तरफ केवल 3 सर्कल हिसार, सिरसा और कैथल ऐसे हैं जिनमें ज्यादा पानी होने की वजह से 18 करोड़ रुपये 2003 का माफ हुआ है। दूसरी तरफ इससे ज्यादा क्षेत्रफल पड़ता है, भिवानी, महेन्द्रगढ़, नारनौल और रिवाड़ी। वहां पर केवल 1 करोड़ 11 लाख रुपये का माल माफ हुआ है। इसका मतलब यह है कि इन एरियाज में नहरी पानी काफी कम है। जहां पर नहरी पानी नहीं था वहां 10 हार्सपावर की मोटर लगाने पर केवल 2 इंच पानी निकलता है और जहां पर पानी अधिक है वहां पर 5 हार्सपावर की मोटर लगाये जाने पर 4 इंच पानी निकलता है। इसलिए हमें केवल 13 रुपये का फायदा दिया गया और वहां पर 69 रुपये का फायदा दिया गया है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह फायदा नहीं है। (विघ्न)

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम यह मानते हैं कि सरकार ने जानबूझ कर भेदभाव पूर्ण तरीके से यह सब किया है। एक इलाका जहां नहरी पानी भी पूरा है वहां पर भी बिजली का 69/- रुपये पर हार्स पावर माफ किया है और हमें केवल 13/- रुपये का फायदा मिला है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या हमारे माननीय सदन के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब बाढ़ड़ा के इलाके में जाते थे या महेन्द्रगढ़ के इलाके में जाते थे तो चार स्लैब की बात करते थे जबकि लोगों की मांग 5 स्लैब की थी, वहां पर तो सरकार ने स्लैब सिस्टम खत्म कर दिया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी, अब तो सब ठीक हो गया है। सारे हरियाणा में एक जैसा सिस्टम हो गया है। आपका क्वैश्चन पूरा हो गया है इसलिए अब आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात से यह साफ जाहिर हो गया है कि इनकी मन्शा किसानों को लाभ पहुंचाने की नहीं है और आज ये लोग चौराहे पर नंगे खड़े हैं। इनकी मन्शा केवलमात्र इस तरीके से राजनैतिक लाभ उठाने की है। इसी प्रश्न के साथ ही एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो यह एस०वाई०एल० नहर आज से 20 वर्ष पहले ही बन गई होती और आज ये जो इल्जाम हम पर लगा रहे हैं उसकी नौबत नहीं आती और यह सारा इलाका आज सरसब्ज होता। इनकी वजह से वह इलाका बर्बाद हो गया है और उस बर्बादी का मुखिया मेरे सामने बैठा हुआ है। आज भी ये लोग उसका सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। आज भी ये लोग उसका सत्यानाश कर रहे हैं। (विघ्न) इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है ये तो अखबारों की सुर्खियों में आना चाहते हैं। (विघ्न) जब एस०वाई०एल० का मुद्दा आता है तो ये लोग सदन से वाक आउट कर जाते हैं, हाउस से भाग जाते हैं, इस मुद्दे पर जब कोई मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग

में शामिल नहीं होते हैं। यहां पर केवलमात्र अनर्गल प्रचार करके आज राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं और लाभ उठाते वक्त नासमझी की वजह से अपनी कलम से ऐसा कुछ लिख देते हैं जिसकी वजह से चौराहे पर नंगे खड़े मिलते हैं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। (विघ्न) आप बैठें, अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर जवाब देंगे। (विघ्न) प्रो० साहब, धर्मबीर जी द्वारा जो सप्लीमैंट्री की गई है आप उसका जवाब दीजिए। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न) भजन लाल जी, आप बैठें। (विघ्न) आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है, इसलिए आप बैठें। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आप इन्हें बिठाएं। (विघ्न) ये तो वैसे ही बीमार हैं, इसलिए आप इन्हें बिठाइये। (विघ्न) अभी चौधरी धर्मबीर जी ने एक पर्टिकुलर एरिया का जिक्र किया तथा तीन एरियाज का नाम लिया और आगे ये रुक गए। सिरसा, फतेहाबाद और नरवाना के आगे ये रुक गए। यह जो घग्घर की बैल्ट है इसके बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। What about Kaithal, what about Kurukshetra, what about Karnal, what about Panipat (विघ्न) ट्यूबवैल्ज के हिसाब से ये ठीक हैं वहां पर पानी भी है और ट्यूबवैल्ज भी वहां पर हैं। स्पीकर सर, जहां तक साउथ की बात ये लोग करते हैं I don't know ये लोग इसमें फरीदाबाद और गुड़गांव को गिनते हैं या नहीं गिनते हैं। (विघ्न)

श्री धर्मवीर सिंह : हम इसे गिनते हैं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, ये इस बात को मान रहे हैं कि ये इसे गिनते हैं। स्पीकर साहब ये चीजें इनकी गिनती में हो सकती हैं लेकिन हम इन्हें नहीं गिनते हैं हमारे लिए तो हरियाणा के सभी 19 जिले समान हैं सारा हरियाणा प्रदेश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए बराबर है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठें, यह कोई लरीका नहीं है। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, जब ये करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और यमुनानगर के एरिया में जाते हैं तो ये कहते हैं कि साउथ हरियाणा को मार दिया और जब सिरसा में जाते हैं तो कहते हैं कि हमें तो मालूम नहीं कि सिरसा कैसे बैकवर्ड रह गया ? इस किस्म की छोटी राजनीति 17.00 बजे ये लोग करते हैं, इलाका राजनीति ये करते हैं। स्पीकर सर, हम सारे प्रदेश की राजनीति करते हैं, प्रदेश के इन्ट्रस्ट की राजनीति करते हैं। मैं आपके सामने फरीदाबाद और गुड़गांव के ट्यूबवैल्ज का रिकार्ड रखना चाहता हूं। स्पीकर सर, फरीदाबाद में 13 हजार 247 ट्यूबवैल्ज 0 से 100 फुट की डैप्थ तक के हैं। ये वे हैं जिनका रेट 104 रुपये से घटाकर 35 रुपये पर मन्थ हुआ है। इसी तरह से गुड़गांव में 15 हजार 322 ट्यूबवैल्ज हैं, जिनका रेट 104 रुपये से घटाकर 35 रुपये पर मन्थ हुआ है। सर, इसके आगे जो मंहगा स्लैब आता है उसमें रेट 100 रुपये से

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[प्रो० सम्पत सिंह]

150 रुपये था इस रेट के फरीदाबाद में 412 और गुड़गांव में 423 ट्यूबवैल्ज हैं। इसके बाद 151 से 200 रुपये जिन ट्यूबवैल्ज़ का रेट था उसमें ट्यूबवैल्ज़ की संख्या निल है। स्पीकर सर, मैं यह गुड़गांव और फरीदाबाद के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। (विघ्न) सर, गुड़गांव और फरीदाबाद में टोटल ट्यूबवैल्ज़ की संख्या 835 बनती है। सर, हरियाणा में 100 फुट से ज्यादा गहरे ट्यूबवैल्ज़ साढ़े 28 हजार हैं जिनका रेट 104 रुपये से 35 रुपये पर मन्थ कर दिया गया है। अब ये इलाके की बात करते हैं मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि इलाके की बात कहना हमारे बस की नहीं है, हमारे लिए तो सारा प्रदेश एक है। स्पीकर सर, हमने यह सब प्रदेश के इन्ट्रस्ट को देखकर किया है। इन्होंने जो कुछ किया था वह किसान के गले की हड्डी बन गई थी। इस प्रोब्लम को खत्म करने के लिए हमने यह स्लैब प्रणाली बनाई है। इसके अलावा जो दूसरी बात इन्होंने कही है तो उस बारे में मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि जहां पर जितना पानी लगेगा उसी के हिसाब से आबपाशी होगी। सर, अलग-अलग फसल के हिसाब से आबपाशी का रेट फिक्स हुआ था। हमने यह सारा का सार माफ कर दिया है। स्पीकर सर, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि हमने यह इस साल के लिए माफ नहीं किया है यह हमने हमेशा के लिए माफ कर दिया है। स्पीकर सर, जब एस०वाई०एल० का जिक्र आएगा, जैसा कि ये भी सदन में जिक्र करते हैं तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि एस०वाई०एल० के पानी से भिवानी, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद और गुड़गांव चाहे कोई भी जिला है.. (विघ्न) आप मुझे बोलने दें मैं आगरा कैनाल के बारे में भी बता दूंगा। स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि एस०वाई०एल० का पानी महेन्द्रगढ़ में लगेगा, रिवाड़ी में लगेगा, नारनौल, फरीदाबाद, भिवानी इत्यादि में लगेगा। इसका पानी सारे हरियाणा को सप्लीमैंट होगा। आज नरवाना भाखड़ा कैनाल लिंक के थ्रू भाखड़ा का पानी यमुना एरिया में देते हैं और जब उधर समस्या आ जाती है तो यमुना का पानी भी सिरसा नदी के थ्रू भाखड़ा के एरिया में देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी सारी स्टेट का इंटर लिंक्ड सिस्टम है। इसी तरीके से वाटर अलाउंसिज सारे स्टेट में बढ़ जाएंगे। स्पीकर सर, जब एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा में आएगा इससे केवल एक एरिया को फायदा नहीं होगा बल्कि टोटल स्टेट को फायदा होगा। सुप्रीकोर्ट के ऑर्डर से यह डैफिनेट हो चुका है कि एस०वाई०एल० नहर बनकर रहेगी। स्पीकर सर, ये लोग जान बूझकर लेट कर रहे हैं, यह अलग बात है। स्पीकर सर, 2, 3 या 4 महीने फालतू लग सकते हैं और जो पानी आएगा उस पर आबियाना नहीं लगेगा। स्पीकर सर, इसके बाद इन्होंने आगरा कैनाल की बात की है। ये बार-बार प्रश्न उठाते रहते हैं, आज भी उठाया है और पहले भी उठाते रहे हैं। (विघ्न) कर्ण सिंह दलाल जी, आप चौधरी बंसी लाल जी की वजारत में मंत्री थे। बंसी लाल जी ने भी यही कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो अगले दिन ही आगरा कैनाल का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। चाहे मुझे वहां पुलिस भेजनी पड़े, चाहे मुझे उसको कब्जे में लेना पड़े और चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े वह मेरे हाथ में होगा। स्पीकर सर, साढ़े तीन साल बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्पीकर सर, उसका आबियाना कौन लेता है, यह आबियाना हरियाणा सरकार नहीं लेती है, उसका एक नया पैसा चार्ज नहीं करती है। उत्तरप्रदेश सरकार उसका आबियाना चार्ज करती है। क्या उत्तरप्रदेश सरकार को आप हरियाणा से पेमैन्ट करवाना चाहते हैं। स्पीकर सर, मैं किसान के इन्ट्रैस्ट की बात कर रहा हूं। (विघ्न) स्पीकर सर, आज के दिन मुझे यह बात कहते हुए शोभा नहीं देता है लेकिन दलाल साहब ने मुझे लौबी में कहा था कि आज के दिन इनके एरिया का किसान एक नये पैसे का आबियाना उत्तरप्रदेश की सरकार को नहीं दे रहा है। (विघ्न) अब इसका मतलब

यह है कि हम उनको पैसा देने के लिए फोर्स करें। (विघ्न) मेरा वही कहना है कि कोई ऐसी बात न निकल जाए जिससे वहां के किसानों को नुक्सान हो जाए। मैं इस कंट्रोवर्सी में इसलिए ही नहीं पड़ना चाहता था लेकिन उस इलाके का नुक्सान करवाने के लिए यही ऐसा करवा रहे हैं। हमारे लिए तो सारी स्टेट बराबर है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको यूनानीमसली पास करें कि जो मुख्यमंत्री जी ने यह स्लैब सिस्टम किया है वह ठीक है। यह जो 200 फुट की ट्यूबवैल की गहराई तक 35 पैसे प्रति यूनिट तक टैरिफ किया है इसका इनको या तो विरोध करना चाहिए या समर्थन करना चाहिए। एक काम दोनों में से इनको करना चाहिए। ये इसको या तो सपोर्ट करें या अपोज करें लेकिन ऐसे मत छोड़ें। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के प्रैसीडैन्ट भी यहां पर बैठे हैं और इनके उप नेता भी यहां पर बैठे हैं। इनको बताना चाहिए कि क्या ये अपने घोषणापत्र में इन स्लैब रेट्स को अपोज करेंगे ? इनको बताना चाहिए कि अगर इनकी सरकार बनी तो क्या ये इन स्लैब रेट्स को तोड़ेंगे ?

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको क्लीयर करना चाहिए। Either they support it or oppose it.

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, दलाल साहब और दीवान साहब, आपसे पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर पूछ रहे हैं कि क्या आप इसको अपोज करते हैं या ऐक्सैप्ट करते हैं ?

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम इसको सपोर्ट करते हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप यह बताएं कि स्लैब प्रणाली जो अब की गयी है यह ठीक है या गलत है ? नहरी पानी माफ करना ठीक या गलत है ? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : आप हमारी बात सुनिए। मैं जबाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दीवान साहब, आप यह बताएं कि जो यह स्लैब रेटस सरकार द्वारा तय किये गये हैं यह ठीक है या गलत हैं ? जो सोनीपत में 104 रुपये प्रति हार्सपावर से 35 रुपये प्रति हार्स पावर का रेट किया है क्या यह ठीक है या गलत है ?

दीवान पवन कुमार : अध्यक्ष महोदय, ये तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : चलिए, दीवान साहब ने तो इसका समर्थन कर दिया। अब कैप्टन साहब, आप बताएं कि यह जो स्लैब प्रणाली अब सरकार द्वारा लागू की गयी है या ठीक है या नहीं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जो सरकार ने स्लैब प्रणाली लागू की है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत केवल यह है कि जहां पर ट्यूबवैल बेस्ड सिंचाई है वहां के लोगों को आप रिलीफ देंगे या नहीं देंगे ? हम तो केवल इतनी सी बात कह रहे हैं लेकिन आप तो इसका बतंगड़ बना रहे हैं। हमारा ऐतराज तो इस बात का है कि जो ट्यूबवैल बेस्ड इलाके हैं उनको आप रिलीफ दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप मेरी तरफ देखें। माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं आप उनकी बात सुनिए। आपको चेयर की तरफ देखकर बात करनी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय से अलग जाकर एक अलग बात करने जा रहा हूं। धर्मबीर जी ने भी इस बारे में कहा है, आप भी कह रहे हैं और दूसरे साथी भी कह रहे हैं। आप रिकार्ड उठाकर देखिए, एक साल पहले जब हरियाणा में भयंकर अकाल की स्थिति थी उस समय मंडियों में जो बाजरे की आमदन हुई है, मंडियों में जो सरसों की आमदन हुई है, मंडियों में जो कपास की आमदन हुई है तो क्या धर्मबीर जी बताएंगे कि इससे पहले कभी नारनौल, महेन्द्रगढ़ और भिवानी की मंडियों में इतनी कपास बिकी थी ? भयंकर सूखे की स्थिति के बावजूद दक्षिणी हरियाणा की चप्पे-चप्पे भूमि की सिंचाई हुई है। (विघ्न) आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : लेकिन इसमें आपका कोई रोल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, इस तरह के कामों में सरकार का रोल तो होता ही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा रोल है क्योंकि हमने 24 घंटे किसानों को बिजली दी है और नहरों में पानी चलाया है। अध्यक्ष महोदय, अगर नहरों में पानी न चलता तो फव्वारा सैट्स कैसे चलते और अगर फव्वारा सैट्स न चलते तो वहां की भूमि कैसे सिंचित होती ? इनको लेश मात्र भी इस बात में संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है। यह रिकार्ड की बात है। हमने 36 परसैंट पानी ज्यादा चलाया है। हमने 53 परसैंट बिजली ज्यादा दी थी जिसकी वजह से दक्षिणी हरियाणा की चप्पे-चप्पे भूमि की सिंचाई हुई और अगर तुम्हारी नालायकी न होती तो एस०वाई०एल० आज से 20 साल पहले बन गई होती और वह इलाका सबसे ज्यादा सरसब्ज इलाका होता। तुम मुलजिम हो और मुलजिमों के कटघरे में खड़े हो।

विधान कार्य—

1. दि पंजाब शूगरकेन (रेगुलेशन ऑफ परचेज एंड सप्लाई) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

> That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (3) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub Clause (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

2. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Urban Development (Shri Subhash Goyal) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

Minister of State for Urban Development (Shri Subhash Goyal) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों की भावनाओं से इस सरकार को अवगत कराना चाहता हूं - - - - - (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाईये, यह स्टेज डिबेट की नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं इस बिल के बारे में ही बोलना चाहता हूं।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, मैं आपकी परमिशन लेना चाहता हूं। वैसे तो खुद श्री कर्ण सिंह दलाल पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। बिल की इस स्टेज पर इनको बोलने के बारे में याद आया है जब बोलने की स्टेज जा चुकी है। इनको पता है कि जब भी कोई बिल मूव होता है जब मंत्री जी ने आपसे मूव करने की इजाजत ले ली है उसके बाद बिल मूव होता है और उस समय उस पर डिबेट होती है। उस वक्त बोलना चाहिए, जब आपने मूव करने के बाद बिल को असैप्ट कर दिया। उसके बाद क्लाज बाई क्लाज की स्टेज आ गई उस वक्त इन्हें डिसकशन की याद आई है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था लेकिन आपने बोलने की इजाजत नहीं दी।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जब कोई बिल इन्ट्रोड्यूस हो जाता है तभी उस पर डिसकशन होनी चाहिए। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि ये सीरियस नहीं है इनका ध्यान पता नहीं कहां होता है ? कितने सीरियस होकर ये सदन में बैठते हैं यह मुझे मालूम नहीं, इसलिए मुझे अफसोस है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों की भावनाओं से इस सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी यह हरियाणा म्यूनिसिपल अमेंडमेंट बिल लाये हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार के अन्दर लोगों की आस्था होती है क्योंकि लोगों की देखभाल करना, लोगों के वैलफेयर के लिए काम करना और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना यह सब राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वह प्रदेश के लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करायें। आज इस सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बिल पर बोलें। आपका भी तो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आप अमर थोड़े रहेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं बिल पर बोल रहा हूं। इस सरकार को मालूम है कि इसका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आज इस सरकार का कार्यकाल अंतिम दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में ऐसा बिल लेकर आये हैं जिससे आज हरियाणा के लोगों में सरकार के प्रति एक आशंका खड़ी हुई है। आज हरियाणा के लोग सोचने पर मजबूर हो गये हैं कि सरकार अपनी उपलब्धियों में विफल हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिल पर बोलें। आप बिल की कौन सी क्लाज पर बोल रहे हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं इस बिल का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि जिस क्लाज को आप रैफर कर रहे हैं कि इस बिल में 120 डेज पहले चुनाव करा सकते हैं in case of dissolution of any Committee or Municipal Council in the State of Haryana. स्पीकर सर, शहरों में समय से पहले चुनाव कराने की जो सोच है उससे लगता है कि सरकार की नीयत में खोट है।

श्री अध्यक्ष : आप बिल पर बोलें वरना फिर दूसरे सदस्य बोलना शुरु कर देंगे और फिर ज्यादा शोरगुल होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, हरियाणा के लोगों में आज एप्रिहैंशन है और डर है कि सरकार चुनाव के नाम से लोगों को आपस में लड़ायेगी, लड़ाई-झगड़े होंगे और उन लड़ाई झगड़ों का फायदा यह सरकार विधान सभा चुनावों में उठाना चाहती है। ये सरकार के काम नहीं होते। सरकार के काम होते हैं कि शहर में गन्दगी बढ़ी हुई है उनकी सफाई नहीं हुई है इस प्रकार के काम होने चाहियें।

श्री अध्यक्ष : बिल पर बोलें बिल के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं, इसलिए आप बैठिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, सरकार शहर के लोगों को सुविधा देने के बजाए पंचायत के चुनाव और म्यूनिसिपल बिल की अमेंडमेंट बिल के माध्यम से लोगों में आपस में लड़ाने की मन्शा है। लोगों मे * * * * * * बढ़ाने की मन्शा है, इन्होंने पुलिस की भर्ती मनमाने ढंग से की है . . . . .

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये अनपार्लियामैंट शब्द हाउस की कार्यवाही में रिकार्ड न करवाए जाएं।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल ने जो अनपार्लियामैंट शब्द कहे हैं ये रिकार्ड न किए जाएं।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, असैम्बली के चुनाव लड़ाने के लिए होते हैं तो असैम्बली के चुनाव हों ही न। ये अनडैमोक्रेटिक काम हुआ था, ये डैमोक्रेटिक काम नए चुनाव कराने वाला भी हुआ था, जो ये बात कह रहे हैं उसमें दुर्गन्ध आ रही है we are smelling something out of that कि कहां से पैदाइश राजनीतिक तौर पर हुई है, भाई कर्ण सिंह दलाल को मालूम है कि इलैक्शन को टालने के लिए हुआ था, यहां तो प्रिपोन की बात है। यहां यह भी हुआ था कि लोकसभा की अवधि ब्रूट मैजोरिटी का फायदा उठाकर 5 से 6 साल बढ़ाने का काम किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी ने किया था, और जब रिट पेटीशन इनके खिलाफ हुई थी, अवैध घोषित हो गए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को उससे निकाल लिया गया, ऐसी-ऐसी अमैंडमैंट की गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये कहते हैं कि चुनाव में झगड़े होते हैं, झगड़े न हों इसलिए चुनाव न कराए जाएं। इसलिए इन्होंने इमरजैंसी लगाकर लोकसभा की अवधि 5 साल की बजाय 6 साल करने का काम किया। लेकिन हरियाणा सरकार ऐसा नहीं चाहती। डैमोक्रेसी है और नीचे लोवैस्ट लैवल पर ग्रास रूट लैवल पर डैमोक्रेसी रहेगी। झगड़े हरियाणा सरकार नहीं करने देगी। बाकायदा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है। एक ही चुनाव के अंदर आज तो धारा 107 और धारा 151 के तहत अब तक कोई दरखास्त नहीं आई हैं, पीसफुली सारे के सारे चुनाव कराए गए हैं, कोई झगड़े का मतलब नहीं है। केवल मात्र यह कहना कि झगड़े हो जाएंगे इसलिए टाल दो। जैसा इनके नेता ने पहले कहा था 1971 से 1976 में लोकसभा की अवधि एक साल बढ़ाने का काम किया था। यह काम हमारी सरकार नहीं कर रही हम तो प्रिपोन कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हम हरियाणा की जनता की तरफ से और तमाम विपक्ष की तरफ से यह सुझाव देना चाहते हैं कि ये विधान सभा के चुनाव करवाएं। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव उसके बाद हों। इनमें हिम्मत है और इनको अपनी लोकप्रियता पर विश्वास है तो ये विधान सभा के चुनाव करवाएं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठें, हम कोई टैन्शोर नहीं घटा रहे। आपको पता नहीं है कि अमैंडमैंट कहां है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. दि कुरुक्षेत्र शराईन बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Kurukshetra Shrine Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Urban Development (Shri Subhash Goyal) : Sir, I beg to introduce the Kurukshetra Shrine Bill, 2004 and I also move—

That the Kurukshetra Shrine Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Kurukshetra Shrine Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Kurukshetra Shrine Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 42

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 42 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

4. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (द्वितिय संशोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हूँ—

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

Minister of State for Urban Development (Shri Subhash Goyal) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

5. दि हरियाणा पंचायती राज (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, इस पर हम बोलना चाहते हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप तो सभी बोलने के लिए खड़े हो गए। चौधरी भजन लाल जी, आप बोलेंगे या आपके डिप्टी लीडर बोलेंगे।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, पंचायती राज बिल पर सभी साथी बोलेंगे। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब भी बोलने के लिए खड़े हैं। मैं दोनों को एक साथ बोलने के लिए कैसे इजाजत दे सकता हूं। दोनों को एक ही समय में बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कैप्टन साहब, आप बैठिये। पहले चौधरी भजन लाल जी को अपनी बात कहने दीजिए।

चौधरी भजन लाल (आदमपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो यह पंचायती राज ऐक्ट में संशोधन करने की बात कही है इस बारे में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। इस बिल के संशोधन में मोटी सी एक ही बात है कि ये समय से पहले चुनाव करवाना चाहते हैं और यही इनका एक मकसद है और कोई इनका मकसद नहीं है। चाहे म्यूनिसिपल कमेटी हो, चाहे म्यूनिसिपल कारपोरेशन हो उनका भी और पंचायती राज संस्थाओं का भी चुनाव ये समय से पहले ही करवाना चाहते हैं। इनके चुनाव के लिए पहले से ही कानून में 5 साल का प्रावधान है तो फिर ये इनमें अमैंडमैंट क्यों लाना चाहते हैं ? (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि क्या अमैंडमैंट लाएं। आपने इसका विरोध करना हो तो विरोध करें या जो आपने अपनी बात कहनी हो वह कहें। (शोर एवं विघ्न) डा० कादियान जी, आप चुप रहिए। इस बिल पर बोलने के लिए आपकी पार्टी को समय दिया है इसलिए आप चुप रहिए।

चौधरी भजन लाल : इनका समय से पहले चुनाव करवाने का मकसद है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बताएं कि क्या टाईम घटा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इसमें सरकार क्या लेकर के आ रही है यह आप बताओ न कि आप कोई कहानी घड़ो ? आप सही सही बिल पर बोलें। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, आप सुनने की कृपा करें। ये टाईम से पहले चुनाव करवाना चाहते हैं। यह चुनाव इसलिए पहले करवाना चाहते हैं क्योंकि थोड़े समय बाद असैम्बली के चुनाव होंगे। ये असैम्बली के चुनावों से पहले पंचायतों के, कमेटियों के और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव करवाना चाहते हैं ताकि गांवों में और शहरों में दो पार्टियां बन जाएं। ये ऐसा करके गांव का आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। मेरा कहना है कि इनको यह अमैंडमैंट लाने की क्या जरूरत थी। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप किस चीज पर बोल रहे हैं। (शोर एवं विघ्न) चौधरी भजन लाल जी, आप क्या बोल रहे हैं। क्या अमैंडमैंट है और क्या कहना चाहते हैं, वह आप बताएं। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मैं जो यह बिल आया है उसकी जो अमैंडमैंट की जा रही है उस बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। (शोर एवं विघ्न) * * * *

श्री अध्यक्ष : जो शब्द इन्होंने कहे हैं वे रिकार्ड न किए जाएं।

चौधरी भजन लाल : आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इनकी नीयत क्या है ? इनकी नीयत साफ नहीं है। यह हर जगह पार्टीबाजी करना चाहते हैं। (शोर एवं विघ्न) जो बात मैं बोल रहा हूं वह आपकी समझ में नहीं आयेगी। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप चुप रहिए। इस समय कांग्रेस की क्रीम बोल रही है। इसलिए पहले इन्हें बोलने दें। कृपया आप बैठ जाएं।

चौधरी भजन लाल : मेरे कहने का मतलब यह है कि मेहरबानी करके जो गांवों में पंचायतों का भाईचारा बना हुआ है उस भाईचारे को न बिगाड़ें तो अच्छा है। इन्होंने लोक सभा के चुनावों में देख लिया। ये एक सीट भी जीत कर नहीं आए। लोकसभा के चुनावों में इनकी पूरी फजीहत हो गई। अब ये इनके दुबारा से चुनाव करवा कर राज हथिया लें, इसलिए यह अमैंडमैंट कर रहे हैं। आपको लोग राज के नजदीक फटकने नहीं देंगे। जनता जानती है कि किसको राज देना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि ये भाईचारे को न बिगाड़ें। इसलिए इस अमैंडमैंट को करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपकी तरह समय नहीं घटा रहे।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, हमने समय घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया था। हमने 3 साल से 4 साल किया और फिर 4 साल से 5 साल किया।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, इस अमैंडमैंट में भी इन का समय कम नहीं हो रहा। पंचायतों की अवधि का समय 5 साल ही है। आपको पता नहीं है। आपको कोई बीफ ठीक ढंग से नहीं करता। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : आप सुनने की कृपा करें। ये गांवों में जानबूझकर पार्टीबाजी बना कर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और राज हथियाना चाहते हैं जबकि राज के नजदीक लोग आने नहीं देंगे। पार्लियामेंट में भी आपने देख लिया। 10 सीटों में से ये एक भी सीट जीत कर नहीं आए। दूसरे प्रदेशों में दिल्ली, राजस्थान, यू०पी० आदि जगहों में तो आपकी जमानत भी जब्त हो गई। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। आप यहां भी जमानत जब्त करा लीजिए। (शोर एवं विघ्न) आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठिये।

(इस समय डा० रघुबीर सिंह कादियान तथा कैप्टन अजय सिंह यादव बोलते हुए वैल में आ गए)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीटों पर जाएं । (विघ्न एवं शोर) मैं तो आपको बोलने के लिए पहले ही समय देना चाहता था इसलिए आप लोग अपनी सीटों पर जाएं (विघ्न)। यदि आप बिल पर बोलना चाहते हैं मैं आपको बोलने के लिए समय देता हूं। (इस समय माननीय सदस्य डा० रघुबीर सिंह कादियान तथा कैप्टन अजय सिंह यादव अपनी सीटों पर चले गए) (विघ्न एवं शोर) कादियान साहब, मैं आपको बिल पर बोलने के लिए टाईम देता हूं इसलिए आप बिल पर बोलें। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, चार-पांच बिल सदन में आए हैं। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए! (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलें नहीं तो कैप्टन अजय सिंह जी को बोलने दें। (विघ्न) कैप्टन साहब, यदि आप बोलना चाहते हैं तो अपने एम०एल०ए० को मना कर दें ये भी बोलने के लिए खड़े हुए हैं और आप भी बोलने के खड़े हुए हैं। (विघ्न) आप दोनों एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए हैं। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, मैं इस बिल पर बोलना चाहता हूं और आपने मुझे बोलने की इजाजत भी दी है। (विघ्न) स्पीकर साहब, इस बिल के जो ऐम्ज़ एण्ड ऑब्जैक्ट्स हैं उनमें गवर्नमैंट द्वारा कुछ विशेष नहीं दिया हुआ है आप इसे देख लें। यह पंचायती राज सैकण्ड अमैंडमैंट बिल आया है इसमें जो स्टेटमैंट औफ ऐम्ज़ एण्ड ऑब्जेक्ट्स हैं it is a matter of * * * * for the house. (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने हाउस के बारे में जो वर्ड इस्तेमाल किया है वह रिकार्ड न किया जाए।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा बना है तब से आज तक किसी बिल के ऐसे ऐम्ज़ एण्ड ऑब्जेक्ट्स हाउस में नहीं आए। जिस ढंग से ये दो महीने से चार महीने तक समय बढ़ाने की अमैंडमैंट ले कर आए हैं जिसमें ये पंचायती चुनाव अरली करवाना चाहते हैं (विघ्न एवं शोर) (इस समय माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल और श्री जगजीत सिंह सांगवान ने अपनी सीटों पर खड़े हो कर कुछ कहा जो सुनाई नहीं दिया तथा कई माननीय सदस्यगण अपनी सीटों पर खड़े हो कर दर्शक गैलरी की तरफ संकेत करते हुए बोलने लगे जो कि शोर शराबे के बीच सुनाई नहीं पड़ा)।

श्री अध्यक्ष : सभी सदस्यगण शांत रहें और अपनी सीटों पर बैठें (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग बैठिए। (विघ्न एवं शोर) कादियान साहब, आप बोलें। (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। आप सभी लोग शांत रहें। (विघ्न एवं शोर) Keep quite please (विघ्न एवं शोर) किसी की कोई भी बात रिकार्ड नहीं होगी। आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) कोई भी सदस्यगण इस तरह से न बोलें और अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

एक आवाज : आप इनकी इन्क्वायरी करवाएं। (विघ्न एवं शोर)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि इनके नाम नोट किए जाएं, ये बदमाशी कर रहे हैं यह गुण्डागर्दी कर रहे हैं इनके नाम नोट करवाएं। (विघ्न एवं शोर)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : बैठिए, फौजी साहब, आप बैठिए (विघ्न एवं शोर) कादियान साहब, आप बोलिए (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग बैठें। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि यहां पर सी०आई०डी० के लोग बिठा रखे हैं। यहां पर बदमाश किस्म के लोग हाउस में बिठा रखे हैं। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : सी०आई०डी० का कोई आदमी यहां पर नहीं है आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) कोई भी सदस्य अब नहीं बोलेगा (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) कादियान साहब, आप अपनी सीट पर आएं, आप हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। (विघ्न एवं शोर) किसी का बोला हुआ कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है इसलिए आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) कादियान साहब, अगर आप बिल पर बोलना चाहते हैं तो बोलें वरना अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यहां पर सी०आई०डी० के लोग बैठे हुए हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : यदि उधर से कोई आवाज आई है तो सिक्योरिटी वाले उन लोगों को बाहर निकाल दें। अगर किसी को इनके बारे में कुछ महसूस हुआ है तो उन लोगों को हाउस से बाहर निकाल दें। (विघ्न एवं शोर) सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (इस समय डा० रघुबीर सिंह कादियान एवं कई अन्य माननीय सदस्यगण दर्शकदीर्घा की ओर गए) सिक्योरिटी वाले लोग पहले इन एम०एल०एज० को काबू करें। प्लीज सिट डाउन (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग बैठ जाईये। नो-नो इस तरह से दर्शकगण से कोई मिसबिहेव नहीं करेगा (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग बैठ जाएं। सिक्योरिटी वाले लोग इन लोगों को हाउस से बाहर कर दें। (विघ्न एवं शोर) कादियान साहब, आप अपनी सीट पर आइये (विघ्न एवं शोर) ठीक है, आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। क्या कोई एम०एल०ए० पब्लिक गैलरी की ओर जा सकता है ? (विघ्न एवं शोर) स्पीकर सर, अगर कोई ऐसी बात है तो वे लोग आपसे कम्पलेंट करें इस प्रकार से कोई फस क्रिऐट नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक गैलरी में नयूसैंस क्रिऐट करता है तो उसकी शिकायत ये लोग स्पीकर साहब से कर सकते हैं लेकिन कोई व्यक्ति इस प्रकार से कानून को अपने अधिकार में नहीं ले सकता। (विघ्न एवं शोर) Speaker Sir, there are certain processes. (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : चलो, अगर किसी ने ऐसा कुछ कह दिया हो तो उनको हाउस से बाहर निकाल दो। (विघ्न) मैंने कहा है कि उनको सदन से बाहर निकाल दो। (विघ्न) नहीं-नहीं कोई कुछ नहीं

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कहेगा, आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (विघ्न) कोई कुछ नहीं कहेगा। (विघ्न) कोई नहीं बोलेगा। अगर किसी को कुछ पता नहीं था और उसने कुछ बोल दिया है तो यह आईन्दा से नहीं बोलेगा। (विघ्न) उसको पता नहीं था। (विघ्न) आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

(इस समय डा० रघुबीर सिंह कादियान, कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री जगजीत सिंह सांगवान, राव नरेन्द्र सिंह और श्री राम किशन फौजी वैल में आ गए और अध्यक्ष महोदय से कार्यवाही करने की मांग करने लगे।)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आप इनको अपनी-अपनी सीट्स पर बिठाएं। जिस तरह से मैम्बर्ज बिहेव कर रहे हैं, क्या मैम्बर्ज का इस तरीके का बिहेव होना चाहिए ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सब अपनी सीटों पर जाएं। (विघ्न) कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, वह सी०आई०डी० का आदमी है। इसके पास हमने कार्ड देखा है। (शोर एवं व्यवधान) यह आदमी जानबूझ कर ऐसा कर रहा है। आप इसका पास चैक करवाएं। (विघ्न) इस बारे में इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह सी०आई०डी० का आदमी नहीं है। (विघ्न) आप अपने प्वायंट पर आएं। (विघ्न) आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न) कादियान जी, बैठ जाएं। ये जो भी अब कह रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : * * * * ।

श्री अध्यक्ष : आप बिल पर आएं। (विघ्न) कोई सी०आई०डी० का आदमी नहीं है। अगर किसी को कायदे कानून का पता नहीं था और उसने कुछ कह दिया तो हमने उसको सदन से बाहर निकाल दिया है। अब आप प्वायंट पर आएं। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : सर, हरियाणा पुलिस के दो आदमी हैं मैं उनको जानता हूं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। वह सी०आई०डी० का आदमी है।

श्री अध्यक्ष : कोई सी०आई०डी० का आदमी नहीं है। (विघ्न) आप सब बैठ जाएं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : सर, आप हाउस की एक कमेटी बनाएं।

श्री अध्यक्ष : आपने बिल पर बोलना है कि नहीं बोलना है। (विघ्न) कैप्टन साहब, आप बोलें, कादियान साहब नहीं बोलना चाहते हैं। (विघ्न) एक मिनट वित्त मंत्री जी बोलना चाहते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपकी परमिशन से बोलना चाहता हूं। स्पीकर सर, असैम्बली के इस प्रिमिसिज़ में जो भी आता है चाहे वह मैम्बर लैजिस्लेटिव असैम्बली है, यह ठीक है कि they have their own rights. परन्तु इसके अलावा जो भी आता है वह आपकी परमिशन से यहां पर आता है। (विघ्न) सबको यहां पर इन-आर्डर रहना पड़ता है। चाहे वह किसी भी गैलरी में बैठता है। स्पीकर सर, किसी को यह अधिकार नहीं है कि जो मैम्बर्ज बातचीत कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं या कोई आरगुमैंट कर रहे हैं तो गैलरी में से कोई भी आदमी बीच में बोले।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[प्रो० सम्पत सिंह]

लेकिन सर, अगर किसी मैम्बर के खिलाफ कोई ऐसी बात करता है तो वह मैम्बर अपनी बात अपनी सीट से आपको कहे। स्पीकर सर, आपके पास अधिकार है कि कन्सर्न्ड आदमी के खिलाफ आप ऐक्शन ले सकते हैं और आपको लेना भी चाहिए। स्पीकर सर, अगर पब्लिक गैलरी से कोई इस तरह का बिहेव करता है तो वह कंडमनेबल है लेकिन स्पीकर सर, हम तो कानून को जानते हैं और आने वाला आम आदमी इस बारे में कुछ नहीं जानता है। सर, हो सकता है कि किसी पार्टी की तरफ से कोई बात आ गई और पब्लिक में बैठा आदमी उस बात के अगेन्स्ट हो, इनके अगेन्स्ट हो या हमारे अगेन्स्ट हो तो वह कोई बात कर गया। सर, हम इस बात को कंडम करते हैं लेकिन डाक्टर साहब, आप तो कई सालों से इस सदन में आ रहे हैं, हमें तो कानून का पता है, हम तो रिस्पोंसिबल पर्सन्ज हैं। अगर किसी ने कोई हरकत कर दी तो सीधे आप अपनी सीट से खड़े होकर स्पीकर सर को कहते कि स्पीकर सर, फलाने आदमी का बिहेवियर ठीक नहीं है। (विघ्न) लेकिन आप सीट से उठकर स्पीकर सर के टेबल तक आ गए। आप द्वारा पब्लिक गैलरी तक जाना ठीक बात नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हुआ। लेकिन डाक्टर साहब, जैसा उन्होंने बिहेव किया वैसा ही आपने कर दिया। मेरी तरफ से दोनों ने कानून तोड़ा है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अगर पब्लिक के किसी आदमी ने कुछ किया और हम भी वही करें तो हमें यह बात शोभा नहीं देती है। सर, बस मैं यही कहना चाहता था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चलो ठीक है। कादियान साहब, अब आप बिल पर बोलें। (विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, यह जो बिल आया है, इसमें दो महीने की बजाए चार महीने पहले चुनाव कराने की बात कही गई है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार किसानों की हितैषी अपने को बताती है, दूसरी तरफ चार महीने पहले चुनाव करवाने की बात कर रही है इसका क्या मतलब है। उस समय तो किसान अपनी खरीफ की फसल की कटाई करके बिजाई वगैरह कर रहा होगा। वह साढ़ू की बिजाई में बहुत व्यस्त होता है। स्पीकर सर, वह किसान की जिन्दगी में एक ऐसा समय होता है जब एक आदमी के दो-तीन बनते हैं।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, साढ़ू की बिजाई कौन सी होती है ?

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, साढ़ू की बिजाई कोई नहीं होती ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई नहीं होती ।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : साढ़ी खरीफ और रबी की फसल होती है। चौधरी भजनलाल जी ने ठीक ही कहा था कि मोटे दिमाग में थोड़े देर से बात जाती है।

श्री अध्यक्ष : साढ़ू की बिजाई नहीं होती असाढ़ी की बिजाई होती है, फसल होती है लेकिन आपने साढ़ू की बिजाई कर दी।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, अलग अलग इलाकों में अलग अलग बातें बोली जाती हैं। आप तो वहां से बीस तीस साल पहले छोड़ आये थे इसलिए आपको शायद पता नहीं है। स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बिल की अमैंडमैंट के माध्यम से सरकार पंचायतों

के चुनाव जिस समय करवाना चाहती है उस समय किसान अपने-अपने काम में बहुत जबरदस्त ढंग से बिजी होगा। उस समय सरकार ने पंचायतों के चुनाव करवाने की जो स्ट्रैटेजी बनायी है उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सरकार जिस नियत या मंसूबे के साथ यह अमैंडमैन्ट लेकर आयी है वह क्लीयर है। पार्लियामैन्ट के चुनाव के बाद एक स्ट्रैटेजी के तहत ये पंचायतों के चुनाव असैम्बली के चुनावों से पहले करवाना चाहते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजी इन्होंने फतेहाबाद की रैली के नाम से भी बनायी। * * * *

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, इनकी यह बात रिकार्ड न करें।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, यह असैम्बली के चुनावों की स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष : आप इसमें क्या कहना चाहते हैं ? आप बिल पर अमैंडमैन्ट के बारे में बोलें।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : यह असैम्बली के चुनावों की स्ट्रटेजी का ही एक हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप अमैंडमैंट पर बोलें।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, फतेहाबाद की रैली पर लाखों करोड़ों बर्बाद कर दिए गए। (विघ्न) स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री उंगली उठाकर कहता था, उस महान आदमी का नाम लेता था, चौधरी देवीलाल का लेता था और कहता था कि चौधरी देवीलाल के हर जन्म दिवस पर सौ रूपये बढ़ाए जाएंगे। उस रैली में लोग बहुत आस और भरोसे के साथ गए थे। हरियाणा सरकार की रैली के नाम पर लाखों करोड़ों रूपये बर्बाद कर दिए गए। उस रैली में किसी तरह की घोषणा नहीं हुई और इतना पैसा बर्बाद कर दिया। उसमें एक घोषणा यह जरूर हुई कि बेरोजगारों से अब किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करते समय जो पहले पांच सौ रूपये लिए जाते थे, वह अब नहीं लिए जाएंगे लेकिन स्पीकर सर, पांच सालों से हरियाणा सरकार बेरोजगारों से इस तरह के 500 रुपये क्यों लेती रही है ? तब इनको इस बात का ध्यान नहीं आया। (शोर एवं व्यवधान) बेरोजगार लोगों से इन्होंने अब तक तीन सौ करोड़ रुपये ले लिए।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, अब आप बैठ जाएं। अब आपकी हवा निकल गयी है।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, जिस ढंग से सरकार यह अमैंडमैंट लेकर आयी है वह असैम्बली चुनावों की स्ट्रटेजी का ही एक हिस्सा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठ जाएं। क्या आप दोनों एक साथ खड़े रहेंगे ? चौधरी भजनलाल जी, आप ही लीडर बन जाएं और इनको काबू में करें। कैप्टन साहब, क्या आप दोनों एक साथ बोलेंगे ? भजनलाल जी, आप अपने पीछे मुड़कर देखें। ये दोनों खड़े हैं आप इनको बैठाएं। कैप्टन साहब, आप बैठिए।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, वर्तमान पंचायतों की टर्म उनके रिजल्ट के डिक्लेयर होने के समय से लेकर एक हफ्ते बाद तक की है। इसके एक हफ्ते पहले ही गजट नोटिफिकेशन होगी । इस तरह से देखा जाए तो यह अमैंडमैंट एक मजाक है। जो चुनाव चार महीने बाद होंगे उनकी गजट नोटिफिकेशन एक हफ्ते पहले होगी। यह क्या है। इनकी यह अमैंडमैंट लाने

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[डा० रघुबीर सिंह कादियान]

की क्या इंटैशन है, क्या नीयत है ? स्पीकर साहब, आप इस बिल को पढ़ें। इस बिल के पैरा दो में कहा गया है कि जो पंचायत चुनाव अब होंगे उनकी गजट नोटिफिकेशन इनकी टर्म के एक हफ्ते बाद होगी। (विघ्न) इस तरह से सरकार की नीयत में खोट है और सरकार समाज के ताने बाने को बिगाड़ना चाहती है और उस बिगड़े हुए ताने बाने के आधार पर जिस तरह से ये आज रसगुल्ले खाने लग रहे हैं उसी तरह से इनकी सोच है कि ये आगे भी खाएं लेकिन हरियाणा की जनता इनको माफ नहीं करेगी। स्पीकर सर, चौधरी बंसीलाल के दो टोटरू आ भी गए थे लेकिन इनके दो टोटरू भी आ जाएं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। यह बात आप आज के दिन याद रखना। इनको कोई भी आदमी गांवों में नहीं घूसने देगा।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठ जाएं। अब इनकी कोई बात रिकार्ड न करें।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, * * *

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी आपके सामने हमारे सम्मानित साथी डा० कादियान साहब पंचायती राज विधेयक पर अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कहते-कहते वे अपनी बात को बदलकर दूसरी तरफ ले गए। वे कभी रैली की चर्चा कर देते तो कभी बेरोजगारी भत्ते की बात कर देते। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से छोटी सी बात हाउस को बताकर अपना स्थान ले लूंगा। मैं और डा० साहब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और हमारा दोनों का बहुत अच्छा संबंध भी रहा है। इनके नाम के आगे जो डा० लिखा जाता है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये न तो आदमियों के डाक्टर हैं और न ही किसी और चीज के डाक्टर हैं। इन्होंने एनीमल हसबैंड्री में डॉक्टरेट कर रखी है। इनकी मजबूरी है कि हर इशु पर इन्होंने कुछ न कुछ कहना ही है लेकिन किस इशु पर किस तरह से बोलना और क्या कहना है, यह इनको पता नहीं होता। ये अपनी बात को कभी पूरा नहीं कर सकते।

व्यैक्तिक स्पष्टीकरण

-डॉ० रघुबीर सिंह कादियान, एम०एल०ए० द्वारा-

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है। हमारे सम्मानित सदस्य भाई अभय सिंह जी ने जो बात मेरे बारे में कही है उसके बारे में पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। जैसा इन्होंने कहा कि हम साथ रहे हैं। मेरी समझ में नही आ रहा कि हम किस तरह से साथ रहे हैं। 1970 में मैं उस यूनिवर्सिटी में एम.एस.सी. करके लैक्चरर लग गया था और तब तक इन्होंने वहां ऐडमीशन भी नहीं लिया था और जो इन्होंने मेरी डॉक्टरी के बारे में बात कही है वह तो अलग स्पेशलाइजेशन की फील्ड है। I have got the Doctorate in the field of animal nutrition.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

दि पंचायती राज (सैकण्ड अमैडमैंट), बिल, 2004 (पुनरारम्भ)

कैप्टन अजय सिंह यादव (रेवाड़ी) : स्पीकर सर, यह जो हरियाणा पंचायती राज सैकैण्ड अमैंडमैंट बिल, 2004 लेकर आ रहे हैं इसके बारे में खासतौर पर यह कहना चाहूंगा कि it is against the very spirit of the Constitution क्योंकि आर्टिकल 243 में बाकायदा यह बताया गया है कि States having been directed to amend or repeal their existing law which is inconsistent with the provisions of the amendment within one year from the commencement of the Constitution. यह 73rd अमैंडमैंट ऐक्ट 1992 का है। Article 243 of the Constitution reads as under ..... (interruptions) मेरे कहने का मकसद यह है कि यह जो अमेंडमैंट विधान सभा में लाया गया है It is against the provision of the Constitution अमैंडमैंट लेकर आ रहे हैं जो प्रावधान 2 महीने का है यह पूरे देशभर में है। हरियाणा प्रदेश में अलग से करने की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक केस Surjit Singh Vs. State of Haryana in C.W.P No. 12742 of 1999 जिसमें हाईकोर्ट की विशेष तौर पर डायरैक्शन थी कि अगर अम्बाला की वोटर लिस्ट ठीक से नहीं बनी है तो इलैक्शन जून, 2000 में किये जायें। उस वक्त सरकार की यह मन्शा थी कि हरियाणा में पंचायत के इलैक्शन असैम्बली इलैक्शन के बाद हों। ए०जी० ने कोर्ट में तथ्यों को जानबूझ कर हाईड किया था जिसकी वजह से स्टेट इलैक्शन कमीशन और सरकार को कंटैम्प्ट दिया गया कि आपने कोर्ट को डार्क में रखा है। क्योंकि उस समय लास्ट टाईम चौटाला साहब की सरकार थी और ये चाह रहे थे कि पंचायत के चुनाव असैम्बली चुनाव के बाद हों। सरकार की यह मन्शा थी और ए०जी० ने यह बात कही और इस पर कोर्ट ने कहा कि Why you kept High Court in the dark सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह ठीक है वायलेशन सरकार ने की है लेकिन कहा कि आप इलैक्शन मार्च 2001 में करायें। जो यह पंचायती राज एक्ट, 1994 सैक्शन 52 में बाकायदा यह लिखा हुआ है कि—

> "It is only about a Gram Panchayat एक ग्राम पंचायत डिजौल्व तभी हो सकती है जब If it abuses its powers or it is not competent to perform or makes persistent defaults in the performance of its duties under this act or wilfully disregards any instructions given or directions issued by the Panchayat Samiti and Zila Parishad".

इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है जो मौजूदा सरकार इस बिल में अमैंड करने जा रही है इस बिल में क्या खामियां हैं कि पंचायत के चुनावों को सरकार चार महीने पहले करवाना चाहती है जबकि दो महीने पहले का टाईम है कृपया मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें कि चार महीने पहले क्यों चुनाव करवा रहे हैं ? दूसरा मेरा कहना यह है कि जो यह पंचायती राज एक्ट, 1994 के सैक्शन 3 में भी दे रखा है कि—

> "Every Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad unless sooner dissolved any law for the time-being in force, shall continue for 5 years".

तो मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या दो पंचायतें साथ-साथ चलेंगी ? चार महीने पहले आप पंचायतों के चुनाव करा रहे हैं यह टोटली मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी है दो पंचायतें पैरेलल कैसे चलेंगी,

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

एक चुनी हुई पंचायत और एक वह जो आप चुनने जा रहे हो। इस तरह का सरकार का जो मकसद है जो बात कादियान जी कह रहे थे कि असैम्बली के चुनाव से पहले पंचायत के चुनाव कराना सरकार की ओपरचुनिस्टिक मूव है। आप चाहते हैं कि पार्टी बन जायें इस तरह का मकसद कान्स्टीच्यूशनली गलत है। हर तरीके से यह काम गलत है। अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव के लिए जो बिल लाये हैं It is agaisnt the provision of the Constitution. यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री शादी लाल बतरा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल ला रहे हैं इसमें दोनों क्लाज इनकन्सीटैंसी हैं। इसमें एक तरफ तो दो महीने पहले का प्रावधान है कि सरकार दो महीने पहले चुनाव करा सकती है और अब इस बिल के द्वारा जो दो महीने का समय है वह चार महीने कर दिया जायेगा। आप चार महीने पहले चुनाव कराने की बात कर रहे हैं तो फिर इस चार महीने पहले चुनाव कराने की नोटिफिकेशन कब होगी, पंच और सरपंच को कब घोषित किया जायेगा, कब पंच और सरपंचों से चार्ज लिया जायेगा, कब चार्ज की हैडिंग ओवर और टेकिंग ओवर होगी, कब पंचायतें भंग करोगे, आप यह प्रि-पौन दो महीने से चार महीने कर रहे हैं इसकी नोटिफिकेशन कब होगी ? इस बिल की क्लाज-2 में यह लिखा हुआ है कि—

> "After the declaration of general election results, the names of elected Panches, Sarpanches, Members, Chairmen, Vice Chairmen, Presidents and Vice Presidents shall be published in the Official Gazette by the State Election Commission not earlier than one week before the expiry of the duration of the existing Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad".

जब ड्यूरेशन पांच साल की है तो एक हफ्ता पहले नोटिफिकेशन नहीं हो सकती। अगर एक हफ्ता पहले नोटिफिकेशन नहीं हो सकती तो चार महीने पहले इलैक्शन क्यों ? ये दोनों बातें आपस में बहुत 18.00 बजे कन्ट्राडिक्टरी हैं। यह समझ में नहीं आता कि सरकार की मन्शा क्या है ? आज सरकार चुनी हुई थी, इसकी अवधि खत्म होने जा रही है तो आज तो अमैंडमैंट आ रही है, इसके पीछे भावना और मकसद कुछ और ही है, इसके पीछे भावना कुछ भी हो यह सरकार के पास अधिकार है लेकिन लोगों के साथ यह मजाक न किया जाए कि एक पंच, सरपंच के होते हुए दूसरा पंच सरपंच इलैक्ट हो जाए और उसकी नोटिफिकेशन न हो और उसकी नोटिफिकेशन तब हो जब पहले वाले की टर्म समाप्त हो जाए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जो अमैंडमैंट आ रही है, यह इललीगल है, अनजस्टीफाईड है और अनकांस्टीच्यूशनल है, इसको पास न किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार की मंशा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की नहीं है। चुनाव कराना तो स्टेट इलैक्शन कमीशन का काम है। जहां आपने इसको भंग करने की बात की है, यह भी कोई मंशा नहीं है। कई कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि पंचायत के चुनाव पहले हों। डैमोक्रेटिक सैट अप में चुनाव पहले हो जाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसको लम्बे अर्से तक लटकाना प्रजातंत्र का हनन है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, 5 साल से कम करना तो डैमोक्रेटिक है और 5 साल से ज्यादा करना अनडैमोक्रेटिक है। मैं तो कहना चाहूंगा

कि 5 साल से कम करना या 5 साल से ज्यादा करना दोनों स्टैप ही अनडैमोक्रेटिक है। एक्ट में भी लिखा है कि 2 महीने पहले आप चुनाव करा सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमरीका के राष्ट्रपति का चुनाव भी 2 नवम्बर को होता है और शपथ पहली जनवरी को होती है तो दो राष्ट्रपति एक ही साथ हुए न, इसलिए ऐसी कोई मंशा नहीं है। चुनाव कैसे कराने हैं कब कराने हैं यह सब स्टेट इलैक्शन कमीशन का काम है यह विधानसभा या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। स्टेट इलैक्शन कमीशन चुनाव करवाएगा और समय पर ही करवाएगा, आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात है तो विधान सभा के चुनाव दो महीने पहले करवाएं जाएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कई मर्तबा विधान सभाओं के चुनाव भी समय से पहले हुए हैं। लोकसभा के भी चुनाव समय से पहले हुए हैं। अमरीका की बात आप छोड़ें, आपकी बात के मुताबिक राज्यसभा के चुनाव अभी रिसैंटली हुए हैं, इलैक्टिड मैम्बर्ज भी रहे हैं और जो पहले नियाद तक थे वे भी रहे हैं। यह हमारा सब्जैक्ट नहीं है। हमारी मंशा केवल एक है कि मौजूदा सरकार ने नए सिरे से पूरी स्टेट के लोगों को सुविधा मिले उसके लिए एक रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया है और उस कमेटी के सामने लोगों से बाकायदगी से अपील की थी कि कौन सा गांव किस ब्लाक में किस सब-डिवीजन में और किस जिले में कहां रहना चाहता है, अपनी सुविधा के मुताबिक बता दें। यह सारी बात सोच समझकर सारी प्रक्रिया पूरी करके तय की गई। बहुत से लोगों ने अपनी पंचायतें अलग भी की। 100 से ज्यादा पंचायतें होगीं जिन्होंने पंचायतों से अलग होकर अपनी नई पंचायत बनाने का काम किया। सरकार ने इस सदन में बिल पास किया कि 15 हजार से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में म्यूनिसिपल कमेटी बनाई जाएगी और बाकी में पंचायत रहेगी। कई म्यूनिसिपल कमेटीज टूट गई, कई म्यूनिसिपल कमेटीज में जो पंचायत थी उन्होंने लिखकर यह दे दिया कि हमें इस म्यूनिसिपल कमेटी से अलग किया जाए। आज बहुत से गांव ऐसे हैं जो न म्यूनिसिपल कमेटी में हैं, न पंचायत में हैं। वे अपने अधिकारों से वंचित हैं। उनको भी अवसर मिलना चाहिए, उनको कितने दिन लटकाये रखेंगे। कुछ नई पंचायतें बनी हैं वे भी बिना रिप्रजैन्टेटिव के हैं। (विघ्न) आप लोग बुड़बड़ाने की आदत छोड़ दें। (विघ्न) आपको बोलने का अवसर फिर मिलेगा उस समय बोल लेना लेकिन मुझे बीच में न टोकें। (विघ्न) यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। कैप्टन साहब, आप बुड़बड़ाने की आदत छोड़ दें। आप बुड़बड़ा हम पर रहे हैं और मार आपको पे रहे हैं। यदि आपको अपोजीशन का लीडर नहीं बना रहे तो भजन लाल जी और दूसरे कांग्रेसी नहीं बना रहे इसमें मेरा क्या मतलब है लेकिन आप मेरे पर क्यों बुड़बड़ा रहे हैं। बेचारा कर्ण सिंह दलाल कहता है कि मुझे भी समय दो। एक अकेला चीड़े जैसा है, कांग्रेस वाले तो शामिल नहीं कर रहे हैं। अभी तक पता नहीं वह कहां खड़ा है, किस जगह खड़ा है। धरती और आकाश के बीच में लटका हुआ है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक छुट्टी हो रही है। उनको अपनी सीमा में रहना चाहिए। सीमाएं तो किसी को भी नहीं लांघनी चाहिएं। मेरे कहने का भाव यह है कि सैंकड़ों ऐसी पंचायतें हैं जो बिना प्रतिनिधि के बैठी हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, विधान सभा में भी तो 10 एम०एल०एज० की सीट खाली हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, उन्होंने रिजाइन किया है। रिजाइन कोई भी कर सकता है। आप तो रिजाइन करने से घबराते हो। (विघ्न) कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठें। आज मैं आपको नेम नहीं करूंगा और अखबार में आपकी खबर नहीं छपेगी। (विघ्न) प्लीज आप, सभी बैठिये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में अपनी बात कहनी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठिये। आप अपनी मर्यादा में रहें। चौधरी भजन लाल जी, आप देखिये आपकी पार्टी के मैंबर किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, यदि आप हमें बरखास्त करना चाहते हैं तो कर दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आने वाले विधान सभा चुनावों में लोग आपको बरखास्त करेंगे। मैं बरखास्त क्यों करूं ? (विघ्न) कर्ण सिंह दलाल, प्लीज आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा विधान सभा में भी 10 सीटें खाली हैं इसलिए विधान सभा के भी पहले चुनाव करवा लें। यह नियम विधान सभा पर भी तो लागू होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठें। ऐसे अच्छा नहीं लगता। चुनाव कैबिनेट जब करानी चाहेगी तब करावेगी आपसे पूछकर नहीं करायेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, शायद इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि चौधरी भजन लाल जी जब सदन के नेता थे उस समय 20 विधायकों ने एक साथ इस्तीफे दिए थे और सभी के मंजूर हुए थे सदन तब भी चल रहा था। विधान सभा चुनाव तब भी नहीं हुए थे। चौधरी भजन लाल जी बैठे हुए हैं ये बता देंगे, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ ?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, ऐसा हुआ था लेकिन इन्होंने उन बेचारों को धोखा देकर मरवाया था। ऐसा धोखा किसी के साथ नहीं करना चाहिए था।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कैप्टन की राजनीति में पैदाइश से पहले की बात बता रहा हूं कि चौधरी भजन लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तब इस सदन के 20 सदस्यों ने इस्तीफे दिए थे और 20 विधान सभा सीटें खाली हो गई थीं। उस समय चौधरी भजन लाल 35 सदस्यों को अपने साथ लेकर अपनी निष्ठा बदल करके उसी इन्दिरा गांधी के पास जा लिये थे जिसको तीन दिन पहले इन्होंने गाली दी थी तब भी सदन चलता रहा था। भजन लाल जी यहां बैठे हुए हैं, ये ही बता देंगे सदन चलता रहा था या नहीं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बिना परमिशन खड़े न हों। प्लीज आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। मैं आप पर तरस इसलिए खा रहा हूं कि आप बीमार हैं। अब आपके पास तो कहने को कुछ रहा नहीं है। आपके पास तो बस्ता है और मुझे तो जबानी सब कुछ याद है। आप तो बताते-बताते इन्दिरा गांधी की मौत भूल जाते हो, राजीव गांधी की पैदाइश के बारे में भूल जाते हो। अब आपके कुछ याद नहीं रहता। आपकी याद-दाश्त जवाब दे गई है। अध्यक्ष महोदय, जब आदमी पर मार पड़ती है तो वह सब कुछ भूल जाता है इसमें भजन लाल जी का कसूर नहीं है। चौधरी भजन लाल जी पर तो अब भी मार पड़ रही है। (विघ्न) स्पीकर सर, इस मामले पर डिटेल में चौधरी सम्पत सिंह जी ही बताएँगे मैं तो दो-चार मुद्दों पर जिक्र कर रहा था और यह जो बिना वजह का संशय इनके द्वारा पैदा किया गया था वह दूर करना चाहता हूं। मौजूदा सरकार ने गांव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है। पैसे का ठीक ढंग से इस्तेमाल हो सके इसलिए समय से पहले चुनाव करवाने की आवश्यकता समझी गई। आम शिकायत लोगों की सुनने में आती है कि सरकार पैसा बहुत देती है लेकिन पैसा ठीक ढंग से खर्च नहीं हो रहा है हम चाहते हैं कि जनता के नए चुने हुए प्रतिनिधि आएं और उस पैसे को अच्छे विकास के कामों पर खर्च करें इसलिए ये चुनाव करवाना हमारी मंशा है कि पंचायत के चुनाव पहले हो जाएं। (शोर एवं विघ्न) नहीं-नहीं हम पार्टीबाजी के पक्ष में नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश के 2 करोड़ 20 लाख लोग सम्पन्न हों, समृद्ध हों खुशहाल हों और आपसी भाईचारे से रहें। यह तो आपकी सोच रहती है। आप रोज लड़ाने का काम करते हो। यह हमारा काम नहीं है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठें। आप बीच में कैसे खड़े हो गए ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, मेरा कहना है कि किसी को कोई मुगालता नहीं रहना चाहिए कि सरकार कोई गलत काम कर रही है। यह अमैंडमैंट क्यों और किसलिए की जा रही है इसकी डिटेल्ज सम्पत सिंह जी बताएँगे।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ बातों का जवाब दिया है। मैं अपनी स्पीच देने से पहले जो ये अपोजीशन के भाई ट्रैक छोड़कर चले गए थे और विशेषकर डा० कादियान साहब ट्रैक को छोड़ कर रैली की तरफ चले गये थे। मैं अपनी बात कहने से पहले इनकी कही हुई बातों का जवाब देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने रैली का जिक्र किया, इस बारे में हमें फख्र है कि 25 सितम्बर को हम रैली करते हैं। यह रैली उस महापुरुष की याद में की जाती है जिन्होंने देश को आजाद करवाने वालों में और हरियाणा प्रदेश के जन्मदाता और देश के निर्माता के रूप में विशेष योगदान दिया। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी का जन्म दिन 25 सितम्बर को आता है। यह जन्म दिन हम इस बार मनाते हैं। हम चाहे सत्ता में हों या विपक्ष में हों, चाहे चौधरी साहब स्वयं खुद थे और चाहे आज उनका शरीर न हो हम यह जन्म दिन मनाते आ रहे हैं। आज हमारे बीच उनका शरीर नहीं है लेकिन उनकी आत्मा आज भी है। ऐसे महान आदमी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसा आदमी कभी मरता नहीं है बल्कि वह अमर हो जाता है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। (शोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : हां, कादयान साहब ने कहा है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डा० कादयान साहब ने कहा है, उनसे पूछो। (शोर एवं विघ्न) कैप्टन साहब, आप डा० कादयान जी से पूछो।

चौधरी भजन लाल : पहले आप हमारी बात तो सुनें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बगैर परमिशन के बोल रहे हैं।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, पहले यहां पर ये कोई बात कह देते हैं और फिर उसका जवाब सुनते हुए इनको तकलीफ होती है। इनकी कही हुई बातों का जवाब देना पड़ता है। हाउस के अन्दर जो भी बात आएगी उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। हमें तो इस बात का फख्र है और यह फख्र हमें ही नहीं बल्कि हरियाणा के हर वासी को इस बात का फख्र है कि चौधरी देवी लाल जी पर हर आदमी को नाज है। चाहे आज उनका शरीर हमारे बीच में नहीं है मगर उनकी आत्मा, उनके दिखाए हुए रास्ते और उनकी नीतियां आज हमारे बीच में है। (शोर एवं विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। ये किस बिल पर बोल रहे हैं। यह तो टोटली इररेलैवेंट बोल रहे हैं। * * * * * * (शोर एवं विघ्न)

चौधरी जगजीत सिंह : स्पीकर साहब, हमें भी तो अपनी बात कहनी है। * * * * * * * * (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। आप दोनों क्यों बोलने के लिए खड़े हो गए। क्या आपको बोलने की परमिशन दी है। आप बीच में कैसे खड़े हो गए। आप किसकी परमिशन से खड़े हो कर बोल रहे हैं। आप दोनों किसी भी समय खड़े हो जाते हैं। आप किसी की परमिशन से खड़े होते हैं। आपको किसी डैकोरम का पता नहीं है। इतने पुराने आप हो गए हैं, अब आप बैठिये। (शोर एवं विघ्न) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

Prof. Sampat Singh : Now, I am not speaking on bill. जो बात यहां पर आई है उसको क्लैरीफाई तो करेंगे। जो बात इन्होंने कही है उसका जवाब तो देना है। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं पहले इनकी बातों का जवाब दूंगा। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब और सांगवान साहब, आप बैठ जाएं। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही। आज तो अखबार वाले भी आपकी कोई बात नहीं लिखेंगे चाहे आप कुछ कर लो। आप बैठ जाओ। अखबारों में आपकी कोई सुर्खी नहीं बनेगी चाहे आप कल अखबार देख लेना। आप जानबूझकर बीच में खड़े हो जाते हो। आपने कोई समय लिया हो, कोई बात हो तो अलग बात है। आप यों ही खड़े हो जाते हो। आप बैठिये और चुप रहिए। आप सभी अपने स्थान पर बैठिये। (शोर एवं विघ्न)

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर साहब, * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। आप बगैर इजाजत के कैसे बीच में खड़ी हो गई। आप बैठ जाएं। (शोर एवं विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये लोग भागना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सभी को समुचित टाईम दिया गया है। जिस पार्टी के जो भी सदस्यगण बोलना चाहते थे उनको बोलने का समय दिया गया है क्या इसके बाद भी कोई कमी रह गई है। आप सभी को बोलने का पूरा समय दिया गया है इसलिए अब आप बैठें। (विघ्न)

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, आप भी अपनी सीट पर बैठें (विघ्न) आप भी बगैर परमिशन के बोल रही हैं इसलिए आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति से बोलना शुरु किया था और मैंने पहले ही कह दिया था कि इन्होंने जो पर्टिकुलर बात कही है मैं उसका जवाब दे रहा हूं और बिल के बारे में मैं बाद में जवाब दूंगा। (विघ्न) स्पीकर साहब, विधान सभा के अन्दर इन्होंने जो बात कही है मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। जो बात हाउस में कही गई है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका रिप्लाई दें और जो कहा गया है उसकी क्लैरिफिकेशन दें। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बीच में कैसे बोल रहे हैं। (विघ्न) वे मिनिस्टर हैं, क्या वे खड़े हो कर नहीं बोल सकते। (विघ्न) आप जब जी चाहे खड़े हो कर बोलने लग जाते हैं आपको बोलने की कोई इजाजत नहीं दी है इसलिए अब आप बैठें। (विघ्न) कोई भी सदस्यगण बैठे-बैठे नहीं बोलें, No need commentary, आप बैठें। (विघ्न) अभी तक आपने यह नहीं सीखा कि बोलने से पहले क्या कहना पड़ता है और बोलने के लिए समय कैसे लिया जाता है। आप बीच में खड़े हो जाते हैं और बोलते रहते हैं। (विघ्न) अब आप बैठिए please sit down. (विघ्न)

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इनके दिमाग में तो खराबी हो रही है आप ही इन पर रहम करें। (विघ्न) इनका दिमाग खराब हो रहा है। (हंसी) (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें। (विघ्न) आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। बलबीर बाली जी ने जो कुछ कहा है वह आपके बारे में नहीं कहा है अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं इन्होंने आपको कुछ नहीं कहा है उन्होंने तो एक जनरल बात कही है (विघ्न) अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है या आप ऐसा समझ लें तो अलग बात है वैसे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। (विघ्न) अब आप बैठ जाएं। (विघ्न) उन्होंने आपका नाम नहीं लिया है आप बैठें। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : कैप्टन साहब, आप मेरे तक ही सीमित रहें तो ठीक रहेगा आप पहलवान से क्यों उलझ रहे हैं वह कोई ऐसा दांव मारेगा कि ख्वाहमखाह यहीं पर मारे जाओगे। (विघ्न) (हंसी)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, दिक्कत केवल एक ही है कि यह बिना जनरल की फौज है, इनका जनरल कोई नहीं है और ये किसी के काबू के नहीं हैं ये सभी बेकाबू हो रहे हैं। भजन लाल जी, क्या ये आपके काबू के हैं। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी भजन लाल : आपके तो बन्धुआ की तरह हैं, हमारे तो आजाद हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हमारे वाले तो सारे काबू में हैं लेकिन आपके तो बिना जनरल की फौज है। आपका कोई नेता नहीं है कोई नेतृत्व नहीं है, कोई आस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है आप बूढ़े हो गए हैं और ये आपसे बेकाबू हो गए हैं नहीं तो क्या ये कभी रड़का करते थे, क्या कर्ण सिंह दलाल कभी चूं किया करते थे। (विघ्न) चौधरी साहब, अब आप बूढ़े हो गए हो और आपका मामला खत्म हो लिया। (विघ्न) (हंसी)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं क्लैरीफाई कर रहा था कि आज अगर हरियाणा विधान सभा अलग है तो यह चौधरी देवी लाल की देन है। सम्मान दिवस के रूप में उनका जन्म दिन मनाया गया। जहां तक डॉक्टर कादियान साहब ने अनाउंसमैंट का जिक्र किया था, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार की कोई भी अनाउंसमैंट पेपर पर नहीं हुई। जहां तक इन्होंने पैंशन के बारे में जिक्र किया है कि चौधरी देवी लाल के जन्म दिवस पर हर साल बढ़ाएंगे (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जिक्र किया था इसलिए मुझे क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। स्पीकर सर, मौजूदा सरकार की पार्टी की सरकार पहले भी थी और उस वक्त चौधरी देवी लाल जी ने 100/- रुपये मासिक बुढ़ापा पैंशन देनी शुरु की थी। वर्ष 1991 में वह सरकार चली गई थी और उसके बाद चौधरी भजन लाल जी मुख्य मन्त्री बन गए थे। ये पांच साल तक मुख्य मन्त्री रहे और इन्होंने इस दौरान एक रुपया भी बुढ़ापा पैंशन का नहीं बढ़ाया और पैंशन की राशि 100/- रुपये से 101/- रुपये भी नहीं की बल्कि पैंशनर्ज की संख्या घटाई और इसमें कई तरह की कण्डीशन्ज लगाई गई थीं। कण्डीशन नं०-एक यह थी कि जिसकी पांच एकड़ जमीन है उसको पैंशन नहीं मिलेगी, कण्डीशन नम्बर दो यह थी कि अगर किसी परिवार की 2500 या 3000 रुपये की आमदनी है तो उस परिवार को भी पैंशन नहीं मिलेगी। नम्बर तीन कण्डीशन यह लगाई गई थी कि अगर परिवार में कोई मुलाजमियत है तो उस परिवार को भी पैंशन नहीं मिलेगी। नम्बर 4 यह कंडिशन लगा दी गई थी कि अगर किसी घर में कोई मुलाजिम है तो उसको पैंशन नहीं दी जाएगी। इनकी वजह से साढ़े चार लाख की संख्या पैंशन लेने वालों की रह गई थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठ जाएं। (विघ्न) आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं। भजन लाल जी का कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

चौधरी भजन लाल : * * * * *।

श्री अध्यक्ष : बैठिए बैठिए। (विघ्न) आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, ये कह रहे हैं कि इन्होंने नौजवानों को बढ़ावा देने के लिए बुढ़ापा पैंशन बंद कर दी थी। ये मान रहे हैं। स्पीकर सर, इन्होंने अपने समय में एक नया पैसा इस राशि का नहीं बढ़ाया था और दूसरी तरफ पैंशन लेने वालों की संख्या इन्होंने घटा दी। (विघ्न) स्पीकर सर, भजन लाल जी का राज पांच साल रहा है और एक नये पैसे की राशि नहीं बढ़ाई थी बल्कि उनकी संख्या इन्होंने 1/3 कर दी थी। इनके राज के बाद चौधरी बंसी लाल जी का राज आया और साढ़े तीन साल वे रहे। सवाल यह नहीं कि हम कल क्या करेंगे, सवाल यह है कि इन्होंने अपने राज में क्या किया और मौजूदा सरकार ने क्या किया। स्पीकर सर, 24 जुलाई 1999 को

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद चौधरी देवी लाल जी का जन्म दिन हिसार में 25 सितम्बर, 1999 को मनाया गया था। स्पीकर सर, चौधरी देवी लाल जी की भावनाओं को देखकर, उनके निर्देशों को देखकर उसी वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बुढ़ापा पैंशन को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करी। स्पीकर सर, इनकी सरकार के समय में एक रुपया भी नहीं बढ़ाया गया था। दूसरे, स्पीकर सर, जो सारी शर्तें पिछली सरकार के वक्त में बुढ़ापा पैंशन पर लगाई थीं, वह हमारी सरकार ने खत्म कर दी हैं। केवल मात्र जो आदमी इन्कम टैक्स पेयी हो उसको पैंशन नहीं मिलेगी यह शर्त हमने जारी रखी है। स्पीकर सर, आज के दिन बुढ़ापा पैंशन, विडो पैंशन और इसी तरीके से हैंडिकैप पैंशन हरियाणा में साढ़े तेरह लाख लोगों को मिलती है। जहां तक इनके समय में इन पैंशन्ज पर 55 से 60 करोड़ रुपये का बजट था आज वह बजट हमारे समय में बढ़कर 350 करोड़ रुपये का हो गया है। स्पीकर सर, मौजूदा सरकार ने ही बुढ़ापा पैंशन को 100 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह किया है और आज वे कहते हैं कि हम इसको 300 रुपये करेंगे, 400 रुपये करेंगे। (विघ्न) स्पीकर सर, न तो इन्होंने पहले कुछ किया है और न ही आगे कुछ कर पाएंगे। इन्होंने तो सिर्फ काटने का काम ही किया है। स्पीकर सर, इन्होंने यहां पर बेरोजगारी भत्ते का भी जिक्र किया है। स्पीकर सर, यहां पर ऐसे लोग भी ब्यान दे देते हैं जो खुद सत्ता में रहे हैं, इनकी पार्टी सत्ता में रही है। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पैरेन्टस, जिनके ऑनरेब्ल फादर और लेट फादर हरियाणा और ज्वायंट पंजाब की सरकार के अन्दर मंत्री रहे हैं, ऐसे दो-तीन नेता हैं, सो-काल्ड नेता हैं इनकी पार्टी के अन्दर, वे भी ब्यान देते हैं, अभी वे सदन में नहीं है और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। वे क्या कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, कोई कहता है कि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, अगर बेरोजगारी दूर होगी तो बात करेंगे। यहां पर भी कहा जाता है कि 100 रुपये और 200 रुपये प्रतिमाह देने से क्या होगा। स्पीकर सर, मैं उनको बताना चाहूंगा कि यह एक प्रोत्साहन राशि है। जो गरीब आदमी है उसको पैसे की कीमत का मालूम है और जो अमीर आदमी है उसको 100-200 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पीकर सर, बुढ़ापा पैंशन 100 रुपये हुई थी तो भी इन्होंने उसके बारे में कहा था लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने उसको 101 रुपये भी नहीं किया था। अगर ये कुछ कहते हैं तो उस पर उनको अमल भी करना चाहिए, अपने समय में ये इस राशि को बढ़ा देते। (विघ्न) स्पीकर सर, मैट्रिकुलेट और 10+2 वाले को 100 रुपये और ग्रेजुएट तथा डिप्लोमा होल्डर को 200 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए हैं। (विघ्न) स्पीकर सर, आज 12 लाख के करीब की संख्या इस फायदे को लेने वालों की हो सकती है, सर, यह नम्बर और भी बढ़ सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो बच्चे किसी कारणवश अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए हैं तो उनको अपना नाम दर्ज करवाने के लिए एक महीने का समय और दे दिया है। (विघ्न) स्पीकर सर, 150 और 200 करोड़ रुपये के करीब की राशि बंटेगी। स्पीकर सर, सारे हिन्दुस्तान में केवल हरियाणा प्रदेश में ही यह सम्मान राशि बेरोजगार बच्चों को देंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बैठिए-बैठिए।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जहां तक मैन पावर की बात है, तो केवल बी०ए० और एम०ए० से बात नहीं बनती है, केवल सरकारी नौकरियों से बात नहीं बनती है। आज हरियाणा में 75 हजार नौजवानों को प्रोफैशनल, टैक्नीकल स्पैशलाईजेशन एजुकेशन हमारी सरकार दे रही है ताकि वे आत्म निर्भर हो सकें और खुद अपने पांव पर खड़े हो सकें। स्पीकर सर, यह 75 हजार

[प्रो० सम्पत सिंह]

की संख्या है जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपकी सरकार के समय में यह संख्या 2-4 हजार ही हुआ करती थी। जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है यही तरीका है बेरोजगारी को दूर करने का और इस वजह से लोग स्वयं अपना रोजगार तलाश कर सकेंगे। स्पीकर सर, एक और घोषणा सरकार द्वारा की गयी है कि जिन्होंने छोटी तकावी का लोन ले रखा था अब उसको सरकार ने माफ कर दिया है। इससे एक लाख चालीस हजार लोगों को लाभ होगा। इसमें किसान भी शामिल हैं, इसमें दस्तकार भी शामिल हैं और इसमें आम गरीब मजदूर भी शामिल हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। आपको इनकी बातें सुननी चाहिएं क्योंकि यह बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं। यह टौनिक है जो आपको लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, first they commit mistake and then they react. This is not fair. (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, यह खुद अपनी मिस्टेक को कमिट करते हैं। ये खुद पटड़ी से उतरे हैं। ये खुद ही पटड़ी से उतरे हैं और ये लोग जब पटड़ी से उतरते हैं तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है। स्पीकर सर, पटड़ी से उतरने वाले लोगों का जवाब हमें देना ही पड़ता है और अब भी मैं यही जवाब दे रहा हूं कि तकावी माफी से एक लाख चालीस हजार लोगों को लाभ होगा। स्पीकर सर, आज आम गरीब किसान के पास दस एकड़ तक जमीन नहीं है इसलिए सरकार ने अब यह घोषणा की है कि यदि इस तरह का कोई किसान ट्रैक्टर लेना चाहता है तो उसे अब केवल तीन एकड़ जमीन की ही रजिस्ट्री देनी पड़ेगी जबकि इससे पहले दस एकड़ जमीन की रजिस्ट्री देने की शर्त थी। सरकार की इस घोषणा से अब किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीकर सर, इसी तरह से 1989 में चौधरी देवी लाल जी के वक्त में एक कानून बनाया गया था। वह कानून यह था कि यदि किसान अपना कर्जा लेता है और यदि वह डबल से ज्यादा हो जाएगा तो उसे डबल से ऊपर का कर्जा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उस कानून को चौधरी भजन लाल जी ने वापस ले लिया था। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह इनके बोलने का क्या तरीका है। यह बार-बार एक ही बात को क्यों बता रहे हैं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, यह वाक आउट करके जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान) ये जरूर जाएंगे। मैं बिल पर भी बात करूंगा। आप सुनते जाइये। स्पीकर सर, यह सुबह टाईम मांग रहे थे और कह रहे थे कि तीन दिन का सैशन कर दें लेकिन अब यह सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इनको हमारी बात सुननी पड़ेगी।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह से बोलते रहे तो हमें वाक आउट करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, क्या ये बेरोजगारी भत्ते का विरोध करते हैं ? इनको बताना चाहिए कि ये इसके हक में हैं या नहीं ? इनको हां में या ना में जवाब देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। गुप्ता जी, आप भी बैठिए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप इनको बैठाएं क्योंकि ये एक ही बात को बार-बार बता रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इसी तरह सरकार ने 100 रुपये मिनीमम बेजिज किए हैं। हिन्दुस्तान में अकेली हरियाणा स्टेट ऐसी है जहां पर 100 रुपये बेजिज पर बंध है। (विघ्न)

वाक-आउट

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनना नहीं चाहते और इनको आप लगातार इस तरह से बोलने की इजाजत दे रहे हैं अगर ये इसी तरह से बोलते रहना चाहते हैं तो हम इस बिल की अमैंडमैंट के विरोध में वाक आउट करते हैं।

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य, हरियाणा विकास पार्टी के श्री रामकिशन फौजी और निर्दलीय सदस्य श्री देवराज दीवान, श्री राजेन्द्र सिंह बिसला, श्री भीमसेन मेहता, श्री जय प्रकाश गुप्ता, श्री दरियाव सिंह राजौरा, श्री तेजवीर सिंह और श्री उदयभान सदन से वाक आउट कर गए।)

दि हरियाणा पंचायती राज (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2004 (पुनरारम्भ)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अब मैं बिल के बारे में बताना चाहता हूं। स्पीकर सर, इनकी तरफ से जो ऐलीगेशन्ज लगे हैं उनका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। सर, अब मैं बिल पर बोलना चाहता हूं। मैंने सुबह बोलते वक्त भी कहा था कि यह विशेषकर हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। इनका विधान सभा की कार्यवाही में कोई इंट्रैस्ट नहीं है। ये हर सैशन में हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये सुबह कह रहे थे कि सैशन एक दिन के बजाए तीन दिन का होना चाहिए, तीन दिन के बजाए दस दिन का होना चाहिए लेकिन एक दिन बैठने की भी इनमें हिम्मत नहीं है। ये घड़ी में केवल साढ़े छः का टाईम देख रहे थे क्योंकि इसके बाद तो आपको हाउस का टाईम बढ़ाना है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आप हाउस का टाईम दस मिनट के लिए बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : आज तो हाउस नॉन स्टॉप है इसलिए टाईम बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह : ठीक है सर, अगर नॉन स्टॉप है तो ठीक है। स्पीकर सर, ये लोग घड़ी में केवल साढ़े छः का टाईम देख रहे थे क्योंकि इसके बाद इनको जाना ही था। साढ़े छः के बाद आगे इनको बर्दाश्त नहीं होता इसलिए अब ये हाउस छोड़कर चले गए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने जो पोलिटिकल ऐलीगेशन्ज लगाये थे उनकी मैंने क्लेरीफिकेशन देनी थी। उस टाईम इन्होंने कुछ ऐलीगेशन्ज लगाए, पहला ऐलीगेशन यह लगाया कि पांच साल की ऐक्सपायरी टर्म से पहले आप चुनाव करवा रहे हैं जबकि करा नहीं सकते हैं। कानून की किताब इन्होंने पढ़ी। स्पीकर सर, हमने कानून के अगेंस्ट आज तक कोई काम नहीं किया है और न ही करेंगे। कानून के अगेंस्ट ये लोग जाते हैं। टर्म जहां तक है, पंचायत की, म्यूनिसिपल कमेटीज की विधान सभा की, लोकसभा की यह पांच साल की टर्म है और उस टर्म को हम कोई कम नहीं करने जा रहे हैं, बाकायदा पंचायतें

[प्रो० सम्पत सिंह]

और कमेटियां पांच साल पूरे करेगी। यह टर्म उनको कांस्टीच्यूशन ने दी है और हम कांस्टीच्यूशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। हम कांस्टीच्यूशन की कद्र करने वाले लोग हैं। जहां तक ये चार महीने की बात कहते हैं, ऑलरेडी स्पीकर सर, पहले का प्रोविजन है। इन साथियों को मालूम था कि दो महीने का 60 दिन का अलरेडी प्रोविजन है 60 दिन पहले पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं यह प्रावधान ऐक्ट के अंदर है कब करवाने हैं वह डेट फिक्स करने के लिए इंडिपैंडैंट बौडी इलैक्शन कमीशन है वह कांस्टीच्यूशनल बॉडी है हरियाणा स्टेट का इलैक्शन कमीशन बना हुआ है यह बात उनकी पॉवर में है यह हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, हरियाणा सरकार कोई डेट निश्चित नहीं करती। यह इलैक्शन कमीशन की मर्जी है वे गवर्नमैंट को कंसल्ट तो करते हैं क्योंकि कई बार लॉ एंड आर्डर की बात है कोई और सिचुएशन की बात है। फाइनल अथौरिटी इलैक्शन कमीशन होता है वे डेट निर्धारित करते हैं अगर आपको 60 दिन की बजाय 61 दिन बाद चुनाव करवाने हैं तब भी यह अमैंडमैंट जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि चार महीने पहले का टाइम रख दिया है तो चार महीने पहले ऐग्जैक्ट चुनाव करवा रहे हैं। स्टेट का चुनाव आयोग यह निश्चित करेगा कि कब चुनाव करवाए जाएं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है स्पीकर सर, यह आप जानते हैं क्योंकि अप्रैल के अंदर पंचायत की टर्म समाप्त होती है और मार्च में टर्म असैम्बली की समाप्त होती है इसका मतलब चुनाव तो पहले करवाने हैं इसलिए असैम्बली का चुनाव टर्म से पहले आएगा और पंचायत का चुनाव भी टर्म से पहले करवाना है। कई बार सैन्ट्रल इलैक्शन कमिशन चुनाव की डेट निश्चित है और स्टेट इलैक्शन कमीशन पंचायत के चुनाव की तारीख तय करता है और ऐसे में कई बार आपस में टकराव हो जाता है। उन्हीं दिनों पंचायत के और उन्हीं दिनों असैम्बली के चुनाव आ जाते हैं। एक बार ऐसे हालात हो गए थे। एक साथ पंचायत और असैम्बली के चुनाव नहीं करवा सकते हैं क्योंकि पंच के चुनाव के लिए अलग वोट पड़ता है, सरपंच का अलग से वोट पड़ता है, ब्लॉक समिति के मैंबर का अलग से पड़ता है और जिला परिषद् के मैंबर का अलग से वोट पड़ता है एक आदमी चार वोट अलग से डालता है और वे बैलेट पेपर इकट्ठे जा सकते हैं लेकिन पांचवां असैम्बली वाला इकट्ठा नहीं पड़ सकता है क्योंकि वह सैन्ट्रल इलैक्शन कमीशन चुनाव कराता है वह अलग से है उसका ऐक्ट अलग है जिस तरह से यह चारों हैं उसी तरह से यह पांचवां होता तो कोई बात नहीं थी। यह वोट अलग पड़ना है वह चारों इकट्ठे पड़ने हैं इसलिए स्पीकर सर, साथ में करवाने से आपस में कोई टकराव न हो जाए, ताकि स्टेट इलैक्शन कमीशन को पूरी अपोरचुनिटी हो, पूरा टाइम हो और वह यह देखे कि कब चुनाव करवाने हैं इससे वह अपने हिसाब से तारीख निश्चित कर लेंगे कि कब चुनाव करवाने हैं ताकि कोई टकराव की स्थिति न आए इसलिए यह 120 दिन रखे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 120 डेज का मतलब 120 डेज। जैसा मैंने बताया कि 61 दिन बाद चुनाव कराने की जरूरत हो तो भी इलैक्शन कमीशन नहीं करा सकता है क्योंकि पहले प्रोविजन नहीं है इसलिए यह प्रौविजन किया जा रहा है ताकि यह सुविधा रहेगी कि जितने दिन बाद भी कराना चाहें उनकी मर्जी है। विपक्ष के साथी एक सांस में कह गए कि गवर्नमैंट चुनाव कराती है उस बारे में मैंने जैसा कह दिया कि गवर्नमैंट चुनाव नहीं कराती। जहां तक स्प्रिट ऑफ कांस्टीच्यूशन की बात कही कि यह कांस्टीच्यूशन की स्प्रिट के खिलाफ है तो मैं बताना चाहूंगा कि पांच साल की मियाद कांस्टीच्यूशन ने दी हुई है और उस टेन्योर को हम कम नहीं कर सकते हैं। हम इनकी अवधि समाप्त नहीं कर रहे हैं। जो इलैक्शन पंचायत के होंगे ये ओथ अपना इनका समय आएगा, तभी लेंगे, उनकी पहले वालों की जब टर्म खत्म हो जाएगी, तभी लेंगे। जहां तक यह बात है कि साइमलटेनियसली

दो पंचायतें कैसे रहेंगी, दो नहीं हैं, चुनाव होंगे, पंचायत एक ही है। कांस्टीथ्यूशन के हिसाब से, कानून के हिसाब से पंचायत एक ही है जिसने ओथ ले रखी है। जहां तक ओथ लेने का सवाल है, जैसे आपने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव तो नवम्बर में होता है लेकिन ओथ जनवरी में दो महीने बाद लेते हैं। इसी तरह जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सभा का चुनाव पहले हो जाता है जैसे अब हुआ था लेकिन जो चुने हुए सदस्य हैं वे ओथ तब लेते हैं जब पहले चुने हुए सदस्यों की टर्म समाप्त हो जाती हैं यह नई बात नहीं है ये चुने हुए सदस्य तब तक रहेंगे जब तक इनकी पूरी टर्म नहीं हो जाती है। यह कांस्टीच्यूशन की स्पिरिट के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। दूसरा विपक्ष के साथियों ने कहा कि पंचायतों को डिजोल्व कर रहे हैं। हम पंचायतों को कोई डिजोल्व नहीं कर रहे हैं और न किसी चुनी हुई पंचायत को भंग कर रहे हैं। एक और ऐलीगेशन इन्होंने लगाया था, हां चौधरी भजन लाल जी ने कहा था कि क्या अमैंडमैंट आ रही है। वे अपने वक्त को भूल गये जब पंचायतों की टर्म पांच साल हुआ करती थी और उन्होंने एक साल से ज्यादा समय पहले ही पंचायतें भंग कर दी थीं और चुनाव करा दिए थे क्योंकि उन्हें डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं था। इसका मतलब यह है कि वे दूसरों पर भी शक करते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार बाकायदा कानून और संविधान में विश्वास रखती है। इसलिए जो अमैंडमैंट हम लेकर आये हैं वह अनकांस्टीच्यूशनल नहीं है। बल्कि साइमलेटेनियसली असैंबली और पंचायतों के चुनाव एक साथ न आ जायें इसलिए पंचायतों के चुनावों की डेट को चार महीने पहले कराने का प्रावधान इस अमैन्डमैंट में कर रहे हैं। हम चुनाव करा नहीं रहे हैं क्योंकि चुनाव कराने का काम तो चुनाव आयोग का होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार यह अमैंडमैंट लाकर कोई बेकायदगी नहीं कर रही है बल्कि संविधान के अनुसार ही कर रही है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move that the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

6. दि पंजाब शॉप्स एंड कॉमर्शियल इस्टैब्लिशमैंटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill, 2004.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

7. दि हरियाणा अर्बन डिवेल्पमैंट अथौरिटी (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Haryana Urban Development Authority (Second Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

ग्राम एवं आयोजना मन्त्री (श्री बीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हूं।

[श्री धीर पाल सिंह]

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Urban Development Authority (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Urban Development Authority (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 7

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Town and Conuntry Planning Minister will move that the Bill be passed.

ग्राम एवं आयोजना मन्त्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

8. दि हरियाणा रिलीफ ऑफ ऐग्रीकल्चर इन्डैबटैडनैस (अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister will introduce the Haryanaa Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

ग्राम एवं आयोजना मन्त्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति (संशोधन) विधेयक, 2004 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

नगर एवं ग्राम आयोजना मन्त्री (श्री धीर पाल सिंह) : स्पीकर साहब, मैं हाउस से विधेयक को पारित कराने की सिफारिश से पहले कुछ बात कहना चाहता हूं। माननीय स्पीकर सर, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने 1989 में इसी हाउस में इसी विधेयक के द्वारा हरियाणा प्रदेश के लाखों किसानों, मजदूरों को सहकारिता बैंकों द्वारा लाभ दिया और उन्होंने एक सीमा निर्धारित की कि जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, छोटा है या बड़ा है जो सहकारी बैंकों से ऋण लेता है असल और ब्याज मिलाकर डबल से ज्यादा अदायगी नहीं होगी, इस तरह उन्होंने यह सीमा निर्धारित की। इस तरह का कानून इसी सदन में स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने पारित किया था। बाद में कांग्रेस की सरकार आने पर कॉमर्शियल बैंकों के दबाव में आकर इस बिल में उन्होंने संशोधन कर दिया। कांग्रेस की सरकार के समय में चौधरी वीरेन्द्र सिंह सहकारिता मंत्री थे जो सर छोटू राम के नाती हैं वे इस बिल को संशोधन करने के लिए इस हाउस में लेकर आये थे जिससे किसानों को घाटा हो। आज यह बिल सदन में ला कर माननीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसानों को बहुत बड़ा लाभ दिया है और स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के जन्मदिवस पर इसकी घोषणा की थी। स्पीकर सर, आंकड़े यह दर्शाते हैं कि करीबन 25 करोड़ रुपया को-आप्रेटिव बैंक का है, 40 करोड़ रुपया भूमि विकास बैंक का है। यह संशोधन होने के बाद करीबन 65 करोड़ रुपये का लाभ हरियाणा की गरीब जनता को, किसानों को, मजदूरों को एक-मुश्त मिलेगा। इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक्स का अलग से है और जो आने वाले समय में लाभ मिलेगा उसके आंकड़े अलग हैं। स्पीकर सर, यह संशोधन किसान को, गरीब मजदूर को एक नया जीवन देगा। कांग्रेस के दोस्तों को तो हर बात पर पेट में दर्द होने लगता है चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे पैंशन की बात हो, चाहे एस०वाई०एल० की बात थी। उन्होंने यह दर्शाया है कि उन्हें केवल कुर्सी चाहिए जो बहुत पहले उनसे चली गई थी। स्पीकर सर, ये जैसा करेंगे आने वाले चुनाव में एक-एक बात का हिसाब उनको मिल जायेगा। कांग्रेस का असली चेहरा क्या है यह आने वाले विधान सभा चुनाव में पता लग जायेगा। स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker : Motion mved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House stands adjourned *sine-die.*

*18.49 hrs. (The Sabha then *adjourned *sine-die.*)

39217—H.V.S.—H.G.P., Chd.